ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 अंक 3 जनवरी 2022

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

© 2023. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : दिनेश प्रसाद सकलानी
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : शरद सिन्हा
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक (प्रभारी) : बिज्ञान सुतार

अकादमिक संपादकीय समिति

रंजना अरोड़ा　बी.पी. भारद्वाज
उषा शर्मा　मधूलिका एस. पटेल

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दीवान
उत्पादन अधिकारी : जहान लाल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016　फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी ।।। स्टेज
बेंगलुरु 560 085　फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014　फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114　फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021　फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50　वार्षिक : ₹ 200

** सितंबर 2023 में मुद्रित*

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 **अंक 3** **जनवरी 2022**

इस अंक में

संपादकीय		3
विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखने में बाल संसद की भूमिका एक नवाचारी प्रयास	हर्षवर्धन सुहासिनी बाजपेयी	5
विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका का अध्ययन	गणेश शुक्ल	14
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण	सृष्टि	27
खुशहाली पाठ्यचर्या एवं गणित फोबिया एक अध्ययन	जहांगीर आलम इंद्रजीत दत्ता	33
वाह रे! बोर्ड परीक्षाफल	मोईनुद्दीन ख़ान	43
संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान एवं शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता	दीपक कुमार शिल्पी कुमारी	49
आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की विद्यालयी शिक्षा में प्रासंगिकता	शशि रंजन शिरीष पाल सिंह	59
नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता एक परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन	सुमित गंगवार	71
भारतीय आधुनिक शिक्षा पत्रिका के वर्ष 2014 से 2019 तक प्रकाशित अंकों का बिब्लिओमैट्रिक विश्लेषण	पूजा जैन मीरा	85
विद्यालयी शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अंतर्द्वंद्व एवं सार्थक समाधान	सुनीता सिंह जैन बहादुर	99

विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृति एवं समस्याएँ एक अध्ययन	रश्मि कुमारी राजौरा	114
अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन	मनोज कुमार शुक्ला सुरेश चन्द्र पचौरी	129

संपादकीय

भारतीय आधुनिक शिक्षा की अकादमिक संपादकीय समिति की ओर से सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ! यह नववर्ष 2022 हम सभी के लिए नए संकल्प एवं उत्साह लेकर आया है। ऐसे संकल्प जो आज़ादी के अमृतकाल में देश को और समर्थ एवं सक्षम बनाने वाले हैं। यहाँ से हमें कुछ नया करने का संकल्प लेना है, जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली के संकल्पों को आधार देने के लिए हमारे पास *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* है। हमने इस नीति के क्रियान्वयन की शुरुआत कर दी है, जिसकी कार्य योजना 'सार्थक' दस्तावेज़ में की गई है। "सार्थक" के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी इकाइयाँ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा बच्चों एवं युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के विविध प्रयासों में जुट गई हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में, इस अंक में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विविध पहलुओं पर आधारित लेख एवं शोध पत्र सम्मिलित किए गए हैं।

विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है, जिसे बाल संसद के रूप में नवाचारी शिक्षण-अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। इसी पर आधारित लेख 'विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखने में बाल संसद की भूमिका— एक नवाचारी प्रयास' में बाल संसद का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। साथ ही, इस लेख का मुख्य उद्देश्य बाल संसद के माध्यम से विद्यालय संचालन में विद्यार्थियों में विविध क्षमताओं का विकास करना तथा विद्यालय संचालन में उनकी भूमिका को बताना है।

देश की शिक्षा व्यवस्था के विकास में लोकतांत्रिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है। इसी विकेन्द्रीकरण को शोध पत्र 'विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका का अध्ययन' में बताया गया है।

भारत में सामान्यत: महिलाओं के सशक्तिकरण को उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इसी पर आधारित लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण' के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक भिन्न परिप्रेक्ष्य से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक सशक्तिकरण प्रमुख है।

प्रसन्नचित शिक्षार्थियों में अधिगम एवं विकास सरलतापूर्वक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर होता है। शोध पत्र 'खुशहाली पाठ्यचर्या एवं गणित फोबिया— एक अध्ययन' खुशहाली पाठ्यचर्या के बारे में शिक्षार्थियों की धारणा और विद्यालय में पढ़ते समय शिक्षार्थियों में व्याप्त गणितीय भय की समस्या को हल करने में खुशहाली पाठ्यचर्या की भूमिका को प्रस्तुत करता है।

'वाह रे! बोर्ड परीक्षाफल' एक ऐसा लेख है, जो विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित है। इस लेख में लेखक द्वारा बताया गया है कि बच्चों द्वारा प्राप्त प्रतिशत की रेखा पिछले कुछ दशकों से जिस तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। लेकिन चिंतन का विषय यह है कि पहले ऐसा क्यों नहीं था? बच्चे बदल गए

या मूल्यांकन करने वाले या परीक्षा प्रणाली? इसी सवाल, इसके महत्व, वर्तमान समय के मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों को लेखक ने इस लेख में एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

'संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान एवं शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता' पर आधारित लेख दिया गया है। जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान के द्वारा 'सोच' को दृश्यमान बनाने का कार्य किया जाता है।

वहीं 'आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की विद्यालयी शिक्षा में प्रासंगिकता' पर आधारित लेख आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को शिक्षण-अधिगम की एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रस्तुत करता है। यह लेख न्याय और सामाजिक समानता के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को मज़बूत करने तथा अपने ज्ञान में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका के जनवरी 2017 से अक्तूबर 2020 की समयावधि में प्रकाशित हुए 16 अंकों में से सात शोध पत्रों का चयन कर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित शोध पत्र 'नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता— एक परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन' दिया गया है। इस शोध अध्ययन में शोधार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर किसी न किसी नवाचारी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता के अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। जबकि लेख '*भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका के वर्ष 2014 से 2019 तक प्रकाशित अंकों का बिब्लिओमेट्रिक विश्लेषण' प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ सूची के अध्ययन में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस शोध पत्र में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों में लिखे गए लेखों के विषयों की मैपिंग भी प्रस्तुत की गई है, जो पाठकों को इस पत्रिका के व्यापक स्वरूप को समझने एवं योगदान देने में मार्गदर्शित करेगी।

विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं से संपन्न होती है जो संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों एवं उसके ताने-बाने से संबंधित होती है। शोध पत्र 'विद्यालयी शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अंतर्द्वंद्व एवं सार्थक समाधान' में शोधार्थियों द्वारा अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के बीच शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनमें व्याप्त अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इन अंतर्द्वंद्वों के समाधान को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* तैयार की गई है। इन्हीं सरोकारों को इतिहास विषय में सहजता से समावेश कर पढ़ाया जाता है। इन्हीं सरोकारों को शोध पत्र 'विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृति एवं समस्याएँ— एक अध्ययन' प्रस्तुत करता है। इस शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया गया कि इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों और अध्यापकों की सकारात्मक अभिवृत्ति है किंतु विद्यार्थियों में उपयुक्त सहायता एवं मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनमें इतिहास विषय की जागरूकता का अभाव है।

वहीं शोध पत्र 'अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन' दिया गया है। इस शोध अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व पर प्रभाव पड़ता है।

अकादमिक संपादकीय समिति

विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखने में बाल संसद की भूमिका
एक नवाचारी प्रयास

हर्षवर्धन*
सुहासिनी बाजपेयी**

शिक्षा के माध्यम से बच्चों में बाल्यावस्था से ही उनमें निहित सुसुप्त क्षमताओं एवं कौशलों का विकास किया जा रहा है। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों में सामान्यत: पुस्तकीय ज्ञान एवं परीक्षाओं में व्यस्त रखने का ही कार्य कर रही है, जिसके कारण वे प्राय: वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अतः एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का अवसर दे। इसके लिए अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कई नवाचारी शिक्षण-अधिगम विधियों को संचालित किया जा रहा है, जैसे— खेल-खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, खिलौना आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, आईसीटी आधारित शिक्षा, कॉन्सैप्ट मैपिंग, बाल संसद आदि। इस लेख में बाल संसद का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसकी संरचना को बताने का प्रयास किया गया। साथ ही, इस लेख का मुख्य उद्देश्य बाल संसद के माध्यम से विद्यालय संचालन में विद्यार्थियों में विविध क्षमताओं का विकास करना तथा विद्यालय संचालन में उनकी भूमिका को बताना है। इसके अलावा, बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाल संसद विद्यालय संचालन में कैसे सहायक हो सकती है? इन प्रश्नों के आधार पर बाल संसद का वर्णन भी किया गया है।

विद्यालय समाज की वह इकाई है जो विद्यार्थियों के विकास में अभीष्ट भूमिका का निर्वहन करती है। इसलिए विद्यालय का स्वरूप कैसा हो एवं उसमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा किस प्रकार की हो? इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। पारिभाषिक रूप में विद्यालय संगठन एक ऐसी संरचना है जिसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी आदि शिक्षा की प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं तथा शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना भी इसमें समाहित है। वहीं विद्यालय संस्कृति का वह केंद्र है जिसमें विद्यार्थियों के भावी जीवन का निर्धारण होता है। विद्यालय एक वृहद् संकल्पना है, जिसमें मानवीय, भौतिक, राजनैतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक आदि संकल्पनाएँ समाहित होती हैं जिसके माध्यम से अध्यापक-विद्यार्थी के संबंध को समग्र रूप से समझा जा सकता है। एक

शोधार्थी, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के रूप में उसे यह संज्ञान होना आवश्यक है कि उसके विद्यालय की विवेचना दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर पर की गई हो, जिसमें सभी सहयोगात्मक रूप से कार्यरत हों। लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या विद्यालय संगठन में केवल अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है? क्या विद्यालय के सकुशल संचालन में विद्यार्थी अपनी भूमिका निभा सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, जिनका निवारण प्राथमिक शिक्षा के विस्तारण में उपयोगी होगा।

प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसे आवश्यकता अनुरूप उपागम या अभिकरण अथवा वित्त के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस लेख में केवल प्राथमिक शिक्षा के वित्तीय वर्गीकरण को केंद्र में रखा गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के वित्तीय वर्गीकरण को तीन प्रकारों में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम, पूर्णत: सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, द्वितीय अर्द्ध-सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एवं तृतीय स्व-वित्तपोषित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। जब हम इन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तब हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक विद्यालय एवं स्व-वित्तपोषित प्राथमिक विद्यालयों में कितनी असमानताएँ हैं? जहाँ संभवत: स्व-वित्तपोषित विद्यालय में अध्यापक, पाठयक्रम, विद्यालय संरचना एवं वित्त में नियमितता रहती है। इसके अतिरिक्त अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इन्हीं विद्यालयों का चयन करने में रुचि रखते हैं। वहीं सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो हम पाते हैं कि इन विद्यालयों की छवि कुछ धूमिल होती जा रही है। इसका मुख्य कारण अध्यापकों की कमी, विद्यालय की संरचना में सुधार की कमी, लचर व्यवस्था, अकुशल प्रशासन, नवचारिता एवं पाठ्य-सहगामी गतिविधियों आदि की कमी है (पाल, 2019)।

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों द्वारा प्राथमिक स्तर पर कई नवाचारों का संचालन किया गया है। नवाचार के द्वारा ही कम से कम खर्च में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है एवं अध्यापक-विद्यार्थी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध, विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं शिक्षा को रुचिकर एवं सरल बनाकर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार, जैसे— छात्र-प्रोफाइल, खेल-खेल में शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सरल अंग्रेजी माध्यम, कॉन्सैप्ट मैपिंग एवं बाल संसद आदि। इस लेख का मुख्य उद्देश्य विद्यालय संचालन में विद्यार्थी कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं? बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बाल संसद विद्यालय संचालन में कैसे सहायक हो सकती है? आदि प्रश्नों के उत्तर पूर्व में हुए शोध अध्ययनों की साहित्यिक समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर शोधार्थी द्वारा दिए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बिंदु 4.6 के अनुसार, "सभी चरणों में प्रयोग आधारित अधिगम को अपनाया जाए जिससे विद्यार्थी स्वयं करके सीखें

एवं प्रत्येक विषय में कला एवं खेल को एकीकृत किया जाए" जिससे विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी रहे इस उत्सुकता को बनाए रखने के अवसर विद्यार्थियों को बाल संसद से प्राप्त होते हैं— जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने की ओर प्रोत्साहित करता है और यह सीखना केवल पुस्तक के माध्यम से न होकर अनेक गतिविधियों एवं खेल पर आधारित होता है विद्यार्थियों में खोज-आधारित, चर्चा-आधारित एवं विश्लेषण-आधारित अधिगम को विकसित करने के लिए अनुप्रयोग एवं समस्या-समाधान विधि की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बाल संसद के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से की जा सकती है। इस प्रकार बाल संसद की अवधारणा एवं क्रियाकलापों की स्पष्ट झलक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी देखने को मिलती है। अतः वर्तमान समय में लगभग सभी विद्यालयों में बाल संसद की अवधारणा को विस्तारित करने की आवश्यकता है।

बाल संसद का संक्षिप्त विवरण

बाल संसद, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को सिखाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई एक छोटी इकाई है। यह विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक एवं नागरिक कौशल विकसित करने का माध्यम है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें विद्यार्थियों का समूह विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन प्रक्रिया में सहभागिता करता है। इसमें स्थानीय एवं वैश्विक समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने एवं उसका समाधान करने की स्वतंत्रता होती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक प्रणाली के कार्य, बाल अधिकार, मूल अधिकार, निर्णय क्षमता का विकास एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना आदि होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अपने विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यावरण गतिविधियों एवं बहु-सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जैसे— विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है (मसाला और अन्य, 2000)। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन*-2 का लक्ष्य विद्यार्थियों में सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भ में भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप तार्किक समझ व विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना है। अतः इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता, तार्किक व विश्लेषणात्मक चिंतन को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यदि बाल संसद की अवधारणा एवं क्रियाकलाप को देखें तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आपस में विचार-विमर्श कर एक-दूसरे में नागरिकता एवं संवैधानिक साक्षरता जैसे गुणों का विकास करना है। यह पाठ्यपुस्तक भी इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। बाल संसद के उद्देश्य एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन* के उद्देश्य में समानता है। ऐसे में यदि हमें इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से पूर्ण करना है तो इसके एक विकल्प के रूप में हम बाल संसद का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि बाल संसद के माध्यम से इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2008)।

अब हम बाल संसद के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हैं? बाल संसद का उद्भव विभिन्न देशों की लोकतंत्र व राजनीति के अनुरूप हुआ है।

जिसके फलस्वरूप इसमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। परंतु इसका सृजन वर्ष 1990 में जिम्बाब्वे में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बालश्रम, यौन शोषण, भेदभाव, विद्यालय समस्या एवं स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। वहाँ बाल संसद का स्वरूप संसद की भाँति ही होता है। इसमें सर्वप्रथम संसद के कुछ सदस्यों को चुनकर एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का कार्य उन समस्याओं को चिह्नित कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है जो विद्यालय के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बाल संसद इनका समाधान करने के लिए नीतियों का निर्माण करती है। इस समिति के सदस्य विद्यालयों का भ्रमण करते हुए इन विद्यालयों में से ऐसे विद्यार्थियों का चयन करते हैं, जिनमें सम्प्रेषण, आत्म-अभिव्यक्ति एवं वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता आदि हो। इन विद्यार्थियों के चयन के पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को एक विषय प्रदान किया जाता है जो उसका कार्य-क्षेत्र कहलाता है। इन विषयों के साथ विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। समिति इन सभी सूचनाओं पर रिपोर्ट तैयार कर संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिससे संसद इन सूचनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण कर उनके सार्थक क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। (एल-शामी, 2008)।

बाल संसद की संरचना

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल संसद, भारतीय संसद का ही एक छोटा रूप है, जिसे संसद के स्वरूप के अनुसार ही निर्मित किया जाता है। इसमें भी कुछ विशिष्ट पदाधिकारियों के पद होते हैं, जैसे—प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्रालय आदि। इन सभी पदों के लिए नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण की जाती है। इन सभी पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक विद्यार्थी स्वयं अपना नाम अध्यापकों को देते हैं। अध्यापकों के द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि बाल संसद के विशिष्ट पद, जैसे— प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के ही विद्यार्थियों का चयन हो। चुनावी प्रक्रिया का संपूर्ण कार्य विद्यार्थियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है तथा अध्यापक इस चुनावी प्रक्रिया का बाह्य रूप से अवलोकन एवं मार्गदर्शन करते हैं। चुनाव में विजयी प्रतिभागियों को शपथ ग्रहण कराई जाती है। बाल संसद के स्वरूप को चित्र 1 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है (*बाल संसद— एक परिचय,* 2016)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 4.28 के अनुसार,

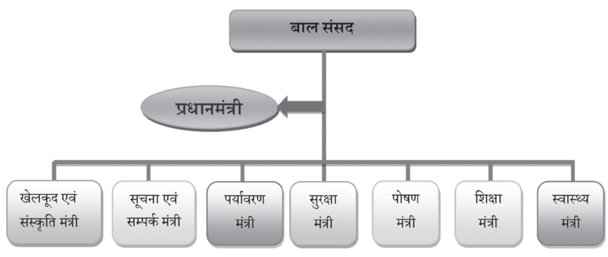

चित्र 1— बाल संसद का स्वरूप
(*बाल संसद— एक परिचय*, 2016)

"भारतीय संविधान के अंश को सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा।" जो यह स्पष्ट करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए अर्थात उन्हें भारतीय संविधान की सामान्य समझ

अवश्य हो। वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा में यदि बाल संसद को विस्तार दिया जाए, तो बाल संसद *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में वर्णित उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बाल संसद विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

इस प्रश्न पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अपने व्यक्तिगत विचार एवं जीवन के अनुभव होते हैं, जो उनके अभिभावकों एवं समाज के व्यक्तियों के विचारों से भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि परिवारों एवं समाज में किसी भी मुद्दे पर विचार एवं निर्णय अभिभावकों एवं समाज के व्यक्तियों (बड़ों) के द्वारा ही लिए जाते हैं; जो सभी के लिए मान्य होते हैं। इसलिए पारिवारिक या सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेते समय बड़ों द्वारा बच्चों के विचार न ही पूछे जाते हैं और न ही सुने जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बड़ों द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेते समय बच्चों के विचारों को सुना जाए। बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को साझा करने का एक सशक्त माध्यम बाल संसद है। जहाँ बच्चे अपने विचारों एवं अनुभवों को खुलकर प्रेषित कर सकते हैं तथा दूसरे बच्चों के विचारों को सुनकर उस पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इससे सभी बच्चों को अपने विचार प्रेषित करने का समान अवसर मिलेगा (पोनेट, 2011)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 2.7 के अनुसार, वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट विद्यार्थियों का न सीखना है। सभी के लिए साक्षरता प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में अध्यापकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। विद्यार्थी जब आपस में अंतर्क्रिया करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। जिसमें बाल संसद सभी विद्यार्थियों को समान रूप से बोलने एवं एक-दूसरे से विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में बाल संसद *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के उद्देश्य को पूरा करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है।

विद्यालय संचालन में बाल संसद

बाल संसद के संगठन के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय संचालन में बाल संसद किस प्रकार सहायक होगी? चुनावी प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जब सभी चुने हुए विद्यार्थी अपने-अपने पदों को ग्रहण कर लेते हैं तो इन सभी का प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री सभी को उनके कार्यों से अवगत कराता है, जैसे— पर्यावरण मंत्रालय का कार्य पेड़-पौधों की देखभाल करना, शिक्षा मंत्रालय का कार्य अध्यापक के कक्षा में अनुपस्थित होने पर कक्षा में सभी विद्यार्थी स्व-अध्ययन करें आदि हैं। प्रधानमंत्री का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह नियमित रूप से इन सभी के कार्यों का अवलोकन कर सप्ताह या माह में एक बार इन सभी का विवरण अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करे। अत: विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बाल संसद की आवश्यकता का वर्णन निम्न रूप से किया जा सकता है—

1. **निर्णय क्षमता**— यह एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। निर्णय

लेते समय व्यक्ति का आंतरिक संवेदनाओं, भावनाओं एवं व्यवहारों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। एक निर्णयकर्ता में यह विशेषता होती है कि निर्णय लेते समय वह बाह्य प्रभावों से विचलित न हो। किसी व्यक्ति में निर्णय लेते समय आत्मविश्वास एवं सकारात्मक भावना होनी आवश्यक है। बाल संसद विद्यार्थियों को ऐसा ही वातावरण प्रदान करती है जिससे वह अपने विचारों को सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकें। इससे विद्यार्थियों में स्वयं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप वे प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे (नूपुर, 2015)।

2. **सम्प्रेषण**— यह एक सामाजिक अंतर्क्रिया है जिसका प्रयोग व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए करता है। बाल संसद प्रत्येक विद्यार्थी को यह अवसर प्रदान करती है कि वह अपने विचार को सभी के समक्ष खुलकर प्रस्तुत कर सके। इससे विद्यार्थियों में कई गुणों का विकास होगा, जैसे— किसी विचार की गहनता को समझने के पश्चात सम्प्रेषित करना, अपने विचारों से दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित करना, स्वयं पर विश्वास करना आदि। सम्प्रेषण में यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि हम किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को आहत किए बिना अपने विचारों को व्यक्त करें। जिस विद्यार्थी या व्यक्ति में अपने विचारों को अन्य विद्यार्थियों या व्यक्तियों के समक्ष सरलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है, उनमें व्यावहारिक कुशलता अधिक हो सकती है एवं वे किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं (डेवरिस, 2004)।

3. **सृजनात्मक चिंतन**— विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्य अध्यापकों पर निर्भर रहता है, जिसमें प्राय: अध्यापक अधिक सक्रिय रहते हैं क्योंकि एक अध्यापक के रूप में सभी विद्यार्थियों तक पहुँचना एक अनिवार्य कौशल है लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा कर पाना एक जटिल कार्य है। इसलिए विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहाँ विद्यार्थी स्वयं को प्रतिबंधित महसूस न करें। बाल संसद विद्यार्थियों का संगठन है। इसका संचालन विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। सभी विद्यार्थी अपने अंदर भिन्न-भिन्न विचारों को सँजोए रखते हैं। अत: उन्हें बाल संसद में प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। बाल संसद विद्यार्थियों को ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जिसमें वे अपनी सृजनात्मकता को सभी के समक्ष सहजता से प्रस्तुत कर सकें (*प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल, 2020*)।

4. **समस्या-समाधान**— सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों का शालात्याग है। इन विद्यार्थियों के विद्यालय न आने के कारणों को जानने का कार्य एवं उसका समाधान विद्यार्थी स्वयं ही कर सकते हैं। क्योंकि जितना एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को गहनता से समझ सकता है उस स्तर तक अध्यापक पहुँचने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वह अध्यापक को उस विद्यार्थी (शालात्यागी विद्यार्थी) के अभिभावकों से मिला सकता है जिससे उसके विद्यालय न आने के कारण को पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके।

5. **सांस्कृतिक गतिविधियाँ**— विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बाल संसद गठित विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विद्यालय केवल स्थान उपलब्ध कराता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना बाल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाल संसद के सदस्यों द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की समय-सारणी तैयार कर ली जाती है तथा सभी सदस्यों को उनके कार्यों से अवगत कराया जाता है। इस प्रक्रिया में वे सभी सदस्य एक प्रणाली की तरह कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में बाल संसद विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने में भी सहायक होती है (*बाल संसद— एक परिचय,* 2016)।
6. **नेतृत्व क्षमता**— बालक के अंत:करण में अनेक क्षमताएँ सुसुप्त अवस्था में होती हैं। बाल संसद विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान करती है कि वह इन सुसुप्त क्षमताओं का विकास स्वयं कर सके। यह मंच विद्यार्थी को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है, जिसमें वह स्वतः क्रिया करने एवं निर्णय लेने में सक्षम हो, जिससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके और वह अपने समूह का नेतृत्व करने में सक्षम बन सकें।
7. **पर्यावरण जागरूकता**— विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सजग करने लिए यह मंच अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को पेड़-पौधों की देखभाल करना, परिसर की घेरा-बंदी करना, कचरे का प्रबंधन करना, विद्यालय में स्वच्छता सुनिश्चित करना एवं सभी को इसके प्रति जागरूक करना, जल को संरक्षित करना, शौचालय की साफ़-सफ़ाई करना आदि कार्य सिखाए जाते हैं। ये सब कार्य कुशल पर्यावरणीय वातावरण का सृजन करने में सहायक होंगे।
8. **सहानुभूति**— विद्यालय में अनेक प्रकार के शैक्षणिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इन क्रियाकलापों में सभी विद्यार्थी आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थी एक-दूसरे की भावनाओं, धारणाओं, परिस्थितियों को समझने एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। यह आपसी सहानुभूतिक भावना ही है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा एक-दूसरे की भावनाओं एवं अनुभूतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित संसद में यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना, मित्रवत संबंधों में विश्वास और घनिष्ठता का विकास किया जा सकता है।
9. **समाज निर्माण**— वर्तमान समय में हमें ऐसे साधन की आवश्यकता है जो विद्यालय एवं समाज के मध्य एक पुल का कार्य कर सके। वास्तव में, बाल संसद एक ऐसा ही साधन है। इस मंच का कार्य विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि यह समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करता है ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्ष

बाल संसद विद्यार्थियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसमें वे अपने जीवन के विकास एवं कार्यों

की ज़िम्मेदारियों का अनुभव स्वयं कर सकें। इससे विद्यार्थी स्वःअनुशासन एवं स्वःअभिप्रेरित होते हुए मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास विकसित होगा। जब उन्हें समूह का मार्गदर्शन करने का अवसर दिया जाता है तब वह स्वयं के व्यक्तित्व और अपने नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं और जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में हमें स्थानीय एवं वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है, इसलिए बाल संसद विद्यार्थियों को सभ्यता, समाज एवं धार्मिक संरचनाओं को समझने के साथ-साथ उस पर चर्चा करने के अवसर भी प्रदान करती है। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतिभाग करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। यदि वृहद स्तर पर विचार करें तो बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थी शासन की कार्यप्रणाली को सूक्ष्म से वृहद स्तर (जैसे— सर्वप्रथम वह अपने पास-पड़ोस एवं गाँव की प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हुए पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर) तक समझ सकेंगे। यह व्यवस्था उन्हें नई वैश्विक व्यवस्था का अग्रगामी वाहक बनाने में सक्षम बनाएगी। (काला, 2015; दीक्षित, 2018)।

संदर्भ

एल-शामी, यू. के. 2008. *फर्स्ट रिपोर्ट बाइ द चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट ऑन द कंडिशन ऑफ चिल्ड्रेन इन यमन.* (चाइल्ड राइट्स रिसोर्स सेंटर) पृष्ठ संख्या 1–21. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/4742/pdf/4742.pdf

काला, एस. 2015. *लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट*. 20 दिसंबर 2020 को https://www.goodshepherd-asiapacific.org.au/project/92 से पुन: प्राप्त किया गया.

डेवरिस, के. ओ. 2004. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट— द कम्युनिकेशन इनिशिएटिव नेटवर्क*. 20 दिसंबर 2020 को https://www.comminit.com/global/content/childrens-parliament से पुन: प्राप्त किया गया.

दीक्षित, पी. 2018. बाल संसद के रास्ते. *प्राथमिक शिक्षक*. 4 (42), पृष्ठ संख्या 36–41. 20 दिसंबर 2020 को https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/Prathmik_Shikshak_Oct18.pdf से पुन: प्राप्त किया गया.

नूपुर, एस. 2015. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट एंड चिल्ड्रेन्स काउंसिल्स इन वर्ल्ड विजन प्रोग्राम्स*. 1–3. https://www.wvi.org/sites/default/files/Children%E2%80%99s%20Parliaments%20and%20Children%E2%80%99s%20Councils%20in%20WV%20programmes.pdf

पाल, एस. के. 2019. भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन. *जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कोलरी रिसर्चेस इन एलाइड एजुकेशन*. 5(16), पृष्ठ संख्या 237–243. http://ignited.in/I/a/89376

प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल. 2020. *चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट गिविंग आइडियास ए वॉइस*. 22 जनवरी 2021 को https://www.childrensparliament.org.uk/support/programmes-teachers-schools/ से पुन: प्राप्त किया गया.

मसाला, जी. बी., मुगोची, वाई. पी., गमबीजा, के., सौरोंबे, ओ., गंबरा, जे., वामबे, डी., गोरा, जे. और अंबरीक्क, एल. 2000. *अवर राइट टू बी हर्ड— वॉइस ऑफ द चिल्ड्रेन पार्लियामेंटेरियंस इन जिम्बाब्वे*. ED450022, 1–29.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र— अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 3–6, 18–31. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

———. बुनियादी साक्षारता एवं संख्या-ज्ञान— सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 13–15. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

यूनिसेफ. 2016. *बाल संसद— एक परिचय.* https://sujal-swachhsangraha.gov.in/sites/default/files/Unicef_Bal_sansad_book_0.pdf

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2008. *सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. https://ncert.nic.in/textbook.php?hhss3=0-10

विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका का अध्ययन

गणेश शुक्ल*

यह शोध पत्र 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में पंचायती राज के अंतर्गत गठित ग्रामीण स्तर पर पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति की शिक्षा में भूमिका पर केंद्रित शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के दो ब्लॉक तथा दोनों ब्लॉकों से परस्पर 3–3 ग्राम शिक्षा समितियों का सरल यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। आँकड़ों के संकलन के लिए स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त उत्तरों को एकसमान विषयवस्तु (थीम) में वर्गीकृत किया गया एवं कोडिंग प्रक्रिया (कोडिंग प्रोसेस) द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया तथा आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालयी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, भौतिक संसाधन, विद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण, स्वच्छ वातावरण, विद्यालय में नामांकन वृद्धि करने तथा अन्य गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु योगदान दे रही हैं।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था से दृष्टिगोचर होता है। पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा वैदिक काल से भी पूर्व की है। मौर्य काल तक पंचायतों के कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रुचि लिया करते थे। तात्कालिक राजनीति के ज्ञाता चाणक्य ग्राम को राजनीति की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। वस्तुतः इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में पंचायती राज, मौर्यकालीन शासन में पंचायती राज, गुप्तकालीन शासन में पंचायती राज, दक्षिणी चोल साम्राज्य में पंचायती राज एवं मुगल काल में पंचायती राज के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। फाहयान लिखता है, "ग्रामों का संगठन आर्थिक तथा रक्षात्मक स्वावलंबन के विचारों पर आधारित होता है यह ग्राम राज्य का प्रतिफल है। वे लोग स्वेच्छा से बंधुता के नियमों का पालन करते हैं और बड़े शांतिप्रिय तथा उन्नतिशील हैं।" पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए सर हरबर्ट रिजले ने लिखा है, "लोग एक प्रश्न को लेकर बुद्धिमानी से उस पर सोचते विचार-विनिमय करते और उससे संबंधित बातों पर सर्वांगरूपेण टीका-टिप्पणी करने के उपरांत किसी एक निश्चियात्मक निर्णय पर पहुँचते थे।

* *शोधार्थी*, शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संस्थान, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, पूर्व चम्पारन, बिहार 845401

वहाँ बहुमत का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता क्योंकि वे सब एकमत होते हैं।"

महात्मा गाँधी का स्वराज एवं पंचायती राज

मेरे सपनों का भारत में महात्मा गाँधी कहते हैं कि ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना एक ऐसे प्रजातंत्र से है जो अपनी अहम ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा, उन ज़रूरतों की पूर्ति जिसमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य हो, परस्पर सहयोग से काम लेगा। हर एक गाँव में गाँव की अपनी एक नाट्यशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। बुनियादी तालीम की आखिरी व्यक्ति तक पहुँच तथा सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होगी और जहाँ तक संभव होगा गाँव के संपूर्ण काम सहयोग के आधार पर किए जाएँगे। जिसका एक सामाजिक निहितार्थ यह भी होगा कि समाज में जो जात-पात और क्रमागत अस्पृश्यता विद्यमान है, उसे खत्म किया जा सकता है। सत्याग्रह और असहयोग के शास्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। महात्मा गाँधी यह मानते थे कि आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए, जिसमें मुख्य कड़ी के रूप में पंचायत राज को मानते थे। हर गाँव की अपनी-अपनी सत्ता एवं ताकत हो, जिसके द्वारा गाँव अपनी ज़रूरतों को पूरा करके अपने पैरों पर खड़ा होगा। वह अपने दुश्मनों से रक्षा स्वयं करेगा, वह अपने आप को इस प्रकार विकसित करेगा कि आने वाली हर समस्या का सामना कर सके। इसके द्वारा गाँधी की कल्पना यही थी कि सब लोग आज़ाद हों और एक-दूसरे पर अपना असर डाल सकें। गाँधीजी का इसमें पूर्ण विश्वास था कि जब हिंदुस्तान के हर एक गाँव में पंचायत राज कायम होगा, तब अपनी इस तसवीर की सच्चाई साबित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे अथवा न कोई आखिरी और न पहला होगा अर्थात यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी का ग्राम स्वराज, पंचायती राज के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना का प्रयास वास्तविक रूपों में सजीव एवं साकार प्रयास था। 2 सितंबर, 1959 को राजस्थान विधानमंडल द्वारा सर्वप्रथम पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा इसे 2 अक्तूबर 1959 को लागू किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया।

भारत के संविधान में भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज की अवधारणा को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें ऐसी स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा। इसी अनुच्छेद की मूल भावना के अनुरूप पंचायती राज की संस्थाएँ सामने आईं।

भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के ढाँचे में सुधार लाने हेतु अनेक समितियों का गठन किया, जिनमें प्रमुख हैं—

बलवंत राय मेहता समिति (1957)

इस समिति का गठन सन् 1957 में किया गया था। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं को रखा था, जिसमें—

- पंचायती राज्य का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए यथा ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद हो।
- पंचायतें पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाइयाँ होनी चाहिए।
- इन पंचायतों में महिलाओं के दो तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एक-एक प्रतिनिधि होने चाहिए।

अशोक मेहता समिति (1977)

इस समिति का गठन अशोक मेहता की अध्यक्षता में सन् 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति के प्रमुख महत्वपूर्ण सुझाव निम्न थे—

- पंचायती राज का ढाँचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय होना चाहिए।
- पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

संविधान के 64वें संशोधन अधिनियम (1990) के अनुसार

- पंचायती राज संस्थानों का ढाँचा त्रिस्तरीय होगा— ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर।
- पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
- पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम (1993) के अनुसार

इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं—

- त्रिस्तरीय ढाँचा
- महिला आरक्षण (30 प्रतिशत)
- निश्चित कार्यकाल
- पंचायती राज का विस्तृत कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थान

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 में पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तरों की पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) में एकरूपता की गई। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015–16 में संपन्न हुए।

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए छह समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं—

- नियोजन एवं विकास समिति
- शिक्षा समिति
- निर्माण कार्य समिति
- स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
- प्रशासनिक समिति
- जल प्रबंधन समिति

ग्राम पंचायत का प्रधान	अध्यक्ष
ग्राम पंचायत का उप प्रधान	सदस्य
ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित महिला सदस्य	सदस्य
ग्राम पंचायत का एक अनुसूचित जाति का सदस्य	सदस्य
ग्राम पंचायत का एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यदि कोई हो	सदस्य
महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से भिन्न ग्राम पंचायत का एक सदस्य	सदस्य
बेसिक स्कूलों के तीन संरक्षक जो प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएँगे	सदस्य
उस ग्राम सभा में बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और एक से अधिक ऐसे स्कूल होंगे तो उनमें से श्रेष्ठतम प्रधान अध्यापक	सचिव
ग्राम पंचायत के कार्यरत नेहरू/महिला मंगल दल, महिला सदस्य आदि स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जो प्रधान द्वारा नामित किया जाएगा।	

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम शिक्षा समिति गठित की जाती है। यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा (11) (1) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार गठित की जाती है।

ग्राम शिक्षा समिति के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य

- ग्राम शिक्षा समिति, खंड बेसिक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी।
- बेसिक स्कूलों को आवश्यक सुविधाएँ व उपस्कर उपलब्ध कराने में सहायता देना।
- बेसिक स्कूलों के भीतर या बाहर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों और कर्मचारियों को सहायता देना।
- बेसिक स्कूलों के समुचित संचालन में सहायता प्रदान करना, अध्यापकों पर सम्यक नियंत्रण रखना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देना।
- बेसिक स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति का मासिक अनुश्रवण करना और यदि किसी ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाए, तो उसमें सुधार के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को उपाय सुझाना।
- नए बेसिक स्कूल स्थापित करना तथा उनका भवन निर्माण/ मरम्मत करना।
- भवनहीन प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु तैयार की गई कार्य योजना के तहत भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।
- विद्यालय संपत्ति का रख-रखाव करना।
- संबंधित बेसिक विद्यालयों में लगे हैंडपंप तथा शौचालयों के रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत तथा मरम्मत की आवश्यकता का आकलन कर मरम्मत आदि करवाना।
- स्कूल मैपिंग व माइक्रो प्लानिंग अभ्यास के आधार पर ग्राम के लिए शिक्षा योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना।

- समिति के सदस्य सचिव बैठकों के कार्यवृत्त पंचायत समिति/जिला शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करना।

शोध का औचित्य

यह शोध कार्य संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गठित की गई ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित है। वर्तमान में ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित शोध कार्य बहुत सीमित हुए हैं। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, जिसे विद्यालयी शिक्षा के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अतः यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोग विद्यालयी शिक्षा के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं? जिस मूल भावना और उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? इन्हीं प्रश्नों को आधार बनाते हुए शोधार्थी द्वारा यह शोध अध्ययन किया गया।

शोध उद्देश्य

1. ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
2. ग्राम शिक्षा समिति के बाधक तत्वों का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध का परिसीमन

इस शोध कार्य में शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में गठित शिक्षा समितियों का शोध अध्ययन हेतु चयन किया था।

शोध विधि

इस शोध कार्य में शोधार्थी ने वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था।

न्यादर्श

सरल यादृच्छिक विधि द्वारा प्रयागराज जनपद में 20 ब्लॉकों में से क्रमशः दो ब्लॉक (सैदाबाद एवं धनुपुर) का चयन किया गया था, इन दोनों ब्लॉकों से परस्पर क्रमशः 3–3 ग्राम शिक्षा समिति (मडुवाडीह, गढ़वा; रसूलमवैया, कुकुढ़ा तथा कुनौरा, खिजिरिहा) का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी ने शोध के आँकड़े एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया था।

आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन

आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए शोधार्थी ने ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों, अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से फरवरी, 2019 में आँकड़े एकत्रित किए थे। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 47 प्रश्न थे, जो ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली की एक रूपरेखा पर आधारित थे। शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा समिति के सभी हितधारकों से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात एकसमान विषयवस्तु के अलग-अलग उत्तरों को वर्गीकृत कर कोडिंग प्रक्रिया द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए उत्तरों में से एकसमान उत्तरों (कॉमन रिस्पोंस) को पृथक किया गया तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया।

1. *उद्देश्य— ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन करना*

शोधार्थी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों से प्राप्त एकसमान उत्तरों के आधार पर शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली के लिए श्रेणियाँ निर्मित की गई थीं। जिसका श्रेणीवार विश्लेषण इस प्रकार है—

- *ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना है*

  इस श्रेणी के अंतर्गत समिति के सभी हितधारक विद्यालयी शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों ने कहा कि, "विद्यालय में सभी शैक्षिक क्रियाओं की देख-रेख करना, विद्यालय में कक्षा का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, अध्यापक समय से विद्यालय आ रहे हैं या नहीं, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है या नहीं तथा विद्यालयी संचालन में समस्याओं को दूर करना हमारा काम है। इसके अलावा हमें साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता है तथा सफ़ाईकर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती है।" दो अध्यक्षों ने कहा कि 'हम विद्यालय के शैक्षिक क्रियान्वयन में सहभागिता करते हैं।' हम सभी का प्रयास होता है कि कैसे अच्छे तरीके से विद्यालय का संचालन हो और हमारा विद्यालय एक मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित हो। हम सब सभी शैक्षिक क्रियाओं में सहभागिता करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि विद्यालय का हर कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो। क्योंकि विद्यालय में हमारे घर, परिवार, समाज के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वे कल का भविष्य हैं।' इसलिए हम सभी की भावना होती है कि विद्यालय अच्छे तरीके से संचालित हों।' एक अध्यक्ष के अनुसार, हमारी सेवा विद्यालय के कार्य में हर संभव मदद करना; विद्यालय की उन्नति, विकास एवं संचालन में मदद करना विद्यालय भवन निर्माण, साफ़-सफ़ाई, शौचालय, चहारदीवारी आदि का निर्माण करना। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों ने शिक्षा समिति के कार्य के रूप में शैक्षिक योजनाओं को लागू करना प्रमुख उद्देश्य बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समिति के अध्यक्ष भी हम सभी को योगदान देते हैं। हम सब लोकतांत्रिक पहल से महत्वपूर्ण कार्यों का निदान करते हैं। यह बात अलग है कि छह सचिवों में से तीन सचिवों को ग्राम शिक्षा समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अर्थात ग्रामीण शिक्षा समिति के ज़िम्मेदार पदाधिकारी के रूप में सचिवों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी शिक्षा समिति के अध्यक्ष अपने अधिकारों की सीमा में शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अवलोकन कर रहे हैं परंतु शिक्षा समिति के सचिवों के दायित्वों के निर्वहन में कमी पाई गई।

- *सरकारी विद्यालयों का मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य*

  इस श्रेणी के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुसार, 'प्राथमिक विद्यालय

कुंदेरामपुर, विकास क्षेत्र अमौली, जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर विद्यालय का निर्माण करना।' समिति के अध्यक्षों द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि वे सब अपने ग्राम सभा के सरकारी विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह साधन संपन्न एवं समृद्ध कर रहे हैं, जिससे सामाजिक भ्रम टूटे कि सरकारी विद्यालयों में भौतिक संसाधन का अभाव है और माता-पिता अपने पाल्यों को सरकारी विद्यालय भेजें अर्थात सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को वही सुविधाएँ मिलें, जो पब्लिक स्कूलों में मिलती हैं। ताकि सरकारी विद्यालय परिसर विद्यार्थियों को आकर्षित करें और उनका विद्यालय परिसर में ठहराव बना रहे।

- *लोकतांत्रिक आधार पर सदस्यों का चुनाव तथा सभी वर्गों एवं महिलाओं की समिति में सुनिश्चितता*

  ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा समिति का गठन ग्राम प्रधान ही करता है। शोधार्थी द्वारा पाया गया कि सर्वसम्मति के आधार पर, संवैधानिक तरीके से, खुली बैठक में, ग्राम शिक्षा तथा समिति का गठन नियमानुसार किया जाता है। ग्राम सभा के तीन अध्यक्षों के अनुसार 'ग्राम शिक्षा समिति में एक पिछड़ी जाति, एक अनुसूचित जाति तथा दो महिलाएँ शामिल हैं। ग्राम शिक्षा समिति के दो अध्यक्षों के अनुसार 'दो पिछड़ी जाति, एक अनुसूचित जाति तथा एक महिला सदस्य है।' एक ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुसार 'समिति के सारे सदस्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के हैं।' इस प्रकार पाया गया कि समिति का गठन जातीय प्रतिनिधित्व नियम के अनुसार है, जिससे शिक्षा के विकास में हर वर्ग अपना योगदान दे सके।

- *अनियमित बैठकें एवं सदस्यों की अनुपस्थिति*

  शोध अध्ययन में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक तीन माह में होती है।' एक अध्यक्ष के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक महीने होती है' एवं दो अध्यक्षों के अनुसार 'बैठक प्रत्येक छह महीने में होती है।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक तीन माह में होती है' एवं तीन सचिवों के अनुसार, 'बैठक के बारे में कोई जानकारी नही है।' इस प्रकार समिति के आठ सदस्यों के अनुसार, 'प्रत्येक बैठक तीन महीने में होती है।' जबकि दो सदस्यों के अनुसार, 'बैठक वर्ष में एक बार होती है।' साथ ही, शोध अध्ययन के दौरान उन सदस्यों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि समिति के सदस्य बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं लेते हैं। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि समिति की बैठकें अनियमित होती हैं और जब बैठकें होती भी हैं तो कुछ सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती है, इसके अलावा कुछ सदस्य बैठकों में सहभागिता भी नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्षों एवं सचिवों तथा सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी में एकरूपता भी नहीं है

- *विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता*

  इस श्रेणी के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सभी अध्यक्षों के अनुसार बाउंड्री वॉल, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के लिए स्वच्छ पानी, सभी विद्यालयों में हैंडपंप, समरसिबल पंप एवं कुछ विद्यालय में आर.ओ. (R.O.) प्रस्तावित है। शौचालयों में हैंडवॉश, डस्टबिन, टाइल्स, विद्यालय भवन की मरम्मत, नए विद्यालय भवन का निर्माण, परिसर की साफ़-सफ़ाई, वॉल पेंटिंग, पानी की टंकी, डेस्क, बेंच, वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग, विद्यालय गेट, रैंप आदि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति ने की है।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार, 'विद्यालय में बिजली, डेस्क, बेंच, वृक्षारोपण, शौचालय परिसर की साफ़-सफ़ाई आदि की व्यवस्था है। ग्राम शिक्षा समिति के आठ सदस्यों के अनुसार 'विद्यालय परिसर में सारी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे—शौचालय हैंडपंप, बाउंड्री वॉल, डेस्क, बेंच आदि।' शोध अध्ययन के दौरान भौतिक अवलोकन करने पर पाया गया कि इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।

- *विद्यालय में अध्यापक उपस्थिति एवं मिड-डे मील का समय-समय पर औचक निरीक्षण*

  शोधार्थी ने विद्यालय में उपस्थिति एवं मिड-डे मील के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों ने बताया कि वे उपस्थिति तथा मिड-डे मील के संदर्भ में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को उनके दायित्वों के प्रति सजग करते हैं तथा समय-समय पर विद्यालय का औचक निरीक्षण भी करते हैं।' तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'अध्यापक की उपस्थिति तथा मिड-डे मील के संदर्भ में औचक निरीक्षण करते हैं तथा बिना सूचना के अध्यापक के अनुपस्थित होने पर तथा गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील न होने की दशा में सक्षम अधिकारी को शिकायत करते हैं, जिससे कर्मचारियों एवं अध्यापकों में भय बना रहता है इसलिए वे भ्रष्टाचार नहीं करते हैं।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार 'मिड-डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाया जाता है एवं पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार ही भोजन बनता है।' ग्राम शिक्षा समिति के पाँच सदस्यों के अनुसार, 'हम भी कभी-कभी विद्यालय चले जाते हैं, प्रधान जी प्रतिदिन जाते हैं।' अन्य सदस्यों ने औचक निरीक्षण की बात को नहीं स्वीकार किया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में अध्यापक की उपस्थिति तथा मिड-डे मील की गुणवत्ता के लिए औचक निरीक्षण किया जाता है।

- *विभिन्न विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन*

  शोध अध्ययन में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति विभिन्न विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार समिति विद्यार्थियों के ड्रॉप-आउट को रोकने एवं नामांकन वृद्धि के संदर्भ में

दलित बस्तियों में डोर-टू-डोर कैम्पेन करती है, अविभावक कैम्पेन चलाती है, समय-समय पर जागरूकता रैली निकालकर ग्राम सभा लोगों को जागरूक करती है। साथ ही, ग्राम सभा विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। ग्राम शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों ने इस तरह के क्रियाकलापों की सहमति दी। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सदस्यों के अनुसार, 'विद्यालयी विकास के रूप में नामांकन रैली, जनसंपर्क कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने में सतत योगदान देती है।

- *योजनाबद्ध कार्यप्रणाली परंतु यथार्थता का अभाव*

  इस श्रेणी के अंतर्गत पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति की योजनाबद्ध कार्यप्रणाली है। समिति के हितधारकों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला स्तर एवं पंचायत स्तर की शिक्षा समितियों में कोई तालमेल नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वयन का काम ग्राम शिक्षा समिति करती है परंतु देख-रेख पंचायत समिति करती है। आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बहुत जानकारी नहीं होती है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष इन सदस्यों के साथ सभी जानकारी साझा नहीं करते हैं। इस कारणवश सदस्यों की भागीदारी न के बराबर होती है। जबकि अध्यक्ष अपने एकाधिकार में सारे काम करता है। कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली योजनाबद्ध है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सभी सदस्यों एवं सचिवों की सहभागिता का अभाव है।

2. *उद्देश्य— ग्राम शिक्षा समिति के बाधक तत्वों का अध्ययन करना*

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता तथा सक्रियता का अभाव

  इस श्रेणी के अंतर्गत पाया गया कि समिति के सदस्यों में जागरूकता तथा सक्रियता का अभाव है। इस संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'बैठकों में महिला सदस्य भाग नहीं लेती हैं एवं उनका योगदान सकारात्मक नहीं होता है। एक अध्यक्ष के अनुसार, 'सदस्यों को सूचना दी जाती है, परंतु वे सब बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों ने कहा कि, 'सदस्यों को जागरूक और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी हो एवं कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके। परंतु ग्राम शिक्षा समिति के अन्य तीन सचिवों ने कहा कि 'ग्राम शिक्षा समिति के बारे में जानते ही नहीं हैं।' ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार, 'सभी सदस्य बैठक में भाग नहीं लेते हैं'। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सभी हितधारक मुख्यतः सचिवों एवं सदस्यों को समिति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है और जो समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, उनमें भी जागरूकता की कमी है।

- *समिति के सदस्यों के बीच वैचारिक टकराव*

  इस श्रेणी के अंतर्गत शोधार्थी ने पाया कि समिति के सदस्यों के बीच आपसी टकराव होता है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने यह माना कि सदस्यों के आपसी वैचारिक टकराव होने के कारण काम करना कठिन हो जाता है तथा उनके द्वारा यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि हमें कम महत्व दिया जाता है। दो अध्यक्षों ने यह माना कि 'सदस्य की अपनी व्यक्तिगत असहमति होने के कारण समिति के काम में व्यवधान डालकर वे अपने आप को संतुष्ट पाते हैं।' शिक्षा सचिव कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर विरोधाभास होने पर निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। समिति के एक सदस्य के अनुसार, 'अध्यक्ष एवं सचिव का तालमेल बढ़िया है, सदस्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।' एक सदस्य के अनुसार, 'अध्यक्ष तथा सदस्यों के बीच आपसी विरोधाभास होता है।' इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर वैचारिक टकराव होता है।

- *सरकारी फंड की समस्या*

  ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों ने बताया कि सरकारी फंड भी एक समस्या है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार, 'सरकारी फंड में अनियमितता पाई जाती है और फंड समय पर नहीं आता है तथा विद्यालय की आवंटित राशि का भुगतान करने पर अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है।' एक अध्यक्ष के अनुसार, 'फंड आने में कभी-कभी साल भर लग जाता है।' समिति के एक सचिव के अनुसार, 'वर्क लोड के साथ-साथ अध्यक्ष जी फंड पास नहीं करवा पाते हैं, जिससे कार्य करने में समय लग जाता है।' अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सरकारी फंड के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है।

- *समन्वय का अभाव*

  शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया कि समितियों में समन्वय का अभाव है। वस्तुतः ग्राम शिक्षा समिति पंचायती राज संस्थान की अंतिम कड़ी है, इसके ऊपर क्रमशः पंचायत शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति होती है। अतः विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये तीनों समितियाँ समन्वय के साथ कार्य करें तो उनका परिणाम अच्छा होगा। शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्षों से पूछा कि पंचायत तथा जिला शिक्षा समिति किस प्रकार योगदान देती है? तो दो अध्यक्षों ने बताया कि 'कोई सहयोग नहीं देते हैं' तथा एक अध्यक्ष ने यह माना कि 'सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है।' इसी संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के सचिवों ने माना कि 'अन्य स्तर की समितियों से कोई सहयोग नहीं मिलता है।' ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने माना कि 'इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।' अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पंचायती राज की तीनों शिक्षा समितियों में समन्वय का अभाव है।

3. *उद्देश्य— शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना*

- *नए बेसिक स्कूल की स्थापना एवं स्थान चयन में योगदान*

  शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति नए बेसिक स्कूलों की स्थापना करने में तथा स्थान चयन करने में योगदान देती है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार विद्यालय परिसर में मिट्टी का कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाया जा सके ताकि विद्यार्थी परिसर से आकर्षित हो सकें। समिति पुराने भवनों की मरम्मत कराने में भी योगदान करती है और जो भवन मरम्मत के योग्य नहीं हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है।

- *ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का नियंत्रण*

  आँकड़ों के विश्लेषण तथा अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति बेसिक स्कूलों का नियंत्रण करती है। शोधार्थी ने पाया कि समिति के सदस्य अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, मिड-डे मील योजना के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी को एक निश्चित कैलोरी तथा प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन की निगरानी, विद्यालय परिसर में साफ़-सफ़ाई के लिए औचक निरीक्षण करते हैं। साथ ही, मिड-डे मील में भोजन पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार बनता है या नहीं, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के लोग कभी-कभी विद्यालय जाते हैं और निरीक्षण करते हैं।

- *विद्यालय के विकास कार्यक्रमों में योगदान*

  आँकड़ों के विश्लेषण से शोध में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य कार्य विद्यालय के विकास में योगदान करना है। इसकी मूल भावना यह है कि सरकारी बेसिक स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल की तर्ज़ पर विकसित किया जाए। समिति के अध्यक्षों ने बताया है कि वे सभी अपने विद्यालयों को मॉडल विद्यालय की तर्ज़ पर विकसित करना चाह रहे हैं। मॉडल स्कूल बनाने के संदर्भ में वॉल पेंटिंग, चारों तरफ चहारदीवारी, प्रवेश उत्सव मनाना, अंक पत्र वितरण महोत्सव आदि का आयोजन किया जा रहा है। समिति विद्यार्थियों को वही सुविधा देने का प्रयास कर रही है जो सुविधाएँ पब्लिक स्कूल में मिलती हैं। समिति द्वारा शत-प्रतिशत नामांकन हेतु तथा ड्रॉप आउट रोकने हेतु डोर-टू-डोर कैम्पेन, अभिभावक संपर्क कार्यक्रम, जागरूकता रैली तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। जहाँ विद्यार्थियों के माता-पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता है एवं उनके पाल्यों को विद्यालय परिसर भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिभावकों को आश्वस्त किया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में भी वही सुविधाएँ एवं पठन-पाठन किया जाता है, जैसे पब्लिक विद्यालयों में किया जाता है। साथ ही, यह भी बताया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो आपके पाल्यों को अच्छी शिक्षा देंगे, उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से मिलकर प्रेरित करना जो ड्रॉपआउट हुए हैं, उन्हें पुन: विद्यालय

भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है।

- *विद्यालय के भौतिक संसाधन, स्वच्छ पानी तथा शौचालय की व्यवस्था में योगदान*

  शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की मुख्य भूमिका ग्राम में उपस्थित सरकारी विद्यालय में भौतिक संसाधनों, स्वच्छ पानी एवं शौचालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना है। समिति की प्राथमिकता में विद्यालय की चहारदीवारी, खरंजा, विद्यालय गेट, परिसर में मिट्टी का कार्य, भवन मरम्मत, वृक्षारोपण द्वारा परिसर को हरा-भरा करना, विद्यालय में टाइल्स लगाना आदि का निर्माण करना है। शोध अध्ययन के दौरान अवलोकन किए गए सभी विद्यालयों में पाया गया कि वहाँ पर डेस्क-बेंच की व्यवस्था हो गई है। साथ ही, साफ़-सफ़ाई के लिए कर्मचारी आदि की व्यवस्था भी है। न्यादर्श में चयनित ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार पिछले दो सालों में स्कूल बाउंड्री, स्कूल गेट, दरवाज़ा, खरंजा, इंटर लॉकिंग, वृक्षारोपण, मिट्टी का कार्य, वाई-फाई, सी.सी.टी.वी. कैमरे, स्कूल में झूले आदि की व्यवस्था की गई है। सभी विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था के साथ-साथ समर सिबल पम्प की व्यवस्था है। शोधार्थी ने यह भी पाया कि कुछ विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर (आर.ओ.) लगाना प्रस्तावित है। उन समितियों ने विद्यालयों में महिला तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास में अहम योगदान दे रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में शोध में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन नियम के तहत किया गया है एवं समिति के सदस्यों का चयन भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय में विकास कार्य किए गए हैं। इस शोध में समिति के बाधक तत्वों के रूप में पाया गया कि सदस्यों में जागरूकता का अभाव है। यह आवश्यक है कि समिति के सदस्यों को जागरूक करने तथा उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। समिति के दूसरे बाधक तत्व के रूप में समिति के सदस्यों का वैचारिक टकराव एक प्रमुख कारण है, जो समिति की कार्यप्रणाली तथा उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। गीता और संजय (2016) के अनुसार समिति में जातिवाद, समूहवाद, गुटबाजी तथा आरोप-प्रत्यारोप विद्यालयों के विकास में बाधक है। इस शोध पर आधारित अवलोकन में पाया गया कि सभी विद्यालयों में समिति द्वारा बाउंड्रीवॉल, लड़के-लड़कियों के लिए शौचालय, स्वच्छ पीने के लिए पानी, सभी विद्यालयों में हैंडवॉश, समर सिबल पम्प, डस्टबिन, टाइल्स, विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में साफ़-सफ़ाई, वॉल पेंटिंग, पानी की टंकी, डेस्क-बेंच, वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग, विद्यालय गेट, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप आदि की व्यवस्था कर रही है। पिछले कुछ सालों से ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। साथ ही, समिति शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा सुगम बनाने की दिशा में कार्य कर

रही है। अंतत: इस शोध अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियाँ अहम योगदान दे रही हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

यह शोध कार्य ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित है। ग्राम शिक्षा समिति में सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। यह शिक्षा समिति संविधान में दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे तो शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने पर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है तथा निर्धारित कार्य समय पर किया जा सकता है। परंतु संकट यह है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता नहीं होती है। इन समितियों के क्रियान्वयन से नागरिकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है तथा नागरिक यह समझने लगते हैं कि कर्तव्यों की पूर्ति से अधिकार जीवित रह सकते हैं। इस अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान समय में ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी शिक्षा के विकास में अहम योगदान दे रही है। क्योंकि राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन शिक्षा ही है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने स्थानीय समुदाय को ज़िम्मेदारी सौंपी है। इस आधार पर देश के शैक्षिक उत्थान में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

ग्राम शिक्षा समिति को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता की कमी है, अतः सदस्यों को जागरूक करना चाहिए।
- ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों में वैचारिक टकराव को दूर करना चाहिए।
- सभी सदस्यों को बैठकों में नियमित रूप से सहभागिता करनी चाहिए।
- बैठकों की पूर्व सूचना सभी सदस्यों को देनी चाहिए।
- महिला सदस्यों को भी बैठकों में नियमित रूप से जाना चाहिए तथा अपने विचार रखने चाहिए।
- अधिकांश महिला सदस्यों के निर्णय उनके घर के पुरुष लेते हैं जबकि महिला सदस्यों को स्वयं निर्णय लेना चाहिए।
- समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, अत: अधिकांश निर्णय वह स्वयं ले लेते हैं जबकि निर्णय लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों की सहमति से होना चाहिए।

संदर्भ

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972.

गीता और संजय. 2016. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. आई.एस.आर.ओ. *जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*. वॉल्यूम 21, इश्यू 3, पृष्ठ संख्या 63–70. http://www.questjournals.org/jraas/papers/vol2-issue3/B230914.pdf

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण

सृष्टि*

भारत में सामान्यत: महिलाओं के सशक्तिकरण को उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस लेख के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक भिन्न परिप्रेक्ष्य से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक सशक्तिकरण प्रमुख है। सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं व शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर ही नहीं करती है, अपितु उन सुसंस्कृत मूल्यों पर भी निर्भर करती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से आंशिक सशक्तिकरण हुआ है। अत: संस्कृति महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में पथ-प्रदर्शक हो सकती है। इस लेख के अंत में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के भारतीय समाज के समावेशी विकास के लक्ष्य पर भी विशेष उल्लेख दिया गया है।

सशक्तिकरण शब्द वर्तमान समय में अधिक प्रचलित शब्द बन गया है। सशक्तिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया को संबोधित करता है। आवश्यक रूप से, इसका अर्थ सत्ता व शक्ति के विकेंद्रीकरण से है। मुख्यत: इसका उद्देश्य निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में लोगों के वंचित भाग के द्वारा सहभागिता को प्राप्त करना है। सशक्तिकरण व्यक्तियों व समुदायों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक सुदृढ़ता को बढ़ाने की ओर संकेत करता है। सशक्तिकरण व्यक्तियों व समूहों की क्षमता को विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विकल्पों का निर्माण होता है तथा उन विकल्पों को वांछित कार्यों व परिणामों में परिवर्तित किया जाता है। इस संदर्भ में, यह जीवन के उत्तम विकल्पों को बनाने हेतु लोगों की योग्यता में विस्तार को दर्शाता है।

सशक्त व्यक्ति के पास विकल्पों एवं कार्यों की स्वतंत्रता होती है, जिनके द्वारा उनका जीवन-प्रवाह सशक्तता की ओर बढ़ता है। यह विकल्प और कार्य उनके जीवन को प्रभावित भी करते हैं अर्थात सशक्तिकरण स्व-निर्धारित परिवर्तन को दर्शाता है। यह विकास की माँग व पूर्ति, दोनों पक्षों को एक साथ सूचित करता है, जिसके अंतर्गत कमज़ोर व्यक्ति की सहायता की जाती है व उसे मानसिक, सामाजिक

**शोधार्थी*, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007

एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। सशक्तिकरण का विषय, व्यक्ति के समग्र विकास के विविध आयामों का विषय बन गया है। जिसके माध्यम से विकासात्मक अवसरों को बढ़ाने, विकासात्मक परिणामों को विस्तार देने व लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

अधिकतर, सशक्तिकरण शब्द को महिलाओं के संबंध में प्रयोग किया जाता है। अतः इस शब्द का प्रयोग महिलाओं के कल्याण, महिलाओं का विकास, महिलाओं की समृद्धि, सहभागिता एवं महिलाओं के अंत:करण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। 1990 के दशक में सशक्तिकरण पर अधिक विचार किया जाने लगा। अतः जब सहभागिता, विचार-विमर्श एवं साझेदारी जैसे शब्द विकास की अवधारणात्मक सोच में आने लगे तो विकासात्मक संस्थाओं ने सक्षमता के उपागम में परिवर्तन किया, जैसे— लोगों को सक्षम बनाने के लिए उनकी आवश्यकताओं व वरीयताओं को प्राथमिकता देना। इस प्रकार, सशक्तिकरण के आयाम को मानवता के विकास के उदय के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं में पहले तीन दशकों तक महिला कल्याण की शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा है। 1980 के दशक में इसके स्थान पर महिला विकास की शब्दावली अधिक प्रचलित हुई। इसके पश्चात 1990 के प्रारंभकि वर्षों में महिला समानता अर्थात उन्हें समान अधिकार देने पर अधिक बल दिया जाने लगा। 1990 के अंतिम चरणों में सभी ओर महिला समानता, महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकारिता की ध्वनि अधिक प्रखर होने लगी।

महिलाओं का विकास मात्र जेंडर-असमानता को कम करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु देश में महिलाओं की मानव विकासात्मक स्थिति में विभिन्नता को कम करने के लिए भी आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बहुअर्थी है, जिसके आयाम भी बहुकोणीय हैं। किसी एक दृष्टि अथवा महिलाओं के व्यक्तित्व के किसी एक पहलू से सशक्तिकरण नहीं किया जा सकता, अपितु महिलाओं का सर्वांगीण विकास करके ही देश की मुख्यधारा में उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया जा सकता है क्योंकि शताब्दियों से महिलाएँ पुरुषों की मुखापेक्षी रही हैं, अर्थात उन पर आश्रित रही हैं।

सशक्तिकरण की सांस्कृतिक संकल्पना

महिलाओं के सशक्तिकरण की सांस्कृतिक संकल्पना को प्राय: महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक पितृसत्तात्मक संरचनाओं, मान्यताओं, प्रथाओं, आस्थाओं, कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के उन्मूलन के संदर्भ में वर्णित व विश्लेषित किया जा सकता है। एक ऐसे वातावरण का उदयमान होना जिसके अंतर्गत महिलाएँ स्वायत्तता व स्वतंत्रता के आधार पर अपने जीवन से जुड़े निर्णय ले सकें अर्थात महिलाओं को स्वतंत्र रूप से सोचने-विचारने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से विकल्पों का चुनाव करने की स्वतंत्रता आदि के आधार पर सक्षम, समर्थ तथा सशक्त बनाना।

वास्तव में, सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं व शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर ही नहीं करती है, अपितु उन सुसंस्कृत मूल्यों पर भी निर्भर करती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। जो बचपन से ही घर, परिवार में एक बच्चे को महिला द्वारा दिए जाते हैं। जब एक महिला द्वारा अपने बच्चे को उचित संस्कार सिखाए जाते हैं, तो वही बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ के सिखाए गए संस्कारों के आधार पर महिलाओं का सम्मान करता है। इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर महिलाओं को सांस्कृतिक रूप से सशक्त, समर्थ व सक्षम बनाया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति के हस्तांतरण हेतु घर, परिवार व संस्था तथा समाज के सभी स्तरों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सशक्तिकरण एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को शक्ति हस्तांतरित करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है उनमें जागरूकता को विकसित करना, आत्मविश्वास का निर्माण करना, विकल्पों का विस्तार करना तथा संसाधनों तक पहुँच व नियंत्रण सम्मिलित है। मूलत: सशक्तिकरण स्वयं के भीतर से जागृत होना चाहिए अर्थात स्वयं सशक्त होना।

महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्म-मूल्य व जेंडर-समानता की विशेषता के लिए सहायक व बंधनमुक्त है। इस प्रकार सशक्तिकरण के बहु-आयाम हैं जो अंत:संबंधित हैं। अतः महिला सशक्तिकरण अनवरत व संपोषणीय विकास का एक आवश्यक घटक है।

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

किसी महिला को शिक्षित करने का अर्थ उसके पूरे परिवार को सुशिक्षित करना है। समाज के लिए महिला का स्वस्थ, शिक्षित व समझदार होना आवश्यक है और वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसके अतिरिक्त शिक्षा राष्ट्र के निर्माण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। न्यायपूर्ण व न्यायसंगत समाज का विकास करने में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही, शिक्षा को राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले शैक्षणिक प्रयास

महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा प्राथमिक व मूलभूत माध्यम है। अत: यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपनी आवश्यक व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही महिला में कुशलता, दक्षता तथा क्षमता का विकास होता है। एक शिक्षित महिला मात्र न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, अपितु भावी पीढ़ी को भी लाभान्वित करती है। शिक्षा से महिला स्वयं जीवन के सभी छोटे एवं बड़े निर्णय ले सकती है। महिलाओं के न्यूनतम शैक्षणिक स्तर का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, जो महिलाओं की निम्न स्तरीय कुशलता, दक्षता तथा क्षमता के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में न्यून सहभागिता को प्रदर्शित करता है। महिलाओं

की सक्षमता से व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति प्रभावित होती है। जनगणना 2011 के अनुसार, देश में समग्र साक्षरता दर 74 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है जबकि 1991 की जनगणना में समग्र साक्षरता 52.21 प्रतिशत थी, जिसमें 64.13 प्रतिशत पुरुष व 39.29 प्रतिशत महिलाएँ थीं। इस प्रकार, देखा जाए तो 1991 से 2011 तक महिला साक्षरता दर 26.17 प्रतिशत बढ़ी है। परंतु अभी भी महिला व पुरुषों की साक्षरता दर में 16.68 प्रतिशत का अंतर है।

महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि और सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा भी विभिन्न शैक्षिक प्रयास किए गए है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का प्रारंभ 2015 में किया गया। घटते जेंडर अनुपात को बढ़ाने के साथ इस नीति के अंतर्गत विद्यालयों में लड़कियों की नामांकन दर बढ़ाने और शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहलें की गई हैं।

'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' की शुरुआत वर्ष 1989 में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार करने तथा उन्हें सशक्त व समर्थ करने के लिए की गई थी। इस योजना का प्रारंभ पहले दो वर्ष तक अलग-अलग योजनाओं के रूप में शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए किया गया था। बाद में उसका सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में एक पृथक घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

अतः स्वतंत्रता के पश्चात सरकार व संगठनों के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले तथा शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे उनमें जागृति तथा आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप महिलाएँ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ीं। आज महिलाएँ राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, खेल-कूद, विज्ञान, साहित्य, व्यवसाय, पुलिस, सेना, चिकित्सा तथा शासन व प्रशासन आदि में पुरुषों के साथ समान रूप से कार्य कर रही हैं। परंतु आज भी इस वैश्विक नागरिकता के दौर में हमें महिला सशक्तिकरण, महिला समानता और महिला अधिकारों के विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों तथा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसलिए हमें संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ समाज में सांस्कृतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता व स्वायत्तता प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सांस्कृतिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया है, जिससे समाज को सांस्कृतिक रूप से सशक्त करने में मार्गदर्शन मिलेगा। इन सांस्कृतिक मूल्यों का वर्णन इस प्रकार है—

1. **विद्यालयों में पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र** स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक संरचना को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3–8, 8–11, 11–14 तथा 14–18 वर्ष की आयु के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अनुसार उनकी रुचियों व विकास की आवश्यकताओं पर

समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा में नवाचारी शिक्षणशास्त्र पर विशेष बल दिया गया है। इसमें खेल-खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण, अनुभव एवं खिलौना आधारित शिक्षण, कला एवं खेल समन्वित शिक्षण, आईसीटी आधारित शिक्षण आदि सम्मिलित हैं।

2. विद्यार्थियों का समग्र विकास

सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की प्रथा से मुक्त करते हुए वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशलों एवं दक्षताओं से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपी हुई निधि है, जिसे शिक्षा के माध्यम से ही बाहर लाया जा सकता है। इस प्रकार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* शिक्षार्थी की प्रतिभा को उजागर करने के साथ-साथ उसके चरित्र निर्माण पर भी आवश्यक रूप से बल देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के भारतीयकरण की बात कही गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अवधारणा है। इससे विद्यार्थियों में भारतीयता के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न होगा।

3. समतामूलक और समावेशी शिक्षा

शिक्षा समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एकमात्र व सबसे प्रभावी साधन है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को विकास करने व राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर प्राप्त हो। यह शिक्षा नीति इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है, जिससे देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में बाधाएँ न आएँ। समावेशी शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण-अधिगम व्यवस्था को दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है।

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर

- भारत में समग्र व बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे विभिन्न व्यापक साहित्य हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट व प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, जैसे— बाणभट्ट की *कांदबरी* में शिक्षा की 64 कलाओं में गायन, चित्रकला जैसे विषयों के साथ-साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, जैसे— रसायन शास्त्र और गणित, व्यावसायिक कार्य, उदाहरण के लिए— औषधि व अभियांत्रिकी व साथ ही सम्प्रेषण, विचार-विमर्श और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल भी समाहित हैं।
- इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, रचनात्मकता व नवाचार, आलोचनात्मकता चिंतन एवं उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या-समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल, सीखने में गहनता और पाठ्यचर्या के सभी विषयों की समझ, सामाजिकता और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही, समग्र व

बहु-विषयक शैक्षिक दृष्टिकोण से अनुसंधान में भी सुधार हो सकेगा।

- समग्र व बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी प्रकार की क्षमताएँ, जैसे— बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा नैतिक क्षमताओं को समन्वित रूप से विकसित करना। इस प्रकार की समग्र शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी विषयों सहित सभी कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगी।

निष्कर्ष

समाज में महिलाओं का स्थान उपयोगी व महत्वपूर्ण है, अपितु आज भी महिलाएँ समाज में पुरुषों से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत हैं। इस अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है अर्थात वे शिक्षित हुई हैं, वैसे ही महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई हैं, परंतु अभी उनका आंशिक सशक्तिकरण हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण पर विशेष बल देती है। अत: नैतिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में मूल्यों, प्रणालियाँ, विश्वास, आचार, व्यवहार व संस्कारों का विकास होगा, जिससे उनमें महिलाओं के प्रति सम्मान व समानता का भाव विकसित होगा, जो महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगा। यह रचनात्मक व व्यापक परिवर्तन महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक तत्वों, जैसे— पितृसत्तात्मक संरचनाओं, मान्यताओं, प्रथाओं, आस्थाओं, कुरीतियों का उन्मूलन करेंगी, जिससे महिलाएँ स्वतंत्र, स्वायत्त, सक्षम, सशक्त व समर्थ बन सकेंगी।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

खुशहाली पाठ्यचर्या एवं गणित फोबिया
एक अध्ययन

जहांगीर आलम*
इंद्रजीत दत्ता**

प्रसन्नचित शिक्षार्थियों में अधिगम एवं विकास सरलतापूर्वक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर होता है, वे असफल होने जैसी परिस्थितियों में भयभीत नहीं होते हैं। वे शांति एवं समझ से अभिप्रेरित होकर परिस्थिति का सामना करते हैं तथा सफल भी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश के शिक्षार्थियों के बीच हिंसात्मक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक चार में से एक बच्चा अवसाद से ग्रसित है। यदि विद्यालयी शिक्षा में देखें तो विद्यार्थियों के तनावपूर्ण एवं अवसाद ग्रस्त होने का एक कारण गणित विषय भी है। गणित विषय को शिक्षार्थी सबसे कठिन विषय मानकर हमेशा उससे भयभीत रहते हैं, जिसके कारण कक्षा में गणित विषय के अध्ययन में शिक्षार्थियों की रुचि कम होती है। भारत में दिल्ली सरकार ने 2 जुलाई, 2018 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से नर्सरी कक्षा से कक्षा 8 तक के शिक्षार्थियों का अवसाद एवं तनाव कम करने के लिए खुशहाली (हैप्पीनेस) पाठ्यचर्या की शुरुआत की है। इस शोध पत्र में शोध अध्ययन खुशहाली पाठ्यचर्या एवं गणित फोबिया— एक अध्ययन दिया गया है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य, खुशहाली पाठ्यचर्या के बारे में शिक्षार्थियों की धारणा का अध्ययन करना और विद्यालय में पढ़ते समय शिक्षार्थियों में व्याप्त गणितीय भय की समस्या को हल करने में खुशहाली पाठ्यचर्या की भूमिका का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक थी। इसमें प्रतिदर्श के रूप में दक्षिण दिल्ली के पाँच सरकारी विद्यालयों से कक्षा 6 से 8 के 30 शिक्षार्थियों का यादृच्छिक प्रतिदर्शन द्वारा चयन किया गया था। इस अध्ययन में शोधार्थियों द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया था। अध्ययन के परिणामों में पाया गया कि खुशहाली पाठ्यचर्या के लागू होने के बाद अधिकतम शिक्षार्थियों में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। साथ ही गणितीय शिक्षण-अधिगम आसान, अर्थपूर्ण और आनन्दमय हुआ है।

प्रसन्नता एक प्रकार का मन का भाव, आनन्द की एक अवस्था तथा खुश और संतुष्ट होने की एक स्थिति है जिसे आनन्द, हर्ष, सुख, आमोद-प्रमोद तथा उल्लास जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, इसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपके पास क्या है? या आप कौन हैं? इस पर खुशी निर्भर नहीं करती है। यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या और कैसा सोचते हैं? आपको आपके द्वारा किए गए कार्य एवं परिवेश

**शोधार्थी*, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना 500032
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्यप्रदेश 462003

के साथ व परिवेश के द्वारा सकारात्मक अंतर्क्रिया से खुशियाँ मिलती हैं। सफलता और खुशी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। जो आप चाहते हैं, उसे पाना सफलता है और जो आप पाते हैं, उसे चाहना प्रसन्नता है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर किसी गतिविधि को करता है तो उस गतिविधि की सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। प्रसन्नता शिक्षार्थी को श्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा, कर्मठता, आशावादी दृष्टिकोण, समायोजन, विवेकशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि खुशी से जुड़े हुए हैं, जिससे किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

शिक्षार्थियों के लिए प्रसन्नता की आवश्यकता

एक प्रसन्नचित्त शिक्षार्थी मानसिक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। उसका आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति मज़बूत होती है। इस प्रकार, उसका स्मृति स्तर तथा सृजनात्मकता का स्तर उच्च होता है। प्रसन्नचित्त शिक्षार्थी को समाज के द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि वह एक संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी होता है। परंतु प्रसन्नचित्त शिक्षार्थियों के साथ-साथ कुछ शिक्षार्थियों में भय (फोबिया) भी होता है। फोबिया एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को किसी वस्तुस्थिति, काम या स्थान से बहुत डर लगता है अर्थात उस विकार की उपस्थिति से उसमें घबराहट होती है, परंतु वह तात्कालिक स्थिति में खतरनाक नहीं होती है। यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है। फोबिया के अतिरिक्त अन्य डरों का कोई न कोई आधार होता है। भय की स्थिति दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है तथा पीड़ित को यह भी मालूम होता है कि इस डर का कोई तार्किक आधार नहीं है फिर भी वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसी तरह से शिक्षार्थियों में गणित फोबिया पाया जाता है। गणित फोबिया (मैथमाफोबिया-कॉसेस एंड ट्रीटमेंट) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिस्टर मेरी फिदेस गोघ ने 1954 में अपने अनुसंधान पत्र मैथमाफोबिया— कारण और उपचार (मैथमाफोबिया-कॉसेस एंड ट्रीटमेंट) में किया था।

सामान्यत: स्कूली शिक्षा को तनावपूर्ण एवं अवसादग्रस्त बनाने में गणित विषय का भी थोड़ा योगदान है। गणित विषय को कुछ शिक्षार्थी जटिल विषय मानकर उससे भयभीत रहते हैं, जिसके कारण कक्षा में गणित विषय के अध्ययन में उनकी रुचि कम होती है। विद्यालयी स्तर पर गणित विषय का अध्ययन अनिवार्य है। गणित के त्रुटिपूर्ण अध्ययन एवं न समझ पाने के कारण बहुत से शिक्षार्थी गणित में असफलता से भयभीत रहते हैं तथा वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृष्ठ 49)। परिणामस्वरूप वे गणित पर आधारित सभी विषयों एवं सवालों से डरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में गणित को लेकर शिक्षार्थियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे शिक्षार्थी गणित से दूर भागने लगते हैं और उनका गणित विषय के प्रति नकारात्मक रवैया बन जाता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* (एन.सी.एफ. 2005) के अनुसार अध्यापक कक्षा के प्रत्येक शिक्षार्थी के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, गणित प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता है। गणित का एक सकारात्मक वातावरण सृजित किया जा सकता है। जिसमें शिक्षार्थी गणित से भयभीत होने के बजाय गणित

का आनंद उठाएँ। गणित को ऐसा विषय मानें जिस पर आपस में चर्चा करें, समस्याओं को मिलकर हल करें तथा मूल संरचनाओं को समझें तथा यह मानें कि गणित एक 'सटीक' विज्ञान है (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृष्ठ 49—50)। गणित के कक्षा-कक्ष को आनन्दमय बनाकर गणित को आसान व मनोरंजक बनाया जा सकता है। गणित पढ़ने वालों तथा गणित प्रेमियों के लिए यह एक गीत है, सुंदर कला है, संगीत है तथा आनंद प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। गणित में विभिन्न समस्याओं को हल करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है विशेषतया जब उनकी समस्या का उत्तर किताब में दिए गए उत्तरों से मिल जाता है तो उस समय गणित पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा, संतुष्टि, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा सफलता की खुशी में प्रफुल्लित हो उठता है। संभवत: इसी कारण पाइथागोरस ने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बली चढ़ाई थी (ए.के. कुलश्रेष्ठ, पृष्ठ19)। जिन्हें गणित का अध्ययन करने का मौका नहीं मिलता, उन्होंने यह धारणा बना रखी है कि गणित एक रसहीन और नीरस विषय है।

प्राचीनकाल से ही गणित को हमारे देश में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में महत्व दिया जाता रहा है। वेदांत ज्योतिष के अनुसार—

बहुभिर्प्रलापैः किम्, त्रयलोके सचराचरे।
यद् किंचिद् वस्तु तत्सर्वम्, गणितेन् बिना न हि ॥

(बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है या उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता— महावीर, *गणित सार संग्रह*)

गणित को विज्ञान विषय का भी जन्मदाता माना जाता है। गणित एक मानसिक खेल है। शिक्षार्थियों को गणित में सीखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। इसलिए शिक्षार्थी के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे वे असफल होने के डर के बिना स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रख सकें व सीख सकें। बिना चिंता के सीखना शिक्षार्थी में नैसर्गिक उत्साह उत्पन्न करता है। शिक्षार्थियों में सीखते समय प्रश्न करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, साथ ही उन्हें अपनी गणितीय सोच का विकास तथा करके सीखने का भी अवसर मिलता है। शिक्षा तथा समाज में अटूट संबंध है। शिक्षा ही व्यक्ति में आदर, आत्मनियंत्रण, परस्पर सद्भाव, सहयोग, त्याग एवं सेवा, अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आदि का विकास करती है। शिक्षा शिक्षार्थी को इस योग्य बनाती है कि वह समाज का प्रगतिशील प्राणी रहते हुए अपनी सामाजिक, आर्थिक, एवं नैतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यूनेस्को ने जून 2014 में बैंकॉक में हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उसकी रिपोर्ट में हैप्पी स्कूल की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया। यह प्रसन्नता को शिक्षा के साथ जोड़ने की पहली खुशहाली पाठ्यचर्या है।

खुशहाली (हैप्पीनेस) पाठ्यचर्या

भारत में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में दिल्ली में संचालित विद्यालयों में हैप्पीनेस पाठ्यचर्या प्रारंभ किया गया। हैप्पीनेस पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2019 के अनुसार खुशहाली पाठ्यचर्या न केवल क्षणिक बल्कि गहरे और स्थायी रूपों में भी खुशी की खोज, अनुभव और व्यक्त करने के लिए शिक्षार्थियों का ध्यान निर्देशित करने का एक प्रयास है। इससे

शिक्षार्थी स्वयं, रिश्तों और समाज के भीतर खुशी को समझने में सक्षम होगा। यह एक मानक बदलाव होगा जहाँ एक शिक्षार्थी इंद्रियों से बाहरी रूप से खुशी की खोज में आगे बढ़ता है ताकि वह सीखने और जागरूकता के माध्यम से इसे अपनाने और मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके। यशपाल समिति रिपोर्ट (1993) के अनुसार, "शिक्षार्थियों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ।" इस दिशा में खुशहाली (हैप्पीनेस) पाठ्यचर्या एक आशाजनक प्रयास है।

खुशहाली पाठ्यचर्या कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के शिक्षार्थियों को विभिन्न माध्यमों से खोज, अनुभव और खुशी व्यक्त करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण और मंच प्रदान करने का प्रयास है, जिसके लिए कुछ पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे—आनंददायक व्यायाम; इनडोर गेम्स; सक्रिय पूछताछ; चिंतनशील बातचीत; कहानी सुनाना; सचेतन के लिए निर्देशित अभ्यास; समूह चर्चा; विभिन्न परिस्थितियों पर भूमिका-निर्वाह/नाटक; प्रस्तुतीकरण-व्यक्तिगत और समूह प्रस्तुतियाँ तथा तालमेल बनाना और टीम के साथ अंतर्क्रिया के लिए गतिविधियाँ।

इस पाठ्यचर्या के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कक्षा के प्रारंभ होने के पहले प्रतिदिन 45 मिनट की खुशहाली (हैप्पीनेस) की कक्षा होगी, जिसकी शुरुआत पाँच मिनट के ध्यान (मेडिटेशन) से होगी। इसके बाद प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और नैतिकता संबंधित कहानियाँ सुनाना व अन्य प्रकार की गतिविधियों का सत्र होगा। पाठ्यचर्या में 20 प्रेरणादायक कहानियाँ और 40 नवीन गतिविधियाँ शामिल हैं। यह पाठ्यचर्या पूरी तरह गतिविधियों पर आधारित है और इसकी कोई औपचारिक लिखित परीक्षा भी नहीं होती है, हालाँकि अन्य विषयों की तरह समय-समय पर इसका आकलन भी प्रत्येक शिक्षार्थी की हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से किया जाएगा।

हैप्पीनेस पाठ्यचर्या का डिजाइन और शिक्षाशास्त्र

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भारत में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया। इस पाठ्यचर्या में शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। खुशहाली पाठ्यचर्या को इससे जोड़ते हुए वर्तमान विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस प्रकार है—

शोध का औचित्य

शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्यात्मक गतिविधियों का विशेष महत्व है। विद्यालय की पाठ्यचर्या उस ज्ञान से संबंधित होती है जो बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करती है। खुशहाली पाठ्यचर्या के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सकता है, जैसे— शिक्षार्थियों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी तनाव को कम करेगी और मन में स्थिरता और सद्भाव लाएगी। खुशहाली पाठ्यचर्या शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने और शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस शोध अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया

	एन.सी.एफ. 2005 **के मार्गदर्शक सिद्धांत**	**खुशहाली पाठ्यचर्या किस प्रकार इन्हें पूरा करने का प्रयास करती है?**
1.	ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना	खुशहाली पाठ्यचर्या की सभी विषयवस्तु वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर आधारित है और इसमें किसी कल्पना पर आधारित पात्रों का उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान, विचार और चर्चाएँ शिक्षार्थियों को अपने जीवन में पाठों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
2.	पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना	शिक्षार्थी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं— अनुभव, चीज़ों को बनाने और करने, प्रयोग करने, पढ़ने, चर्चा करने, सवाल करने, सुनने, सोचने और प्रदर्शन करने तथा भाषण, गतिविधि या लेखन में स्वयं को व्यक्त करने के माध्यम से— व्यक्तिगत रूप से और दूसरे के साथ। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है। इन दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए, पाठ्यचर्या को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शिक्षकों और शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समझ और सीखना हो रहा है। शिक्षण की पद्धतियों में गतिविधियाँ, कहानियाँ, चर्चाएँ और चिंतन आधारित पूछताछ शामिल हैं। यह समीक्षात्मक, महत्वपूर्ण सोच, परिप्रेक्ष्य निर्माण और आत्म-चिंतन क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
3.	पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह शिक्षार्थियों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक-केंद्रित बनकर रह जाए	यह सुनिश्चित करने के लिए, केवल अध्यापक के लिए हैंडबुक प्रदान की जा रही है, शिक्षार्थियों को कोई पाठ्यपुस्तक नहीं दी जा रही है। सभी कक्षाएँ प्रयोगात्मक हैं और शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि खुशी और कल्याण बना रहे।
4.	परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना	शिक्षार्थियों का आकलन कक्षा में उनके विचार, ध्यान और अध्यापक के अवलोकनों के आधार पर किया जाएगा। साप्ताहिक विचार, ध्यान और टिप्पणियों पर निष्कर्ष निकाले जाएँगे। इसमें कोई औपचारिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
5.	एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों	पाठ्यचर्या का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अधिक जागरूक, सचेत और समाज में सार्थक योगदानकर्ता बनाना है।

गया है कि क्या दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते समय खुशहाली पाठ्यचर्या ने शिक्षार्थियों के गणितीय डर को कम करने में कोई भूमिका निभाई है? दिल्ली के स्कूलों में शिक्षार्थियों की समस्याओं को हल करने में खुशहाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं?

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे—

1. विद्यालय में पढ़ते समय शिक्षार्थियों में व्याप्त गणितीय डर की समस्या को हल करने में खुशहाली पाठ्यचर्या की भूमिका का अध्ययन करना।

2. खुशहाली पाठ्यचर्या के बारे में शिक्षार्थियों की धारणा का अध्ययन करना।

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

गणित फोबिया (गणितीय डर)— ऐसा भय जो व्यक्ति या शिक्षार्थी को गणितीय समस्याओं से कुशलता से समाधान करने में रोकता है। शिक्षार्थियों द्वारा गणित के सवाल हल करने व गणित के प्रयोग में अपने आपको असहज, भयभीत, असक्षम एवं आशारहित महसूस करने को ही गणित फोबिया (गणितीय डर) कहते हैं।

खुशहाली पाठ्यचर्या— नर्सरी से कक्षा 8 तक के शिक्षार्थियों हेतु खुशहाली पाठ्यचर्या विभिन्न तरीकों के माध्यम से खोज, अनुभव और खुशी व्यक्त करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण और मंच प्रदान करने का आशाजनक प्रयास है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में प्रकृति, समाज और पढ़ाई से भय को समाप्त करना तथा देश के प्रति संवेदनशील बनाना है।

शोध विधि

इस शोध अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक थी। इस शोध अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में नई दिल्ली के दक्षिण जिले के पाँच सरकारी विद्यालयों में से यादृच्छिक रूप से कक्षा 6 से 8 तक के 30 शिक्षार्थियों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण के लिए स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया था।

प्रदत्तों का विश्लेषण

- साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 75 प्रतिशत शिक्षार्थियों का यह मानना है कि गणित उन्हें कठिन विषय लगता है। क्योंकि इसमें सवाल कठिन होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए फार्मूले (सूत्र) याद रखने पड़ते हैं। 15 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि वह गणित विषय के अध्ययन में आनंद का अनुभव करते हैं।
- साक्षात्कार के दौरान 70 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने गणित विषय कठिन लगने के कारणों में बताया कि हमारी गणित में कमज़ोर पृष्ठभूमि, गणित के प्रति नकारात्मक व्यवहार तथा गणित की अमूर्त प्रकृति का होना है। शिक्षार्थियों ने गणित में अच्छी पाठ्यपुस्तक की कमी तथा अध्यापक के गणित शिक्षण में रुचिपूर्ण शिक्षण के तरीकों का प्रयोग न करने को भी गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का कारण बताया। 30 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने इसका कारण शिक्षार्थियों और अध्यापकों की गणित शिक्षण में सक्रिय भागीदारी न होना बताया है।
- 'सामान्यतः शिक्षार्थियों में गणित के प्रति विभिन्न प्रकार के मिथक, जैसे— गणितीय क्षमता लड़कों में जन्मजात होती है, गणित में सृजनात्मकता नहीं होती है, गणित सीखने के लिए एक विशेष स्मृति की आवश्यकता होती है आदि पाए जाते हैं तथा गणित के प्रति शिक्षार्थियों में नकारात्मक पूर्वग्रह बने होते हैं जो कि गणित फोबिया को बढ़ाते हैं। साक्षात्कार के दौरान 70 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह स्वीकार किया कि खुशहाली पाठ्यचर्या आने के बाद गणितीय मिथक एवं नकारात्मक पूर्व धाराणाओं में कमी आई है। खुशहाली पाठ्यचर्या के आने के बाद गणित अध्यापक ने शिक्षार्थियों को बोलने,

सोचने तथा समझने का अवसर प्रदान किया है तथा गणित के प्रति नकारात्मक पूर्वग्रह को तोड़कर 'मैं कर सकता/सकती हूँ' वाली सोच विकसित की है, जिसका प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव शिक्षार्थियों के गणितीय प्रदर्शन पर पड़ा है। जैसा कि साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्वयं कहा— "पहले मैं गणना करने से कतराता था लेकिन अब मैं गणना करने लगा हूँ तथा मेरी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ी है।"

- "इसने पढ़ाई का बोझ कम किया है, इसी के कारण मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी हूँ अब मैं अपने को गणित में पहले से अच्छा महसूस करती हूँ।"
- जबकि 20 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि खुशहाली पाठ्यचर्या आने के बाद गणितीय मिथक एवं नकारात्मक पूर्व धारणाओं में आंशिक रूप से ही कमी आई है। जैसे कि साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्वयं कहा—"कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।" इसके अलावा 10 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने खुशहाली पाठ्यचर्या के आने के बाद गणित में नकारात्मक पूर्व धारणाओं में कमी को नकार दिया। कहा कि, "खुशहाली पाठ्यचर्या के आने के बाद कोई बदलाव नहीं आया बल्कि इस पीरियड में समय व्यर्थ होता है।"
- एक अध्यापक के लिए जहाँ विषयवस्तु का ज्ञान आवश्यक है, वहीं उसे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव कैसे प्रदान कराए जाएँ कि उनमें सीखने के लिए प्रेरणा जागृत हो सके तथा गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। साक्षात्कार के दौरान 75 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि खुशहाली पाठ्यचर्या लागू होने के बाद अध्यापकों की शिक्षण शैली में बदलाव आया है। पहले अध्यापकों और शिक्षार्थियों की अन्योन्यक्रिया कम होती थी। अब शिक्षार्थियों को कक्षा में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है तथा अध्यापकों को अपने शिक्षार्थियों को समझने का अधिक अवसर मिला है। जिससे अब अध्यापक पाठ योजना शिक्षार्थियों के पूर्वज्ञान के आधार पर बनाते हैं तथा कक्षा में शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार नई-नई विधियों से कार्य करते हैं। जैसा कि कुछ शिक्षार्थियों ने स्वयं कहा है कि— "हाँ, हमारी जरूरतों को लेकर अब हमारे अध्यापक अधिक संवेदनशील हो गए हैं। वह कक्षा में शिक्षार्थियों के हिसाब से तथा विषय के हिसाब से अलग-अलग क्रियाकलाप तथा खेल आयोजित करवाते हैं।" जबकि 10 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने खुशहाली पाठ्यचर्या लागू होने के बाद अध्यापक की शिक्षण शैली में बदलाव से इनकार किया। इसके अलावा 15 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
- 'साक्षात्कार के दौरान 80 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि खुशहाली पाठ्यचर्या के लागू होने के बाद कक्षा के परिवेश में परिवर्तन आया है, जैसे अब कक्षा का परिवेश अधिक अनुशासित, खुशहाल तथा शांत हो गया है। शिक्षार्थी कक्षा में रुचि लेने लगे हैं, जिससे शिक्षार्थियों की कक्षा में प्रतिदिन की उपस्थिति बढ़ी है। शिक्षार्थी कक्षा में

अपनी बात रखने लगे हैं। अब शिक्षार्थी खुद से ही किसी भी गतिविधि में भाग लेने लगे हैं तथा उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा का स्तर ऊपर उठ रहा है। अब शिक्षार्थियों में संतुष्टि तथा खुशहाली है। जबकि 10 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कक्षा के किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नकारा है। इसके अलावा 10 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

- खुशहाली पाठ्यचर्या के लागू होने के बाद अध्यापक के व्यवहार में बदलाव के बारे में पूछने पर 80 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि अध्यापक का व्यवहार बदला है। पहले सिर्फ किसी भी तरह पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता था और शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित था। अब शिक्षार्थियों को खुशी के साथ ऐसी गतिविधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जो उन्हें आनंदमय और आसान बनाए। ध्यान तथा कहानी के सिखाए जाने वाले मूल्यों को अध्यापक स्वयं भी आत्मसात करते हैं तथा वे स्वयं भी खुशहाली पाठ्यचर्या की गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं तथा माइंडफुलनेस (सचेत करने वाली) जैसी गतिविधियों से अध्यापक के व्यवहार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साक्षात्कार के दौरान शिक्षार्थियों ने स्वयं कहा कि— "अब अध्यापक कक्षा में विषय के अलावा भी बातें करते हैं, जैसे— किस्सा, कहानियाँ तथा सामान्य बातें भी करते हैं और हमारी समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं।"
- "अध्यापक अब हम सभी शिक्षार्थियों पर ध्यान देते हैं, जब हम सवाल हल नहीं कर पाते तो वे हमें सवाल करने के लिए उत्साहित करते हैं, और हमारी मदद करते हैं।" आठ प्रतिशत शिक्षार्थियों ने किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार किया है अर्थात अभी भी अध्यापकों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और वे पाठ्यचर्या को जल्दी पूरा करने पर ज़ोर देते हैं। जबकि 12 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
- 'एक अध्यापक के लिए जितना अपने विषय में पारंगत होना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक अपने शिक्षार्थियों को भी जानना है ताकि अध्यापक शिक्षार्थी की वैयक्तिक भिन्नता तथा उसकी पृष्ठभूमि को जानकर उसे परामर्श प्रदान कर सकें। अतः जब साक्षात्कार के दौरान शिक्षार्थियों से उनकी अपने अध्यापक के साथ सामाजिक एवं सांवेगिक अंतर्क्रिया में बदलाव के बारे में पूछा गया तो 85 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने बताया कि पहले अध्यापक के सामने शिक्षार्थी डरे एवं सहमे रहते थे तथा अध्यापक के साथ सीधी चर्चा नहीं कर पाते थे। अब शिक्षार्थी अध्यापक के साथ सामान्य, व्यक्तिगत, घर से संबंधित बातें एवं समस्याओं के बारे में भी बातें कर लेते हैं। वे स्वयं अध्यापक को अपने साथ घटी घटनाएँ भी बताते हैं तथा उन्हें अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है जिससे शिक्षार्थी और अध्यापक संबंध मित्रवत हुए हैं। इस प्रकार शिक्षार्थियों में किसी भी क्रियाकलाप तथा गतिविधि को बिना किसी दबाव से खुद से करने की रुचि बढ़ी है। इस प्रक्रिया से अध्यापकों को भी शिक्षार्थियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सांवेगिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हुआ है, जिससे उसे शिक्षार्थियों को परामर्श देने

के अलावा अपनी पाठ योजना को तैयार करने में सहायता मिली है। जैसा कि एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की छात्रा ने अध्यापक को बताया कि— "उसके छोटे बहन-भाइयों के कारण घर पर उसकी पढ़ाई में बाधा आती है।" क्योंकि उसके माता-पिता के पास उन्हें स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं वे घर पर ही खेलते रहते हैं। जबकि एक अन्य शिक्षार्थी ने बताया कि— "वह सुबह उठकर 50 घरों में अखबार बाँटता है। तब वह विद्यालय आता है।" वहीं 15 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया। उनका मानना है कि अध्यापक कक्षा में आते हैं और विषय से संबंधित पाठ पढ़ाना आरंभ कर देते हैं सिर्फ सवालों का उत्तर देते हैं और पीरियड खत्म होते ही कक्षा से चले जाते हैं।"

- साक्षात्कार के दौरान 85 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने यह माना कि खुशहाली पाठ्यचर्या के लागू होने के बाद गणित से जुड़े हुए परस्पर संवाद में सकारात्मक अंतर्क्रिया बढ़ी है। अब शिक्षार्थी खुद ही अपनी समस्याओं को अध्यापक के पास ले जाते हैं तथा अध्यापक भी उनकी समस्याओं को विनम्रतापूर्वक एवं ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षार्थियों की अध्यापक के साथ घनिष्ठता बढ़ी है। अब वे खुलकर गणित के किसी भी विषय पर बात करते हैं जिससे वे गणित के बहुत से विषय/सवाल बिना श्यामपट के हल करने लगे हैं। इस प्रयास से शिक्षार्थियों के दिमाग से गणितीय बोझ दूर हुआ है तथा उनका आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ी है। शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर अध्यापक के साथ चर्चा करने की आज़ादी है। 15 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने इस अंतर्क्रिया के बढ़ने को नकारा है। शिक्षार्थियों का मानना है कि, "अध्यापक सिर्फ श्यामपट पर सवाल हल कर उन्हें कॉपी में उतारने का आदेश दे देते हैं और एक सवाल को सिर्फ एक बार ही समझाते हैं।"

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशहाली पाठ्यचर्या के लागू होने के बाद अधिकतम शिक्षार्थियों में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जैसे— सक्रियता, ईमानदारी, संतुष्टि, समायोजन तथा अध्ययन के प्रति लगाव होना आदि। शिक्षार्थी यह सोचते हैं कि खुशहाली पाठ्यचर्या गणितीय शिक्षा को आसान, अर्थपूर्ण और आनन्दमय बनाने में बहुत श्रेष्ठ कदम है। इससे गणितीय तनाव दूर हुए हैं तथा शिक्षार्थियों के अधिगम का स्तर बढ़ा है। इसके कारण ज़्यादातर शिक्षार्थी तथा अध्यापक अधिक सक्रिय हुए हैं, अब वे गणितीय चुनौतियों का सामना अधिक अभिप्रेरित होकर करते हैं। अब अध्यापक अधिक सक्रिय, जागरूक तथा अपने शिक्षण से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अपने शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता का पता होता है। शिक्षार्थी अपने आप को अध्यापक के समक्ष अभिव्यक्त करने में मुक्त महसूस करते हैं तथा पढ़ने में रुचि लेते हैं। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि खुशहाली पाठ्यचर्या आने के पश्चात अधिकतम शिक्षार्थियों के

अपनी मित्रमंडली में, अध्यापकों के साथ तथा अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बने हैं। जब शिक्षार्थी सीखने के प्रति ध्यान देने की प्रक्रिया से गुज़रते हैं, तो उन्हें शांति और संतुष्टि मिलने के साथ-साथ उनके सभी प्रकार के निष्पादनों में सुधार आता है। खुशहाली पाठ्यचर्या ने शिक्षा के बोझ को कम किया है। शिक्षार्थियों के गणित के प्रति नकारात्मक पूर्वग्रहों को तोड़ा है। शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास का विकास हुआ है तथा अध्यापक कक्षा में शिक्षण के नए-नए तरीकों, गतिविधियों और तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। खुशहाली पाठ्यचर्या लागू होने के बाद विद्यालय का अनुशासन बढ़ा है। साथ ही अध्यापक शिक्षण से पूर्व शिक्षण का परिवेश तैयार करते हैं तथा शिक्षार्थियों को विषय से जोड़ते हैं। इससे शिक्षार्थियों में सांवेगिक स्थिरता आई है, साथ ही उनका आत्मज्ञान भी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त अधिकतर शिक्षार्थियों का विषयों के प्रति भय कम हुआ है तथा शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है।

संदर्भ

कुलश्रेष्ठ ए.के. 2015. *गणित का शिक्षण.* लॉयल प्रकाशन, मेरठ.

महावीर. *गणितसार संग्रह.* गणितशास्त्र विषयक प्राचीन ग्रंथ. जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2018. *हैप्पीनेस टीचर्स हैंडबुक.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2019. *खुशहाली पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2019.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.
http://www.edudel.nic.in>Happiness. से प्राप्त किया गया.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

वाह रे! बोर्ड परीक्षाफल

मोईनुद्दीन ख़ान*

हम सब जानते हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम विशेष महत्व रखते हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में अभिभावक अपने बच्चों के परीक्षा परिणामों को लेकर बहुत चिंतित व सतर्क रहते हैं। परीक्षा के परिणामों का इंतज़ार बच्चे तथा बच्चों के घरवालों के साथ-साथ रिश्तेदार और पड़ोसी भी करते नज़र आते हैं। ये परीक्षा परिणाम बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों के लिए भी सम्मान का विषय बन जाते हैं। इसलिए बच्चा परीक्षा और परिणामों, दोनों को लेकर तनाव में रहता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चे अनुमान से कहीं ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों को लगता है कि (कभी-कभी कम अंक अधिक प्राप्ति की स्थिति में) उनके साथ अन्याय हुआ है। इस पहेली को सुलझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सब मूल्यांकन पद्धति पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि कितने अंक एवं प्रतिशत हासिल करने पर बच्चा सफल कहलाएगा? जहाँ तक मैंने (लेखक ने) देखा है कि इन अंकों एवं प्रतिशतों की सीमा रेखा दशकों के साथ आगे खिसकती जा रही है। अब कौन इसे खिसका रहा है? यह बताना मुश्किल होगा। बच्चों द्वारा प्राप्त प्रतिशत की रेखा पिछले कुछ दशकों से जिस तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। लेकिन चिंतन का विषय यह है कि पहले ऐसा क्यों नहीं था? बच्चे बदल गए या मूल्यांकन करने वाले या परीक्षा प्रणाली? इसी सवाल, इसके महत्व, वर्तमान समय के मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों को मैंने (लेखक ने) इस लेख में एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही, इस परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सकारात्मक सुधार हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों को हल स्वरूप प्रस्तुत किया है।

यह सच है कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान और उदासी की एक बड़ी वजह उनके परीक्षा परिणाम हैं। बेहतर प्रदर्शन (यहाँ प्राप्तांकों की बात हो रही है) उन्हें उछलने को उत्साहित करता है, तो वहीं खराब प्रदर्शन बच्चों को हताश व निराश होने पर मजबूर कर देता है। कई बार तो शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी भी बेहद गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अभिभावकों की उम्मीद से कम अंक प्राप्त किए होते हैं। अब प्रश्न ये उठते हैं कि—

- कैसे ज्ञात हो कि कौन-सा प्रदर्शन बेहतर है?
- कितना प्राप्तांक श्रेष्ठ श्रेणी में आएगा?
- अधिकतम कितना प्राप्तांक मिल सकता है?
- मानक क्या हों?
- मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226007

प्राप्तांकों में पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में इतना अंतर क्यों?

- बच्चों को कैसे ज्ञात हो कि प्राप्तांक इतना ही होना चाहिए?
- क्या हम मूल्यांकन प्रक्रिया में आए इस बदलाव की ओर ध्यान दे रहे हैं?

मूल्यांकन को लेकर ऐसे कई सवाल हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं। चिंता का विषय यह है कि ये चलन कब से चल पड़ा है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों और परीक्षा के पूर्णांकों को एकरूप बनाया जाए? अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं था? कहीं ये इसके नकारात्मक परिणाम तो नहीं हैं? एक और बात ध्यान देने की है कि इस एकरूपता में (प्राप्तांक= पूर्णांक) समरूपता नहीं देखने को मिलती है अर्थात मूल्यांकन की हर इकाई (अर्थात बोर्ड) ऐसा करती नज़र नहीं आती है। फिर भी, यहाँ इस सवाल पर विचार एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि पहले और अब के परीक्षा परिणाम में इतना अंतर क्यों है?

माँ की ममता बनाम परीक्षाफल का दिन

“किशनु, अरे ओ! किशनु.... ये लड़का कभी-भी सवेरे जल्दी उठता ही नहीं”। यूँ ही आवाज़ लगाते हुए और बड़बड़ाते हुए माँ ने किशनु के कमरे में प्रवेश किया, परंतु कमरे में अंदर कदम रखते ही वह अवाक रह गई। रोज़ की तरह सोते रहने के बजाय किशनु तो उदास-सा अपने बिस्तर पर बैठा मिला। माँ की झुंझलाहट मानो फुर्र हो गई, ममता का सागर उमड़ पड़ा और प्यार से बालों को सहलाते हुए कहने लगी— “क्या हुआ मेरे लाल को, नींद नहीं आई क्या”? किशनु— (धीमी आवाज़ में) नहीं, नहीं; मैं तो सोया था, बस अभी उठा हूँ।” माँ— “अच्छा, चल अब तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ।” ये कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गयी। आज किशनु को नींद आती भी कहाँ से? क्योंकि आज 17 मई जो ठहरी; परीक्षाफल घोषित होने का दिन। अरे! वही बोर्ड परीक्षाफल का दिन।

नींद उड़ने की वजह

आज बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आना था। किशनु इसी उधेड़बुन में रातभर सो नहीं सका। बेचारा पूरी रात अनुमान लगाता रहा और नंबर जोड़ता रहा एवं करवटें बदलता रहा, पर वह अपनी कल्पना में किसी भी हालत में 55 प्रतिशत प्राप्तांक से अधिक न लाँघ सका। उसने परीक्षा के लिए परिश्रम भी खूब किया था, पर हर बार और हर प्रश्न-पत्र में उसके कुछ प्रश्न छूट जाते थे। वह एक औसत छात्र था, पर वह अपनी माँ की आँखों का तारा था।

नये दिन की शुरुआत

किशनु बिस्तर से नीचे उतरकर, बोझिल कदमों से चलता हुआ स्नान घर में चला गया। नहाने के बाद नाश्ता करते समय, बार-बार उसकी नज़र दीवार घड़ी पर जा रही थी। वह अपने मित्र अमजद के आने का इंतजार भी कर रहा था। उसने उसे आज अपने घर जल्दी बुलाया था। क्योंकि दोनों ने साथ ही परीक्षाफल देखने का निर्णय लिया था। अमजद किशनु का मित्र होने के साथ-साथ उसका पड़ोसी भी था। दोनों का एक-दूसरे के घर बे-रोकटोक आना-जाना था। अमजद की अम्मी, अमजद व किशनु को एक साथ देख लाखों दुआएँ देती, तो किशनु की माँ भी दोनों बच्चों की बलाएँ अपने सर लेते हुए ईश्वर से उनकी सलामती की प्रार्थना करती रहती।

ये बंधन टूटे न

तभी दरवाज़े में अमजद को आता देख किशनु मुस्कुरा पड़ा। अंदर आकर उसने किशनु की माँ को प्रणाम किया और उनके इशारे पर ही किशनु के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करके किशनु ने माँ को कहा कि— "माँ हम लोग परीक्षाफल देखने जा रहे हैं, कम्प्यूटर वाले के यहाँ"। माँ दौड़ी-दौड़ी आई और आरती की थाल से दोनों बच्चों को तिलक लगाया और आशीर्वाद देते हुए, सावधानी से जाने को कहा।

मिशन पर दो यार

दोनों साथी घर से निकल पड़े। माँ दरवाज़े पर खड़ी होकर तब तक निहारती रही, जब तक वे दोनों आँखों से ओझल न हो गए। गली पार करके दोनों मित्र सड़क पर आ गए और सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर बाँयी ओर चलने लगे। दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। तभी चुप्पी तोड़ते हुए अमजद ने कहा— यार किशनु! मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं शायद प्रथम श्रेणी न प्राप्त कर सकूँ। किशनु ने भी एक पर्ची पर अपने जोड़े हुए अनुमानित अंक उसे दिखाए।

चमत्कारी मशीन के पास

दोनों कम्प्यूटर सेंटर पहुँचे, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग पर्ची पर अपने अनुक्रमांक लिखकर दे रहे थे और कम्प्यूटर ऑपरेटर बारी-बारी सबके परीक्षाफल देखकर बता रहा था। दोनों साथियों ने भी अपना-अपना अनुक्रमांक एक पर्ची पर लिखकर वहाँ जमा कर दिए।

जाने क्या होगा

किशनु की बारी आने पर उसने अपनी आँखें बंद कर लीं। कम्प्यूटर ऑपरेटर ने उसके अनुक्रमांक डाले और बोला— क्या भाई! क्या कर दिया तुमने? किशनु पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, उसने आँखें खोल दीं, माथे पर पसीने की बूँदें साफ झलकने लगीं, दिल धड़कने लगा, साँसें तेज़ चलने लगीं, मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसके मुँह से निकला— क... क... क... क्या हुआ? बदले में कम्प्यूटर ऑपरेटर ने उसे कम्प्यूटर स्क्रीन की ओर खींचा और वहाँ इशारा किया जहाँ उसके प्राप्तांक दिखाई दे रहे थे— 85 प्रतिशत। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिंट निकलवाकर वह नंबर देखने लगा और बार-बार प्रतिशत जोड़ने लगा और वह इसी उधेड़बुन में खो गया।

हो... डरने की क्या बात है!

तभी उसने अपने कंधों को झकझोरता हुआ महसूस किया। मुड़कर देखा तो अमजद हाथ में परीक्षाफल लिए कूद रहा था। उसने भी 83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। दोनों साथी दौड़ते, उछलते, कूदते घर की ओर चल पड़े क्योंकि उन्हें अपनी माताओं को खुशखबरी जो देनी थी।

आखिरी बात

आजकल द्वितीय श्रेणी में तो कोई विद्यार्थी पास ही नहीं होता है। अब 80 प्रतिशत प्राप्तांक तो साधारण विद्यार्थी भी पाता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तो बात ही छोड़िए। क्या पहले विद्यार्थी अक्लमूढ़ हुआ करते थे? वाह रे! बोर्ड परीक्षाफल।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बदलाव की आशा

उक्त काल्पनिक कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं बोर्ड परीक्षा व उसके मूल्यांकन में लचीलापन है। परंतु क्षमता-विभेद करना मुश्किल है। परीक्षा को मशीनी प्रक्रिया से बाहर निकालकर उसमें

मौलिकता, तर्कक्षमता और सृजनात्मकता के अवसर बढ़ाने चाहिए। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि यह बदलाव शिक्षा पद्धति को पूर्णता प्रदान करेगा। नीति-निर्माता इस बात को स्वीकार करते हैं कि बच्चों को तनावमुक्त बनाए रखना शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ व रचनात्मक सोच-विचार को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए।

परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र पूरी तरह रचनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषण क्षमता की परख करने वाले हों अर्थात ऐसे प्रश्न हों जो किताबी ज्ञान तक ही सीमित न हों, बल्कि दक्षता और समझ आधारित प्रश्न हों। इस प्रकार के प्रयास परीक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में सार्थक पहल होगी। साथ ही, मूल्यांकन प्रणाली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, मानक तय हों और मूल्यांकन शैली बदली जाए। वर्तमान में, बच्चों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने की दौड़ उन्हें रटंत विद्या में दक्ष बना रही है। यही नहीं, इस दबाव ने बच्चों में कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं, वह कुंठित हो रहे हैं, तनाव का शिकार बन रहे हैं, जिससे उनकी मौलिक क्षमताएँ समाप्त हो रही हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जड़ होकर सिर्फ़ अंक प्राप्ति का खेल बनती नज़र आ रही है। इस दिशा में सुधार हेतु कुछ सम्भावित बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है—

- विद्यालय आधारित आकलन को बच्चों के मूल्यांकन का आधार बनाया जाए।
- बोर्ड परीक्षाओं के लचीलेपन पर ध्यान दिया जाए और इस दिशा में सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएँ।
- सत्रांत परीक्षाओं के बोझ में कमी हो।
- प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों का सार्थक मूल्यांकन हो।
- समकक्ष (Peer Group) आकलन को प्राथमिकता दी जाए।

आर.टी.ई.एक्ट, 2009 और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के वास्तुकारों का मानना है कि आठवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा में बच्चों की प्रोन्नति स्वचालित होनी चाहिए अर्थात बच्चों का आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली या विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित हो, ताकि कोई भी बच्चा किसी बोर्ड परीक्षा या मूल्यांकन प्रणाली में असफल न हो। इस विश्वास का एक तर्क यह भी है कि बच्चे परीक्षा में असफलता से डरते हैं। इसलिए परीक्षाओं से बच्चों को मानसिक आघात पहुँचता है और कम उम्र में असफलता उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है। यह भी माना जाता है कि परीक्षाएँ स्कूलों से बच्चों के उच्च अनुपात में ड्रॉपआउट का कारण भी हैं। अगर हमें स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार करना है, तो हमें परीक्षाओं (जटिल परीक्षाओं) से दूर रहना होगा।

आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के अनुसार, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाए—

- संविधान में निहित मूल्यों से अनुरूपता;
- बालक का सर्वांगीण विकास;
- बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना;

- अधिकतम सीमा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास;
- बाल अनुकूल और बाल-केंद्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण;
- शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा हो;
- बालक को भय, मानसिक आघात और चिंतामुक्त बनाना;
- बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना;
- बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना;
- किसी भी बालक की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाए; तथा
- प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने पर एक प्रमाण-पत्र दिया जाए।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आकलन आवश्यक है। यह विभिन्न पणधारकों की कई तरह से सहायता कर सकता है। आकलन से विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं यह पता लगाया जाता है; अध्यापक, प्रशिक्षक, अभिभावक तथा नीति-निर्माता बच्चों के विषय में सार्थक निर्णय ले सकते हैं। इसी क्रम में विभिन्न नीतिगत दस्तावेज़ों ने मूल्यांकन की विद्यालय आधारित पद्धति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके सीखने के क्रम का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। इस प्रकार के मूल्यांकन से निम्न बातों में विशेष सहायता मिल सकेगी—

- बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और उसके विकास में हुए परिवर्तन का पता लगाकर उसकी पहचान करना।
- ये पता लगाना कि प्रत्येक बच्चे को सीखने में कहाँ और कैसी सहायता की आवश्यकता है?
- बच्चों की ज़रूरत के अनुसार सीखने-सिखाने की योजना तैयार करना जिससे उन्हें सहायता मिल सके।
- आकलन के डर को दूर करते हुए बच्चों को लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बच्चे प्रतिदिन क्या नया सीख रहे हैं? का पता लगाना।
- ये ज्ञात करना कि बच्चों के सीखने का सतत ग्राफ क्या है, जिससे अध्यापक अपनी शिक्षण-अधिगम योजना में अनुकूल परिवर्तन कर सकें।
- बच्चों के अधिगम विकास के बारे में उनके अभिभावकों को साक्ष्य प्रदान करना तथा उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल करना।
- यह भी पता लगाना कि पाठ्यचर्या पर आधारित सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पा रही है; तथा
- बच्चों में सीखने और विकास की प्रक्रिया में पाई गई कमियों को दूर करने के प्रयास करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्रीय अधिगम समग्र,

एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रयास किए जाएँ। सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि का समग्र आधार बिंदु, शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशलों में सक्षम करना हो। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को कम किया जाए। अनुभव-आधारित अधिगम पर बल दिया जाए। कोर्स के चयन में लचीलेपन के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जाए। विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं—

- नियमित रचनात्मक आकलन की व्यवस्था हो;
- आकलन का वास्तविक उद्देश्य बच्चों को सिखाना हो;
- इसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि मूल्यांकन शामिल हों;
- बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में रचनात्मक बदलाव किए जाएँ;
- अधिक लचीलापन विद्यार्थियों के अवसरों को छीन रहा है। इसे समायोजित करने की दिशा में काम होना चाहिए; तथा
- विद्यालय आधारित आकलन की लचीली प्रक्रिया व दक्षता आधारित शिक्षा को लागू किया जाए।

निष्कर्ष

उक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि बोर्ड परीक्षाओं में दोष या मूल्यांकन पद्धति में कमियों से बच्चों का वास्तविक अधिगम बाधित हो रहा है। जिससे वे आगे बहुत अच्छा (जितना वे कर सकते हैं) प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। हमें इस दिशा में समय-समय पर आए नीतिगत दस्तावेज़ों की अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, ताकि बच्चों के सुनहरे भविष्य को सँवारा जा सके।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2020. *सतत एवं व्यापक मूल्यांकन*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान एवं शिक्षा में उसकी प्रासंगिकता

दीपक कुमार*
शिल्पी कुमारी**

प्रशिक्षुता शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में यह चित्र उभरकर सामने आता है कि किसी कार्य या कौशल का अवलोकन व अभ्यास करके सीखना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षुता में किसी विशेषज्ञ के द्वारा निष्पादित कार्य या कौशल का अवलोकन व अभ्यास करके प्रशिक्षु उससे सीखता है, जैसे— विद्यालय में अध्यापक द्वारा किसी कविता का आदर्श वाचन करने पर विद्यार्थी उसका अनुकरण वाचन करते हैं। परंतु जब बात संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की आती है तो मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किसी मानसिक क्रिया अर्थात संज्ञानात्मक क्रिया को कैसे दृश्यमान बनाया जाएगा, जिसका अवलोकन व अभ्यास करके सरलता से सीखा जा सकता है। कॉलिंस तथा उनके साथियों (1987) ने 'सोच' को दृश्यमान बनाने के लिए एक ऐसे ही प्रतिमान का विकास किया, जिसका नाम संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान है। सभी मानसिक क्रियाओं को दृश्यमान बनाना आसान नहीं हो सकता, परंतु यह प्रतिमान कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को दृश्यमान बनाने में सफल रहा है। यह लेख इसी संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान पर आधारित है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान के द्वारा 'सोच' को दृश्यमान बनाने का कार्य किया जाता है। इस लेख में पारंपरिक प्रशिक्षुता और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के अंतर को भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है तथा एक विशेषज्ञ को किस प्रकार से दक्ष होना चाहिए आदि की चर्चा की गई है। अंत में, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की वर्तमान प्रासंगिकता को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह लेख वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा विद्यालयी शिक्षा (उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर) में कार्यरत अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रशिक्षुता, किसी कौशल को सिखाने का एक तरीका है जिसमें किसी कौशल का विशेषज्ञ किसी प्रशिक्षु को उस कौशल को सिखाता है, जैसे— किसी बालक को साइकिल चलाना सीखना या किसी व्यक्ति में चारपहिया वाहन चलाने का कौशल विकसित करना। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी प्रशिक्षुता आधारित अधिगम की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी दस दिन के बस्ता रहित अवधि में भाग लेंगे, जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों,

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

जैसे— बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ संख्या 23–24)। प्राचीन समय में जब स्कूल, कॉलेज नहीं होते थे तो बालक या व्यक्ति किसी कार्य के कौशल को प्रशिक्षुता के माध्यम से सीखते थे (कॉलिंस एवं अन्य, 1991)। उस समय व्यावहारिक ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता था। धीरे-धीरे समय बदलता गया और यह माना जाने लगा कि किसी कार्य को सीखने-सिखाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार प्रशिक्षुता को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए विद्यालय का प्रचलन प्रारंभ हो गया और आधुनिक समय में, कुछ पहलुओं को छोड़कर प्रशिक्षुता को बड़े पैमाने पर औपचारिक स्कूली शिक्षा से बदल दिया गया। प्रशिक्षुता में एक संरचित प्रशिक्षण योजना शामिल होती है, जिसमें विशिष्ट कौशल में पारंगतता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें कार्य की प्रक्रिया दिखाई देती है जिसका अवलोकन किया जा सकता है, परंतु विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य अथवा कौशल (जैसे— समस्या समाधान का 'अभ्यास', पढ़कर समझने की क्षमता आदि) होते हैं जिसकी प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये सभी मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं। इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं को दृश्यमान बनाने के लिए कॉलिंस, ब्राउन तथा न्यूमैन (1987) ने संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान (कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल—सी.ए.एम.) का प्रतिपादन किया।

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक ऐसा संप्रत्यय है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का लक्ष्य सीखने की गतिविधि में चिंतनशील प्रक्रियाओं को विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए दृश्यमान बनाना है। कॉलिन्स, ब्राउन तथा न्यूमैन (1987) ने निर्देश और अधिगम दोनों के लिए एक प्रतिमान के रूप में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की जड़ें रचनावादी उपागम से जुडी हुई हैं (कॉलिंस एवं अन्य, 1987)। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता उस तरीके का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा एक विशेषज्ञ प्रशिक्षक एक प्रशिक्षु शिक्षार्थी को सिखाता है कि एक जटिल समस्या को हल करने के लिए कैसे सोचना है। यह (सी.ए.एम.) वायगोत्सकी के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बन्डूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत और स्थिति संज्ञान सिद्धांत पर आधारित एक प्रतिमान है (कॉलिंस एवं अन्य, 1987)।

कॉलिंस एवं उनके साथियों ने परंपरागत प्रशिक्षुता और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता में अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि परंपरागत प्रशिक्षुता में किसी कार्य की प्रक्रिया मूर्त होती है जिसका अवलोकन करके उस कार्य को आसानी से सीखा जा सकता है। यह 'अनुभव से सीखने' के सबसे पुराने साधन का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता में कार्य की प्रक्रिया मानसिक होती है जो अमूर्त होने के कारण दिखाई नहीं देती है। ऐसे कार्यों व कौशलों को सीखना चुनौतीपूर्ण होता है।

तालिका 1 में परंपरागत प्रशिक्षुता और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता में अंतर (कॉलिंस एवं अन्य, 1987; घेफेलि, 2003) को दर्शाया गया है—

तालिका 1 से स्पष्ट है कि पारंपरिक प्रशिक्षुता और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के बीच सबसे महत्वपूर्ण

तालिका 1— परंपरागत प्रशिक्षुता और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता में अंतर

परंपरागत प्रशिक्षुता (ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप)	संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता (कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप)
• सरल कार्य	• जटिल/समस्या पर आधारित कार्य
• मनोचालक कौशल और प्रक्रिया	• संज्ञानात्मक और मेटाकॉग्निटिव प्रक्रिया
• कार्यस्थल पर आमने-सामने या एक-एक करके सीखना	• कक्षा और प्रयोगशाला में कई विद्यार्थियों के साथ सीखना
• भौतिक कार्य करके सीखना	• समस्याओं के निदान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बाह्य बनाकर सीखना
• निष्पादन के प्रतिरूपण, अनुशिक्षण और फेडिंग (Fading) से सीखना	• विचारों के प्रतिरूपण, अनुशिक्षण, मचान (स्काफोल्डिंग), अर्टीकुलेशन, विचारशील चिंतन (रिफ्लेक्शन), खोज (एक्सप्लोरेशन) से सीखना

अंतर यह है कि पारंपरिक प्रशिक्षुता में सीखने के लिए कार्य करने की प्रक्रिया आमतौर पर आसानी से देखी जा सकती है, जबकि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता में 'सोच' को सतह पर लाने की आवश्यकता होती है, इसे दृश्यमान बनाने की ज़रूरत होती है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के लिए अध्यापक की सोच विद्यार्थियों को दिखाई देनी चाहिए और विद्यार्थियों की सोच अध्यापक को दिखाई देनी चाहिए, जैसे— एक अध्यापक, विद्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्तन के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कक्षा में कुछ क्रियाकलाप करके दिखाता है। इस क्रियाकलाप में अध्यापक एक काँच का गिलास, पानी और एक पेन्सिल लेता है। अध्यापक ने काँच के गिलास में लगभग तीन चौथाई पानी भरा तथा उसमें पेन्सिल को रखकर विद्यार्थियों से पानी के बाहर और अंदर वाले पेन्सिल के हिस्से को एक साथ ध्यानपूर्वक देखने या अवलोकन करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप ने अधिकांश विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि पानी के तल पर पेन्सिल टूटी या टेढ़ी दिखाई देती है। पानी के तल पर पेन्सिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? इस संबंध में अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच गहन चर्चा होती है और स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणों का हवा से पानी में प्रवेश करते समय मुड़ जाने के कारण पेन्सिल टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार अध्यापक ने प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में विद्यार्थियों की समझ विकसित करने का प्रयास किया और अपनी सोच के साथ-साथ विद्यार्थियों की सोच को उजागर किया अर्थात दृश्यमान बनाया।

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता अधिगम वातावरण के लिए रूपरेखा

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता मुख्यतः चार आयामों पर केंद्रित है। ये आयाम किसी भी अधिगम वातावरण का निर्माण करते हैं। ये आयाम हैं—

1. सामग्री (कंटेंट)
2. विधि (मेथड)
3. अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग)
4. समाजशास्त्र (सोसिऑलॉजि)।

1. *सामग्री (कंटेंट)*

इस आयाम के अंतर्गत विशेषज्ञता के लिए ज्ञान के कुछ प्रकार बताए गए हैं कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता अधिगम वातावरण का निर्माण करने के लिए विशेषज्ञ को किस प्रकार के ज्ञान

से युक्त होना चाहिए। कॉलिंस तथा उनके साथियों (1991) ने बताया कि विशेषज्ञता के लिए व्यक्ति को संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञता, संकल्पना, तथ्य एवं प्रक्रियाएँ आती हैं, से युक्त होना चाहिए अर्थात वह व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएगा जिसे संबंधित विषय की गहरी समझ, उसकी संकल्पनाओं, तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेषज्ञता के लिए तीन प्रकार की रणनीतियों (ह्यूरिस्टिक रणनीतियाँ, नियंत्रित रणनीतियाँ तथा अधिगम रणनीतियाँ) का भी ज्ञान होना आवश्यक बताया है। हम रणनीतिक ज्ञान शब्द का उपयोग आमतौर पर मौन ज्ञान को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो समस्याओं को हल करने और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधारणाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए एक विशेषज्ञ की क्षमता को रेखांकित करता है।

ह्यूरिस्टिक रणनीति से तात्पर्य कार्यों को पूरा करने के लिए आमतौर पर लागू तकनीकों से है तथा नियंत्रित रणनीतिक ज्ञान का अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति या बालक के समस्या-समाधान को निर्देशित करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? और अंतिम अधिगम रणनीति से तात्पर्य है कि विशेषज्ञ को नई अवधारणाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं के विषय में ज्ञान होना चाहिए।

2. *विधि (मेथड)*

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान में प्रतिरूपण (मॉडलिंग), अनुशिक्षण (कोचिंग), मचान (स्काफोल्डिंग), अर्टीकुलेशन, विचारशील चिंतन (रिफ्लेक्शन) तथा खोज (एक्स्प्लोरेशन) नामक छह शिक्षण विधियों की चर्चा की गई है। इन शिक्षण विधियों में प्रशिक्षुता पर बल दिया गया है जो विद्यार्थियों को निरीक्षण करने, जुड़ने तथा किसी संदर्भ में विशेषज्ञ रणनीतियों की खोज करने का अवसर प्रदान करती हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता से संबद्ध छह शिक्षण विधियों में लगभग तीन समूह आते हैं। प्रारंभ की तीन विधियाँ (प्रतिरूपण, अनुशिक्षण और मचान) पारंपरिक प्रशिक्षुता की प्रमुख विधियाँ हैं, इन्हें अभिकल्पित किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को पर्यवेक्षक और निर्देशित अभ्यास की प्रक्रियाओं के माध्यम से कौशल का एक एकीकृत समुच्चय प्राप्त करने में सहायता मिल सके। आगे की दो विधियाँ अर्टीकुलेशन और विचारशील चिंतन (रिफ्लेक्शन) हैं। ये विधियाँ विद्यार्थियों को विशेषज्ञ समस्या समाधान के अपने अवलोकनों पर ध्यान केंद्रित करने और स्वयं की समस्या-समाधान रणनीतियों के प्रति जागरूक करने में मदद करने के लिए अभिकल्पित की गई हैं तथा अंतिम विधि अन्वेषण या खोज (एक्स्प्लोरेशन) का उद्देश्य न केवल विशेषज्ञ समस्या समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने में बल्कि हल की जाने वाली समस्याओं को परिभाषित करने में भी शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की छह विधियों का विवरण इस प्रकार है—

- *प्रतिरूपण (मॉडलिंग)*

इसके अंतर्गत विशेषज्ञ किसी कार्य या कौशल को करके दिखाता है अर्थात इसमें विशेषज्ञ किसी

संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दृश्यमान बनाने का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थी विशेषज्ञ का अवलोकन करके कौशल को सीखने या कार्य को पूरा करने के लिए एक वैचारिक मॉडल का निर्माण कर सके।

- *अनुशिक्षण (कोचिंग)*
  इसके अंतर्गत शिक्षार्थी कार्य या कौशल का निष्पादन करते हैं और विशेषज्ञ उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं। अनुशिक्षण में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को विशेषज्ञ प्रदर्शन के करीब लाने के उद्देश्य से संकेत, मचान, प्रतिक्रिया, मॉडलिंग, अनुस्मारक और नए कार्यों की पेशकश करना शामिल होता है। विशेषज्ञ, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षार्थियों को अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। पलिन्कसर और ब्राउन (1986) के पठन के पारस्परिक शिक्षण (रेसिप्रोकल टीचिंग ऑफ रीडिंग) में अनुशिक्षण के तहत विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, उनकी कठिनाइयों को स्पष्ट करने, सारांश बनाने और अनुमान लगाने के लिए मार्गदर्शन देते थे।

- *मचान (स्काफोल्डिंग)*
  मचान से तात्पर्य उस सहायता से है जो विशेषज्ञ द्वारा शिक्षार्थियों को कार्य करने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह समर्थन, सुझाव व सहायता किसी भी रूप में हो सकता है। विशेषज्ञ द्वारा मचान प्रदान करते समय उस कार्य के कुछ हिस्से को निष्पादित भी किया जा सकता है जिसे शिक्षार्थी अभी तक नहीं समझ रहा था। इस तरह के मचान के लिए शिक्षार्थी के वर्तमान कौशल स्तर या लक्ष्य गतिविधि को पूरा करने में कठिनाई के स्तर की पहचान की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ द्वारा इस मचान तकनीक का उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि शिक्षार्थी कार्य को करने में सक्षम न हो जाए। जैसे-जैसे शिक्षार्थी कार्य को करने में सक्षम होता जाता है, वैसे-वैसे विशेषज्ञ मचान को कम करते जाते हैं और अंत में एक समय ऐसा आता है जब शिक्षार्थी बिना मचान के अपने दम पर कार्य को पूरा कर लेते हैं।

- *अर्टीकुलेशन*
  इसमें शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसकी स्पष्ट व्याख्या करें। विशेषज्ञ शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान, तर्क व समस्या समाधान प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए तथा सोच को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

- *विचारशील चिंतन (रिफ्लेक्शन)*
  इस चरण में शिक्षार्थी उस कार्य का विश्लेषण या पुनर्निर्माण करते हैं जिसे वे पहले के चरणों में कर चुके हैं। इसमें शिक्षार्थियों को विशेषज्ञ, अन्य शिक्षार्थियों और विशेषज्ञता के आंतरिक संज्ञानात्मक प्रतिमान के साथ अपनी समस्या समाधान प्रक्रियाओं की तुलना करने में सक्षम बनाना शामिल है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता (जिसे मेटाकॉग्निशन भी कहा जाता है) बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने ज्ञान की तुलना दूसरों के ज्ञान से करते हैं। इसमें विशेषज्ञ की भूमिका शिक्षार्थियों को उनकी समस्या सुलझाने की प्रक्रियाओं की तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- *खोज/अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन)*

  इस चरण में शिक्षार्थी अपनी परियोजना और कार्य वातावरण की खोज करके विभिन्न परिकल्पनाओं, विधियों और रणनीतियों को क्रियान्वित करते हैं। अन्वेषण के माध्यम से वे सीख सकते हैं कि कैसे 'प्राप्त करने योग्य लक्ष्य' निर्धारित करें, परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण करें और किस प्रकार स्वतंत्र खोज करें। यह चरण शिक्षार्थियों में उपयोगी प्रश्नों को तैयार करना और कठिन समस्याओं को स्वयं पहचानने की क्षमता विकसित करता है। यहाँ विशेषज्ञ की भूमिका विद्यार्थियों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा वे शिक्षार्थियों को स्वयं अपनी समस्या के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. ***अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग)***

   संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, अधिगम गतिविधियों के अनुक्रम (सिक्वेंसिंग) को निर्देशित करने के लिए कुछ सिद्धांत प्रदान करती है, जैसे— स्थानीय से पहले वैश्विक कौशल (ग्लोबल बिफोर लोकल स्किल्स), बढ़ती जटिलता (इनक्रीसिंग कॉम्प्लैक्सिटी) तथा बढ़ती विविधता (इनक्रीज़िंग डायवर्सिटी)। स्थानीय से पहले वैश्विक कौशल उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों को कार्य के किसी हिस्से के विवरण में भाग लेने से पहले एक वैचारिक मानचित्र बनाने की अनुमति देता है। समग्र गतिविधि का एक स्पष्ट वैचारिक मॉडल होने से शिक्षार्थियों को उस हिस्से को समझने में मदद मिलती है, जो वे कर रहे हैं, इस प्रकार उनकी स्वयं की प्रगति की निगरानी करने और आत्म-सुधार कौशल विकसित करने की उनकी क्षमता में सुधार होता है। इसी प्रकार 'बढ़ती जटिलता' कार्यों के एक क्रम के निर्माण को दर्शाती है जिसमें विशेषज्ञ के निष्पादन के लिए आवश्यक कौशलों और संकल्पनाओं का अधिकाधिक उपयोग अपेक्षित होता है। इसके अंतर्गत सार्थक कार्यों का कठिनाई स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। जैसे किसी बच्चे को सबसे पहले अक्षरों की पहचान एवं ज्ञान कराया जाता है उसके बाद अक्षरों के संयोग से शब्द बनाना और फिर शब्दों से वाक्य बनाना सिखाया जाता है। इस प्रकार उसके कार्य करने के कठिनाई स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। अधिगम गतिविधियों के अनुक्रम को निर्देशित करने के लिए बताया गया अंतिम सिद्धांत 'बढ़ती विविधता' कार्यों के अनुक्रम के निर्माण को संदर्भित करता है, जिसमें व्यापक कौशल या रणनीतियों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे विद्यार्थी अधिक विविध समस्याओं को हल करने के लिए कौशल का उपयोग करना सीखते हैं, वैसे-वैसे उनकी रणनीतियाँ प्रासंगिक संबंधों का हिस्सा बन जाती हैं और इस प्रकार अपरिचित या नई समस्याओं के साथ उपयोग के लिए वे आसानी से उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों को कक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन करते समय कहानी भी पढ़नी पड़ती है, कविता भी और निबंध भी। इसी प्रकार उन्हें अलग-अलग विषय भी पढ़ने पड़ते हैं जो बढ़ती विविधता को दर्शाता है।

4. ***समाजशास्त्र (सोशिऑलॉजि)***

   संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान का अंतिम आयाम 'समाजशास्त्र' से संबंधित है। इससे

तालिका 2— संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के चारों आयामों का संक्षिप्त रूप

आयाम		
विषयवस्तु (कंटेंट)	**विशेषज्ञता के लिए आवश्यक ज्ञान का प्रकार**	
	संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र	विषयवस्तु विशिष्ट अवधारणाएँ, तथ्य और प्रक्रियाएँ
	ह्यूरिस्टिक रणनीतियाँ	कार्यों को पूरा करने के लिए आमतौर पर लागू तकनीक
	नियंत्रित रणनीतियाँ	किसी की समाधान प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण
	अधिगम रणनीतियाँ	नई अवधारणाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं को सीखने के तरीके के बारे में ज्ञान
विधि (मेथड)	**विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा देने के तरीके**	
	प्रतिरूपण (मॉडलिंग)	अध्यापक कार्य का निष्पादन करते हैं ताकि विद्यार्थी अवलोकन कर सकें।
	अनुशिक्षण (कोचिंग)	विद्यार्थी कार्य का निष्पादन करते हैं तथा अध्यापक अवलोकन करने के साथ-साथ मार्गदर्शन देते हैं।
	मचान (स्काफोल्डिंग)	अध्यापक विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करते हैं।
	अर्टीकुलेशन	अध्यापक विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और सोच को मौखिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
	विचारशील चिंतन (रिफ्लेकशन)	अध्यापक विद्यार्थियों को दूसरों के साथ उनके प्रदर्शन की तुलना करने में सक्षम बनाते हैं।
	खोज/अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन)	अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं।
अनुक्रमण (सिक्वेंसिंग)	**अधिगम गतिविधियों की कुंजी को क्रमवार करना**	
	स्थानीय से पहले वैश्विक कौशल (ग्लोबल बिफोर लोकल स्किल्स)	किसी अंश को क्रियान्वित करने से पहले पूरे कार्य की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना।
	बढ़ती जटिलता (इनक्रीजिंग कॉम्प्लैक्सिटी)	सार्थक कार्यों के कठिनाई स्तर का क्रमशः बढ़ना।
	बढ़ती विविधता (इनक्रीजिंग डायवर्सिटी)	व्यापक अनुप्रयोग पर ज़ोर देने के लिए विभिन्न स्थितियों में अभ्यास करना।
समाजशास्त्र (सोशिऑलॉजि)	**अधिगम वातावरण की सामाजिक विशेषताएँ**	
	स्थिति अधिगम (सिचुएटिड लर्निंग)	यथार्थवादी कार्यों पर काम करने के संदर्भ में सीखते हैं।
	अभ्यास की संस्कृति (कल्चर ऑफ प्रैक्टिस)	सार्थक कार्यों को पूरा करने के विभिन्न तरीकों के बारे में संचार
	आंतरिक प्रेरणा (इनट्रिंसिक मॉटिवेशन)	विद्यार्थी कौशल और समाधान तलाशने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
	सहयोग (कोऑपरेशन)	विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

तात्पर्य है कि प्रशिक्षु किसी कौशल को एक विशेष या अलग सीखने के माहौल में नहीं, बल्कि सहकारी तरीके से सीखते हैं। जिसमें प्रशिक्षु, मास्टर और अन्य प्रशिक्षुओं से घिरे होते हैं। सभी प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुरू से ही ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो ज्ञान के उत्पादन में सीधे योगदान दें और स्वतंत्र कुशल उत्पादन की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें।

इसी क्रम में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के चारों आयामों को संक्षिप्त रूप में तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की उपयोगिता

कॉलिंस एवं उनके साथियों ने अपने एक लेख (1991) में बताया कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक उपयोगी निर्देशात्मक प्रतिमान है जो एक अध्यापक को विद्यार्थियों को जटिल कार्य सिखाने में सहायता करता है। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के तरीकों को विद्यालयी पाठ्यक्रम (पढ़ने, लिखने और गणित) को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पलिन्कसर और ब्राउन (1984) ने भी पठन बोध (रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन) कौशल के विकास के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान को उपयोगी बताया तथा ब्रुइन (2019) ने अपने एक अध्ययन में बताया कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता विद्यार्थियों को विशेषज्ञ की तरह सोचने का तरीका सिखाती है अर्थात यह प्रतिमान विद्यार्थियों के जटिल कार्यों को आसान बनाने में काफी उपयोगी है तथा इसके माध्यम से विद्यालयी पाठ्यक्रम के कुछ संज्ञानात्मक संप्रत्ययों या कौशलों (जैसे— पठन बोध, सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि) को विद्यार्थियों को आसानी से सिखाया जा सकता है।

भारत में भी संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान पर कई अध्ययन हुए हैं, जैसे— मैथ्यू (2014) ने गणित, मेटाकॉग्निशन प्रतिफल (मेटाकॉग्निशन आउटकम्स) और सामाजिक कौशल की उपलब्धि पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान गणित में उपलब्धि, मेटाकॉग्निशन प्रतिफल और सामाजिक कौशल को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाता है तथा इसके उपयोग से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक सार्थक और रोचक बनती है। इसी प्रकार जयकुमारी (2017) ने वैज्ञानिक जाँच कौशल और भौतिक विषय में उपलब्धि पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन किया। जिसके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान नौवीं कक्षा के माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक जाँच कौशल और भौतिकी में उपलब्धि को बढ़ावा देने में प्रभावी है। इसी प्रकार इब्राहीम (2020) ने बच्चों द्वारा गणित सीखने तथा उच्च स्तर के चिंतन कौशल को विकसित करने में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान को एक बेहतर प्रतिमान बताया। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान वर्तमान समय में विद्यालयी शिक्षा के उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों के विकास के साथ-साथ उनकी उपलब्धि को बढ़ाने में भी अत्यंत उपयोगी है।

उच्च शिक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के कई अध्ययन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर भी केंद्रित हैं। जैसे, जैगर (2002) ने 'पठन बोध' में नए निर्देशात्मक व्यवहार पर अध्यापक प्रशिक्षण

का प्रभाव' नामक विषय पर अध्ययन कार्य किया तथा लियू (2005) ने वेब आधारित संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान (सी.ए.एम.) का उपयोग करके सेवा-पूर्व अध्यापकों की अनुदेशनात्मक योजना के प्रति निष्पादन एवं अभिरुचि को ज्ञात किया। इन दोनों अध्ययनों में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान उपयोगी साबित हुआ। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान अध्यापक शिक्षा के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस प्रतिमान के द्वारा प्रशिक्षुओं (छात्राध्यापकों) को विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम उन शिक्षण कौशलों की पहचान करनी ज़रूरी होगा जिनका विकास संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान द्वारा किया जा सकता है। इसके उपरांत संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की विधियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कौशलों के विशेषज्ञ द्वारा संबंधित कौशलों का प्रतिरूपण किया जाएगा। इसके अवलोकन के माध्यम से प्रशिक्षु (छात्राध्यापक) उस कौशल के संप्रत्यय को समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे के चरणों में मार्गदर्शन, मचान जैसी अन्य संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान की विधियों का अनुसरण करके शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रतिमान एक उपयोगी निर्देशात्मक प्रतिमान है जो अध्यापक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैचारिक, मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययनों में लागू किया गया है और अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में इस प्रतिमान (सी.ए.एम.) का उपयोग अध्यापक शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा (उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर) में विभिन्न संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए किया जा सकता है। इस प्रतिमान में प्रयुक्त विधियाँ संज्ञानात्मक संप्रत्ययों या कौशलों को दृश्यमान बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिसकी सहायता से विद्यार्थी उन तथ्यों को भी आसानी से सीख पाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अतः यह प्रतिमान वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अध्यापक-प्रशिक्षकों तथा विद्यालयी शिक्षा (उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर) से जुड़े अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रतिमान के द्वारा अध्यापक शिक्षार्थियों में विभिन्न संज्ञानात्मक कौशलों का विकास कर सकते हैं तथा उनकी उपलब्धि को भी बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ

इब्राहीम, एन. एन. 2020. इम्पैक्ट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स (एच.ओ.टी.एस.) मॉड्यूल बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल (सी.ए.एम.) ऑन स्टुडेंट्स परफॉरमेंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च.* 19(7).

कॉलिंस, ए., जे. एस. ब्राउन. और एस. इ. न्यूमैन. 1987. कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप— टीचिंग द क्राफ्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, एंड मैथमेटिक्स. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीडिंग. *टेक्निकल रिपोर्ट.* 403. 2 मई 2021 को https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/17958/ctrstreadtechrepv01987i00403_opt.pdf?sequence से पुनः प्राप्त किया गया.

कॉलिंस, ए., जे. एस. ब्राउन. और ए. होलुम. 1991. कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप— मेकिंग थिंकिंग विजिबल. *अमेरिकन एजुकेटर.* 15(3).

घेफेलि, ए. 2003. कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्टेक्स्टूलाईजेशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटिंग, डिजाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग.* 4. 6 दिसंबर 2021 को https://www.researchgate.net/publication/255574023_Cognitive_Apprenticeship_Technology_and_the_Contextualization_of_Learning_Environments. से पुनः प्राप्त किया गया.

जयकुमारी, एस. 2017. *इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल ऑन साइंटिफिक इन्क्वायरी स्किल्स एंड अचीवमेंट इन फिजिक्स.* डॉक्टरल थीसिस, मनोनमनियम सुन्दरानर, विश्वविद्यालय. 18 जून 2020 को http://hdl.handle.net/10603/233708 से पुनः प्राप्त किया गया.

जैगर, बी. डी. और अन्य. 2002. द इफेक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग ऑन न्यू इंस्ट्रक्शनल बेहविअर इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. *टीचर एंड टीचिंग एजुकेशन.* 18(2002).

ब्रुइन, एल.आर. 2019. द यूज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप इन द लर्निंग एंड टीचिंग इम्प्रोवाईजेशन— टीचर एंड स्टुडेंट पर्सपेक्टिव. *रिसर्च स्टडीज इन म्यूजिक एजुकेशन.* 41(3). 28 मार्च 2021 को https://doi.org/10.1177/1321103X18773110 से पुनः प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* एम.एच.आर.डी. भारत सरकार, नई दिल्ली.

मैथ्यू, पी. 2014. *इक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल ऑन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, मेटाकॉग्निशन आउटकम एंड सोशल स्किल्स.* डॉक्टरल थीसिस, भारतियर विश्वविद्यालय. 18 जून 2020 को http://hdl.handle.net/10603/89317 से पुनः प्राप्त किया गया.

लियू, टी. सी. 2005. वेब बेस्ड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल फॉर इम्प्रोविंग प्री-सर्विस टीचर्स परफॉरमेंस एंड एटीटूडस टुवर्डस इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग— डिजाइन एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी.* 8(2).

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की विद्यालयी शिक्षा में प्रासंगिकता

शशि रंजन*
शिरीष पाल सिंह**

शिक्षा में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र एक परिवर्तन आधारित दृष्टिकोण है। विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा देना और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए उसे अच्छा नागरिक बनाना शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। अध्यापक द्वारा कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में न्याय और समानता के मूल्यों को विकसित करना चाहिए। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र एक महत्वपूर्ण शिक्षण-अधिगम रणनीति है, जिसे न्याय और सामाजिक समानता के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को मज़बूत करने तथा अपने ज्ञान में सुधार करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह सिद्धांत शिक्षा को ज्ञान के हस्तांतरण से परे मानता है और भविष्य की श्रम शक्ति को प्रशिक्षित एवं उसकी आलोचनात्मक चेतना को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करता है। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र शिक्षा और सामाजिक आंदोलन का एक दर्शन है, जिसने आलोचनात्मक सिद्धांत और संबंधित परम्पराओं से शिक्षा के क्षेत्र और संस्कृति के अध्ययन में नई अवधारणाओं को विकसित और लागू किया है। यह लेख पाउलो फ्रेरे के दर्शन पर केंद्रित है तथा उनके आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता पर विस्तृत चर्चा करता है।

विद्यालयी शिक्षा की समकालीन धारणाओं का केंद्र बिंदु ज्ञान का सृजन करना और विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ाना है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों की प्रभावशीलता को विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निष्पादन से मापा जाता है। अधिकांश सर्वे में शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने में सार्थक रूप से जोड़ने में कम रुचि दिखाते हैं। प्राय: अध्यापक कक्षा को नियोजित एवं विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करने हेतु विभिन्न रणनीतियों की तलाश करते हैं। परंतु उनकी आलोचनात्मक चिंतन क्षमताओं, मानदंडों, मूल्यों को बढ़ाने या समग्र सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए कम प्रयास करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण-अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को तैयार करना फ्रेरे की शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के समान है जो एक अध्यापक केंद्रित शिक्षा का द्योतक है जिसमें विषय-वस्तु को याद रखना प्राथमिक रणनीति है।

लेकिन फ्रेरे और कई अन्य विद्वान, जैसे— डीवी, ग्राम्स्की आदि ने ज्ञान को स्थानांतरित करने

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
**प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

की प्रवृत्ति को बदलना चाहा और विभिन्न विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों जैसे संवाद और समस्या-समाधान विधि के माध्यम से ज्ञान के सृजन हेतु तर्क दिए। फ्रेरे ने विद्यार्थी-केंद्रित रणनीतियों को आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के रूप में परिभाषित किया (उद्दीन, 2019)। इसका उद्देश्य उत्पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाना है। भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है— 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। जहाँ विद्या से तात्पर्य शिक्षा से है एवं मुक्ति से तात्पर्य अंधविश्वास, दासता, अज्ञान, अन्याय और उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना है। इस प्रकार शिक्षा से ही मनुष्य उपर्युक्त बाधाओं से मुक्ति पा सकता है (पंडित, 2007)। शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों की भाषा, अनुभव और कौशलों का निर्माण करना है न कि उन पर अध्यापकों की संस्कृति को थोपना है। फ्रेरे का दर्शन गरीब और उत्पीड़ित लोगों के सामने प्रगाढ़ सम्मान और विनम्रता से शुरू होता है, यह सम्मान और विनम्रता अध्यापक (जो भी सिखाता है) और विद्यार्थी (जो भी सीखता है) के बीच विश्वास और संप्रेषण की स्थिति को बढ़ावा देता है जिसमें शिक्षा एक सामूहिक गतिविधि बन जाती है और अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान के बजाए संवाद में प्रतिभाग करने से एक-दूसरे को लाभ होता है (उपाध्याय, 1996)। इस प्रकार वास्तविक शिक्षण तब होता है जब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच परस्पर सम्मान, समझ और संवाद हो। साथ ही, विद्यार्थियों के अनुभवों, भावनाओं और ज्ञान को भी चुनौती दी जानी चाहिए तथा सार्थक रूप से सीखने के लिए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए।

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र क्या है?

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ाने और उनके जीवन एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। यह एक ऐसी रणनीति है जो विद्यार्थियों में चेतना, समझ और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यह शिक्षणशास्त्र विद्यार्थियों को कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षणशास्त्र एक ऐसी अवधारणा है जिससे शिक्षा प्रणाली की समस्या का समाधान किया जाता है। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक ज़िम्मेदार अध्यापक के साथ संवाद किया जाना चाहिए। फ्रेरे ने विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा के लिए यह तर्क दिया कि शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत या संवाद एवं समस्या-समाधान विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद-आधारित दृष्टिकोण का तात्पर्य विद्यार्थियों को विचारों के आदान-प्रदान में शामिल करना, खोज-बीन करना एवं सीखने से है। समस्या-समाधान विधि को इस प्रकार से अभिकल्पित किया गया है कि विद्यार्थी किसी भी समस्या का समाधान विचारावेश (ब्रेनस्टॉर्मिंग) के माध्यम से कर सकें। जॉन डीवी ने विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा के लिए तर्क दिया है। इसलिए आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में शामिल करना और उन्हें सक्रिय विद्यार्थी बनाना है।

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र का महत्व

शिक्षा में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। फ्रेरे की इस विचारधारा

का अभिप्राय लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक आधिपत्य से मुक्त कराना था, न कि राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करना था। उन्होंने निरक्षर किसानों को अपनी मौन संस्कृति को तोड़ने के लिए प्रेरित किया एवं विद्यार्थियों की आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में विभिन्न अंत:क्रियात्मक शिक्षण रणनीतियों (जैसे— संवाद, समस्या-समाधान) की एक विस्तृत विविधता को अनुकरण करने का आग्रह किया (उद्दीन, 2019; ब्रयूइंग, 2005)। फ्रेरे इस शिक्षणशास्त्र के माध्यम से गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए मुक्ति की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि विद्यालयों को ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ सामाजिक परिवर्तन और विकास किया जा सके। विद्यालयों को न केवल विद्यार्थियों के बीच आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए बल्कि उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि आस-पास के वातावरण को कैसे बदला जाए। जहाँ एक ओर फ्रेरे की धारणा उत्पीड़ित लोगों को जगाने के लिए थी, जिससे उन्हें समझने में मदद मिले कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, फ्रेरे ने यह भी प्रयास किया कि उत्पीड़कों को यह एहसास हो कि वे दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। फ्रेरे एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसी शिक्षा की वकालत की जो उत्पीड़ितों को सशक्त बनाए और उत्पीड़कों को सामाजिक न्याय की समझ प्रदान करे (टिम्पसन, 1988)।

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के बारे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूर्व विद्यालयी अवस्था में खेल-खेल और गतिविधि आधारित शिक्षणशास्त्रीय शैली को अपनाया जाए ताकि संवादात्मक कक्षा शैली के द्वारा अध्ययन-अध्यापन कार्य को प्रोत्साहन मिले। माध्यमिक अवस्था में अनुभव आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। सभी स्तरों की शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की प्रथा से वास्तविक समझ की ओर ले जाना है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ संख्या 17)। नीति में बताया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संपन्न करना होगा, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे अधिगम नियमित रूप से अधिक रुचिकर, सहयोगात्मक, खोजपूर्ण गतिविधि पर आधारित होगा ताकि विद्यार्थी अधिक गहन और प्रायोगिक तरीके से सीख सकेंगे (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ संख्या 18)। यह नीति उल्लेख करती है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा और पहले से चली आ रही परीक्षा के लिए रटंत पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक चिंतन एवं तार्किक निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकेगा। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के माध्यम से विद्यार्थियों में संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य एवं लचीलापन जैसे जीवन कौशल को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें स्थानीय संदर्भ की विविधताओं और स्थानीय वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की कक्षा-शिक्षण में प्रासंगिकता

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के तत्वों के उपयोग के बारे में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* (एन.सी.एफ़. 2005) में उपयुक्त एवं प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त किया गया है और कहा गया है कि आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र से विद्यार्थियों को विभिन्न मुद्दों, जैसे— राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक पक्षों के आलोक में आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी शिक्षण के सभी आयामों में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को अपनाने की आवश्यकता है (एन.सी.एफ़. 2005)। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विकसित सीखने के प्रतिफलों की पूर्ति हेतु कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने के लिए आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को अपनाया जाना चाहिए। जब एक अध्यापक अपनी कक्षा में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को लागू करता है तो वह अपनी कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक ढंग से तैयार करता है जहाँ विद्यार्थी आपस में संवाद स्थापित करते हैं, एक-दूसरे के विचारों को जानते एवं समझते हैं। साथ ही, किसी भी प्रकार की स्थिति को समझने, उसके विषय में आलोचनात्मक चिंतन करने तथा उस यथास्थिति को चुनौती दे सकने में सक्षम होते हैं। इन सभी का अभ्यास, विद्यालय की संस्कृति और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जिससे सभी विद्यार्थी कक्षा के लोकतांत्रिक वातावरण में किसी भी यथास्थिति का सामना कर सकने एवं उस पर संवाद करने के उद्देश्य से आलोचनात्मक चिंतन करने में सक्षम होते हैं।

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को कक्षा शिक्षण में लागू करने एवं उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के प्रमुख घटकों, जैसे— लोकतांत्रिक वातावरण, अभ्यास, संवाद, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, यथास्थिति को चुनौती देना एवं वास्तविक परिस्थितियों को शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक द्वारा अपनी पाठ-योजना में शामिल किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र में अभ्यास का विशेष महत्व है। अभ्यास (प्रैक्टिस) में कार्यवाही और चिंतन दोनों शामिल होते हैं। यह एक अमूर्त विचार (सिद्धांत) या एक अनुभव के साथ शुरू होता है और उस विचार या अनुभव पर चिंतन को शामिल करता है जो उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही में बदल जाता है। शिक्षा में प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत और परिवर्तनकारी कार्यवाही की खाई को पाटना है जिससे मानव अस्तित्व को प्रभावशाली तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है (ब्रयूइंग, 2006; गुर्जे, 1998)। अभ्यास चिंतनशील, आलोचनात्मक और संवादपूर्ण कार्यवाही के माध्यम से दुनिया को बदलने का प्रयास करता है (रोबर्ट्स, 2000)। प्रैक्टिस के माध्यम से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को जागृत किया जाता है, जैसे— किसी विषय पर विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थिति दी जाती है जिसमें वह स्वयं समस्या की पहचान करता है तथा उस समस्या का विश्लेषण करने में सक्षम होता है। तत्पश्चात उत्पन्न समस्याओं के

समाधान हेतु कार्य योजना बनाता है जिसके माध्यम से समस्या के समाधान तक पहुँचता है। कार्य योजना निर्माण के बाद उसे लागू किया जाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा बनाई गई कार्य योजना उत्पन्न समस्या के लिए कारगर सिद्ध है अथवा नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस के अंतिम चरण अर्थात कार्य योजना का विश्लेषण एवं कार्यवाही का मूल्यांकन करना आवश्यक है। आलोचनात्मक प्रैक्टिस एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसे चित्र 1 के माध्यम से दर्शाया गया है (राजेश, 2014)।

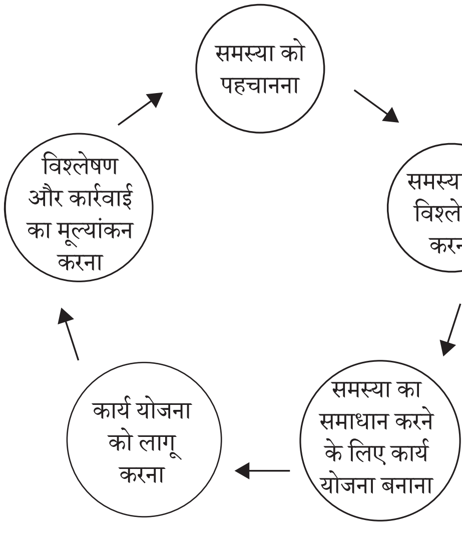

चित्र 1— आलोचनात्मक प्रैक्टिस की चक्रीय प्रक्रिया

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र का कक्षा-कक्ष में अनुप्रयोग

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को कक्षा में लागू करते समय अध्यापक को आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र से संबंधित पाठ योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने के लिए तीन अवस्थाओं को ध्यान में रखना होता है। जिसके अंतर्गत विषय उत्पन्न करना (जनरेटिंग थीम), अकादमिक विषय (अकेडमिक थीम) एवं रचनात्मक कार्यवाही अवस्था (क्रिएटिव एक्टिव फेज) संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना होता है। साथ ही, परियोजना कार्य के रूप में गृह कार्य विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है जिससे विद्यार्थी अपने आस-पास के परिवेश एवं संस्कृति को समझने में सक्षम होते हैं एवं किसी भी प्रकार की उत्पन्न हुई स्थिति से सामना करने हेतु स्वयं को तैयार करते हैं। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र संबंधित पाठ योजना का निर्माण करते समय एक अध्यापक को शिक्षण गतिविधियों में सर्वप्रथम विषय उत्पन्न कराने हेतु विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें विद्यार्थी आलोचनात्मक रूप से चिंतन करते हुए आपसी संवाद स्थापित करते हैं। इसके लिए अध्यापक द्वारा कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक रूप से तैयार किया जाता है जिसमें सभी विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से संवाद स्थापित करने में सहज महसूस करते हैं। उदाहरणस्वरूप, अध्यापक यदि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत *हमारी अर्थव्यवस्था* (भाग 1), कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक में निहित अध्याय 3 'गरीबी' के बारे में पढ़ाना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अवधारणा मानचित्र तैयार करना होता है जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। तत्पश्चात आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र आधारित पाठ योजना का निर्माण तालिका 1 के अनुसार किया जाता है।

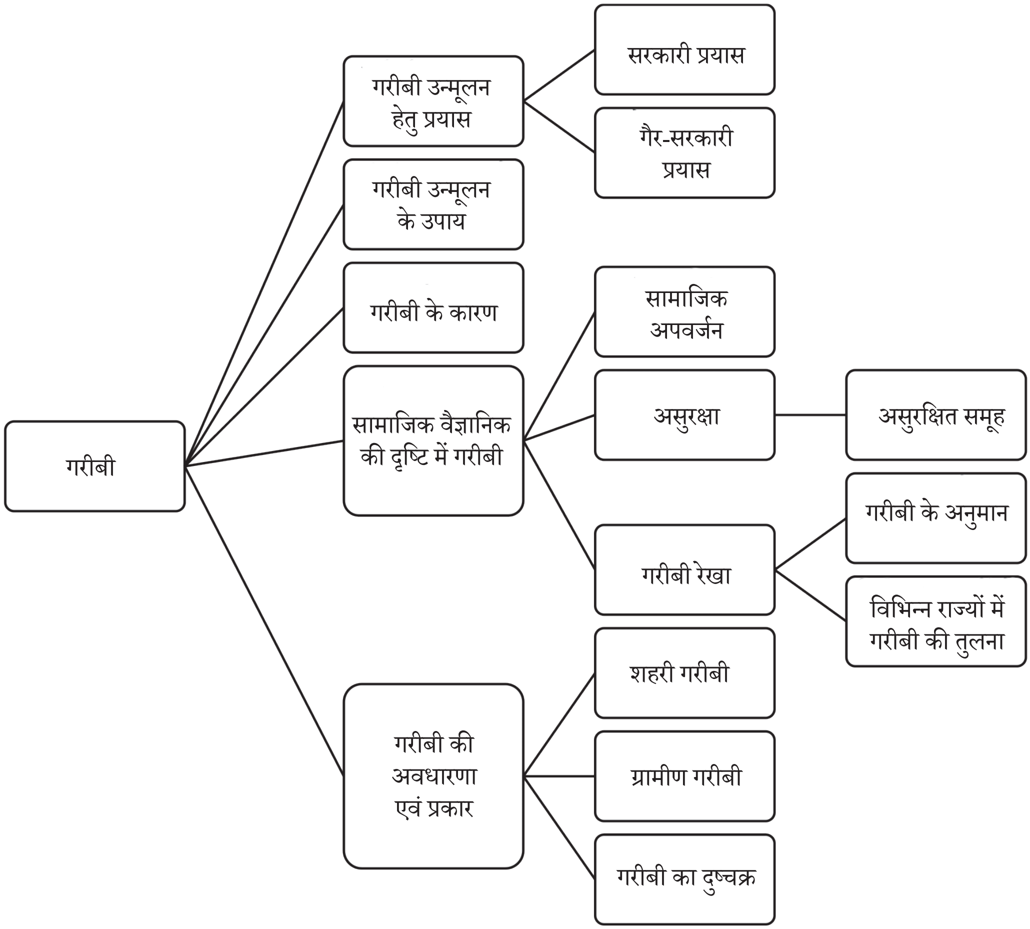

चित्र 2— अवधारणा मानचित्र (कॉन्सेप्ट मैप)

तालिका 1— आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र आधारित पाठ योजना (गरीबी की अवधारणा एवं प्रकार)

अवस्था	शिक्षण गतिविधियाँ	विद्यार्थी प्रतिक्रियाएँ	आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के घटक	आलोचनात्मक प्रैक्टिस
विषय उत्पन्न करना (जनरेटिंग थीम)	अध्यापक— कक्षा के सभी विद्यार्थियों को चार समूहों में विभक्त होने के लिए कहता है और प्रत्येक समूह में गरीबी आधारित दो विशिष्ट मामले (शहरी और ग्रामीण गरीबी संबंधित कहानी पाठ्यपुस्तक से) का स्व-अध्ययन करने के लिए कहता है। साथ ही, समूहवार संप्रत्यय आधारित प्रश्नों की रचना करने के लिए कहता है और अन्य समूहों के साथ चर्चा करने के लिए कहता है। अध्यापक— कक्षा में विभक्त विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह को यह कार्य दिया जाता है कि वह अपने आस-पास के परिवेश से गरीबी में जीवनयापन करने वाले परिवारों को चिह्नित करें और उसके बाद उनसे यह पूछा जाता है कि किन-किन तत्वों को आधार बनाकर उन्होंने उन परिवारों को गरीब चिह्नित किया है।	विद्यार्थी— समूह में गरीबी आधारित विशिष्ट मामले (शहरी और ग्रामीण गरीबी) का अध्ययन करते हैं। प्रश्नों की रचना करते हैं, जैसे— शहरी और ग्रामीण गरीबी में क्या भिन्नता है? उनके निवास स्थान के आस-पास किस प्रकार की गरीबी है? गरीबी के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? अध्ययन के उपरांत उत्पन्न समस्या पर अन्य समूहों के साथ वाद विवाद करते हैं। विद्यार्थी— वह अपने आस-पास के परिवेश से गरीबी में जीवनयापन करने वाले परिवारों को चिह्नित करता है। परिवार गरीब क्यों हैं? इसे चिह्नित करने के कारणों के बारे में बताता है जिसके अंतर्गत यह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है— 1. अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। 2. पूरे परिवार के लिए तीन वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है। 3. रहने के लिए व्यवस्थित घर नहीं है। उपर्युक्त प्रकार के उत्तर आने की प्रबल संभावना है।	संवाद, सम्प्रेषण	समस्या की पहचान करना। समस्या का विश्लेषण करना।

<table>
<tr>
<td>अकादमिक विषय (अकेडमिक थीम)</td>
<td>अध्यापक— गरीबी संप्रत्यय आधारित और गहन जानकारी हेतु विद्यार्थियों को गरीबी की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का एक संयुक्त चित्र दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस संयुक्त चित्र का अवलोकन कर चित्र से संबंधित एक-एक वाक्य लिखिए और सभी चित्र को सम्मिलित करते हुए पाँच से छह पंक्तियों का एक निबंध/कहानी लिखिए। साथ ही, इस विषय पर तार्किक विचार प्रकट करने के लिए कहते हैं।

साथ ही विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कल्पनात्मक निबंध के बारे में अन्य विद्यार्थियों से यह पूछा जाता है कि यह निबंध आपके वास्तविक जीवन से किस प्रकार संबंधित है।</td>
<td>विद्यार्थी— गरीबी आधारित संयुक्त चित्र को देखते हुए उस चित्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गरीबी की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं।
• उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं।
• अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है।
• भर पेट खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है।
• उनके पास नियमित रोज़गार की कमी है।
• अपनी ज़मीन नहीं है।
कुछ विद्यार्थी संयुक्त चित्र का अवलोकन कर प्रत्येक चित्र को सम्मिलित करते हुए एक छोटी कहानी लिखते हैं।

विद्यार्थी— निबंध के आधार पर अपने आस-पास घटित हो रही घटना के आधार पर वर्णन करते हुए बताते हैं कि रमेश (काल्पनिक नाम) के पास न तो अपनी ज़मीन है और न ही उसके पास रहने के लिए घर है। वह रात में पंचायत भवन के बरामदे में सोता है और अपने बच्चों को ईंट के भट्टे (चिमनी) पर काम करने के लिए भेजता है तथा उसकी पत्नी लोगों के घर जाकर बर्तन साफ़ करने का काम करती है।</td>
<td>क्रियाकलाप या गतिविधि आधारित अधिगम

तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक सोच

वास्तविक जीवन से अधिगम को जोड़ना

यथास्थिति को चुनौती देना

आलोचनात्मक चिंतन</td>
<td>समस्या का समाधान करने के लिए कार्य योजना बनाना।

कार्य योजना को लागू करना।</td>
</tr>
</table>

	अध्यापक— गरीबी के दुष्चक्र को किस प्रकार खंडित किया जा सकता है? इसके लिए एक योजना बनाइए तथा उसे अपनी कक्षा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार गरीबी के चंगुल से निकाला जा सकता है?	विद्यार्थी— गरीबी के दुष्चक्र को खंडित करने के लिए एक योजना बनाते हैं और उसे कक्षा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि जो गरीब हैं उन्हें रोज़गार के साधन मुहैया कराते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही सरकारी प्रयासों के अंतर्गत मनरेगा (...) कार्यक्रमों के आधार पर रोज़गार देना एवं गैर-सरकारी प्रयासो के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोज़गार आदि बातों का उल्लेख करते हैं। अत: उक्त प्रयासों से गरीबी के दुष्चक्र को खंडित किया जा सकता है।		
रचनात्मक कार्यवाही अवस्था (क्रिएटिव एक्शन फेज)	अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थी आलोचनात्मक चिंतन कर सकें— गरीबी की माप हेतु सूचकांक गरीबी को मापने में किस सीमा तक सफल हैं? अपनी आलोचनात्मक एवं तार्किक समझ युक्त प्रतिक्रिया दीजिए।	विद्यार्थी— गरीबी की माप के लिए सूचकांक द्वारा सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा और गरीबी रेखा आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत— भारत में जाति-व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जाति के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित किया जाता है। सभी लोगों के लिए चाहे कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे— कोविड-19, बाढ़, भूकंप या रोज़गार की उपलब्धता में कमी आदि से प्रभावित होने की संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। इस प्रकार यह देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी के माप के लिए यह विधि उपयुक्त है, जैसे उत्तर आने की सम्भावना है।	आलोचनात्मक चिंतन स्थानीय ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन	विश्लेषण और कार्यवाही का मूल्यांकन करना।

	गरीबी लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? अपने आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत करें।	विद्यार्थी— गरीबी लोगों के जीवन के स्तर को निम्न तरीके से प्रभावित करती है, जिसके अंतर्गत— गरीबी के कारण व्यक्ति को अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, शिक्षा, रहने के लिए व्यवस्थित घर आदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों का जीवन स्तर निम्न रहता है। गरीबी के कारण अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती, फलस्वरूप वे ज़्यादातर बीमार रहते हैं। उनकी आय में वृद्धि के बजाय कमी हो जाती है। जिसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और देश की उत्पादकता निम्न रहती है। जिसका प्रभाव प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर भी पड़ता है।		

गृह कार्य

आप अपने आस-पड़ोस (ग्रामीण परिवेश) का अवलोकन करें और कोई ऐसे परिवार (उस परिवार का वास्तविक नाम उल्लेख न कर, काल्पनिक रूप से उल्लेख करें) का वर्णन करें, जो गरीब हो, वह गरीबी के दुष्चक्र में किस प्रकार से घिरा हुआ है और उसकी गरीबी को मापने के लिए आपने गरीबी की माप के कौन-से सूचकांक का उपयोग किया?

आलोचनात्मक शिक्षाणशास्त्र के माध्यम से गरीबी संप्रत्यय के शिक्षण-अधिगम में विद्यार्थी सर्वप्रथम गरीबी संप्रत्यय से संबंधित दो विशिष्ट मामलों का अध्ययन करते हैं। जिसमें वह संवाद एवं संप्रेषण जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं तथा प्रैक्टिस के प्रथम चरण में समस्या की पहचान करने की प्रक्रिया करते हैं कि गरीबी क्या है? इसका स्वरूप किस प्रकार का है? तत्पश्चात विद्यार्थी गरीबी के कारणों को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करते हुए चिह्नित करते हैं जिसमें वे प्रैक्टिस के द्वितीय चरण, समस्या का विश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन जागृत होता है। समस्या के विश्लेषण के उपरांत विद्यार्थी क्रियाकलाप या गतिविधि आधारित अधिगम के अंतर्गत गरीबी संप्रत्यय से संबंधित एक कहानी या निबंध लिखते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनमें तार्किक चिंतन एवं कल्पनात्मक सोच विकसित होती है एवं विद्यार्थी अपने आस-पास घटित हो रही घटना का वर्णन करते हुए गरीबी के संप्रत्यय को समझते हैं। इस प्रकार वे इस अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं।

तत्पश्चात प्रैक्टिस के तृतीय चरण में गरीबी के दुष्चक्र को किस प्रकार खंडित किया जाए इसके समाधान हेतु विद्यार्थी कार्य योजना बनाते हैं। जिसमें वह आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के घटक यथास्थिति को चुनौती देना एवं समस्या के समाधान हेतु योजना निर्मित करते हैं। प्रैक्टिस के चतुर्थ चरण में गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए उनके द्वारा बनाई गई योजना को लागू किया जाता है। प्रैक्टिस के अंतिम चरण में उनके द्वारा लागू की गई कार्य योजना का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है जिससे उन्हें यह ज्ञात होता है कि उनके द्वारा बनाई गई कार्य योजना उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट पता चलता है कि जब एक अध्यापक अपनी कक्षा में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को लागू करता है तो वह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्कशक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपयोग करता है, इसके आधार पर वह अपनी पाठ योजना का विकास करता है। साथ ही, प्रैक्टिस में दी गई विभिन्न अवस्थाओं का उपयोग करते हुए पाठ-योजना के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जहाँ आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के उन सभी पक्षों का उपयोग करके एक अध्यापक विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमताओं का विकास कर सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन से कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं। साथ ही, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से संवाद करते हैं जिससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन जागृत होता है।

निष्कर्ष

आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी तथ्यों का आलोचनात्मक तरीके से चिंतन करते हैं। किसी परिस्थिति या समस्या का विश्लेषण करने के उपरांत योजनाबद्ध तरीके से समस्या के समाधान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र शिक्षार्थियों को न सिर्फ़ कक्षा-कक्ष में उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करता है, अपितु वास्तविक जीवन में व्याप्त या उत्पन्न समस्या एवं चुनौतियों से स्वयं या समाज को उबारने में भी सक्षम बनाता है। आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र विद्यार्थियों में तर्क एवं संवाद करने की क्षमता का विकास करता है। जिससे वे किसी तथ्य या परिस्थिति के आलोचनात्मक पक्ष तक पहुँचते हैं, जो उन्हें अधिक चिंतनशील एवं तार्किक बनाने में सहायक होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को लागू करना चाहिए, जिसमें आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के सभी घटक शामिल हों। अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक हो जहाँ विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकें और किसी भी समस्या पर आलोचनात्मक चिंतन कर सकें। अध्यापक विद्यालय में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को लागू कर विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं जहाँ विद्यार्थी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से स्वयं को मुक्त कर सकें अथवा कोई उत्पीड़न न करे। अर्थात न कोई उत्पीड़क हो न कोई उत्पीड़ित हो— सभी लोकतांत्रिक रूप से मुक्त जीवनयापन करने में सक्षम हों।

संदर्भ

उद्दीन, एम. एस. 2019. क्रिटिकल पेडागोजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द क्लासरूम. *जर्नल ऑफ अंडररिप्रेजेंटेड एंड माइनॉरिटी प्रोग्रेस*. 3(2), 109–119.

उपाध्याय, आर. 1996. *उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र* (अनुवाद संस्करण). पृष्ठ संख्या 69–84. ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली.

गुर्ज़े, आई. 1998. टुवर्ड ए नॉनरेप्रेसिव क्रिटिकल पेडागोजी. *एजुकेशनल थ्योरी*. 48(4), पृष्ठ संख्या 463–486.

टिम्पसन, डब्ल्यू. एम. 1988. पाउलो फ्रेरे— एडवोकेट ऑफ लिटरेसी थ्रू लिबरेशन. *एजुकेशनल लीडरशिप*. पृष्ठ संख्या 62–66.

पंडित, एस. 2007. शिक्षा की मुक्ति का सवाल उठाती एक किताब— समीक्षा. *शिक्षा-विमर्श*. पृष्ठ संख्या 30–32.

ब्रयूइंग, एम. 2005. टर्निंग एक्सपेरीयंशल एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी— थ्योरी इंटू प्रैक्टिस. *जर्नल ऑफ एक्सपेरीयंशल एजुकेशन*. पृष्ठ संख्या 28(2), पृष्ठ संख्या 106–122

———. 2006. *क्रिटिकल पेडागोजी ऐज प्रैक्टिस— थीसिस*. पृष्ठ संख्या 29–30. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, लाकेहेड यूनिवर्सिटी.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृष्ठ संख्या 17–18. नई दिल्ली, भारत सरकार.

राजेश, आर.वी. 2014. *ए स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजिकल अप्रोच इन सोशल स्टडीज एट सेकंड्री लेवल*. थीसिस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एन.सी.ई.आर.टी., मैसूर.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

रोबर्ट्स, पी. 2000. *एजुकेशन लिटरेसी एंड ह्यूमनाइजेशन— एक्सप्लोरिंग द वर्क ऑफ पाउलो फ्रेरे*. ग्रीनवुड पब्लिशिंग ग्रुप.

https://images.app.goo.gl/izWkXfsEmbvFrGt88

https://images.app.goo.gl/khYsmCL1sEnuNdgD9

https://images.app.goo.gl/GS1yQJhc51fDzhds5

https://images.app.goo.gl/1GSVcVZ8HnaSdke7A

https://images.app.goo.gl/XFmgihc9A6XAaoPb9

नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता
एक परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुमित गंगवार*

यह शोध पत्र शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित पूर्व में प्रकाशित शोध पत्रों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके लिए शोधार्थी ने सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' पत्रिका के जनवरी, 2017 से अक्तूबर, 2020 की समयावधि में प्रकाशित होने वाले 16 अंकों में से उन सात शोध पत्रों का चयन किया, जिनमें शोधार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर किसी-न-किसी नवाचारी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया था। चयनित शोध पत्रों से मात्रात्मक आँकड़ों का एकत्रीकरण करने के उपरांत इन्हें 'मेटा एसेंशियल सॉफ्टवेयर' की सहायता से एक उभयनिष्ठ पैमाने (कॉमन स्केल) अर्थात प्रभाव आकार (इफेक्ट साइज) में परिवर्तित करके औसत प्रभाव आकार (एवरेज इफेक्ट साइज) ज्ञात किया गया। जिसमें सभी अध्ययनों के प्रभाव आकारों (इफेक्ट साइज) के औसत प्रभाव आकार (एवरेज इफेक्ट साइज) का मान 2.35 (अत्यधिक बड़ा प्रभाव आकार) प्राप्त हुआ। इसके आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का आकार अत्यधिक बड़ा है।

अधिगम का संबंध शिक्षार्थियों एवं अध्यापकों के लिए विषयवस्तु की अवधारणाओं, उनकी प्रकृति, शिक्षण-अधिगम के लक्ष्यों, शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति से है। परंपरागत शिक्षण विधि में अध्यापक विषय से संबंधित विषयवस्तु को शिक्षार्थियों तक प्रेषित करते हैं और यह मान लेते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान का निश्चेष्ट ग्राही होता है। इस शिक्षण विधि को 'शिक्षक केंद्रित विधि' कहते हैं। शिक्षण की विधियाँ, उपागम तथा कार्यनीतियाँ अध्यापक को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं कि कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रारंभ किया जाए? जिससे शिक्षार्थियों का अवधान इस प्रक्रिया में केंद्रित रहे (*विज्ञान शिक्षाशास्त्र*, 2018)। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* ने पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के उपार्जन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित विधियों अथवा नवाचारी शिक्षण विधियों पर ज़ोर दिया है। शिक्षार्थी-केंद्रित विधियों अथवा नवाचारी शिक्षण विधियों की सहायता से पाठ्यचर्या की विषयवस्तु तथा इसके आदान-प्रदान की प्रक्रिया सरल, रुचिकर एवं प्रभावी हो जाती है, जिससे

*असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244001

शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना आसान हो जाता है।

नवाचारी शिक्षण विधि शिक्षार्थी-केंद्रित होती है, जिसमें बच्चों को बातचीत करने, सुनने, बोलने, हाथों से कार्य करने, प्रयोग करने, प्रेक्षण और विचार-विमर्श करने जैसे अलग-अलग अनुभवों के माध्यम से ज्ञान तथा समझ विकसित करने का अवसर मिलता है। इसलिए शिक्षक को अधिगम परिस्थितियों की निर्मिति करते समय उन नवाचारी तथा शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण उपागम एवं विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को उनकी रुचि, गति, आवश्यकता, अभिवृत्ति, परिपक्वता तथा अभिक्षमता के अनुसार क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हुए सीखने के असीम अवसर प्रदान करें। विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल सीखने के अवसर देती हैं (*विज्ञान शिक्षाशास्त्र,* 2018)।

यह सत्य है कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है, इसका निहितार्थ यह है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें शिक्षार्थी को स्व-अधिगम के लिए प्रेरित करें। साथ ही, शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएँ कि वे बच्चों की प्रकृति एवं वातावरण के अनुरूप और विद्यालय में अनुभव आधारित अधिगम वातावरण निर्मित कर सकें।

नवाचारी शिक्षण विधियों में क्रियाशीलता एवं प्रयोगशीलता का प्रमुख गुण होता है। इन विधियों में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हुए सहयोगात्मक रूप से नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। नवाचारी शिक्षण विधियाँ शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाती हैं, जो शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाकर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम को बढ़ाने एवं शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन में विभिन्न नवाचारी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। नवाचारी शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थियों की क्षमताओं, अभिरुचियों, प्रेरणाओं और अनुभवों के अनुसार होने के साथ-साथ प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए वैयक्तिक और विशिष्ट होती हैं। इन नवाचारी शिक्षण विधियों में परियोजना पद्धति, बहुइंद्रिय उपागम, आवश्यकतानुसार कार्य स्थान उपलब्ध कराकर शिक्षण-अधिगम का आयोजन, समूहों में कार्य, सहयोगात्मक अधिगम, सम-समूहों द्वारा सीखना, टोली शिक्षण, अंतर्कक्षीय समूहन, बहु आयु समूहन, स्व-अधिगम आदि है। नवाचारी शिक्षण में विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को किसी भी विषय के शिक्षण से पूर्व कक्षा में पहले उस संप्रत्यय के वर्तमान निष्पादन स्तर (प्रजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस) पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (इंडीविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम) भी विकसित किया जाता है। नवाचारी शिक्षण विधियों का संबंध नवीन तकनीकी से भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इन विधियों में शिक्षक शिक्षण-अधिगम के दौरान तकनीकी के नूतन उपागमों एवं क्रियाकलापों को उपयोग में लाता है।

शोध अध्ययन का औचित्य

इस शोध अध्ययन हेतु समस्या चयन की प्रक्रिया में, पूर्व में हुए विभिन्न परा-विश्लेषणात्मक शोध अध्ययनों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न शोधार्थियों ने ज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में परा-विश्लेषणात्मक

शोध अध्ययन किए हैं। डेन ब्रोक (2012), कलाइयाँ तथा कासिम (2017) ने स्वास्थ्य विज्ञान, सुगानो तथा नबुआ (2020) ने विद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों की गणित विषय की उपलब्धि से संबंधित शोध पत्रों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। अग्रवाल, सक्सेना, गुप्ता, मणि, धीमान, भारद्वाज तथा अन्य (2020) ने विद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों की निकट दृष्टिदोष से संबंधित बीते चार दशक के शोध कार्यों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इसी प्रकार डोनोग्यू तथा हैटी (2021) ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हुए शोध कार्यों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। मेहर, बराल तथा भुयान (2021) ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में परा-संज्ञानात्मक आव्यूहों तथा उपचार से संबंधित शोध कार्यों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। किम, गिल्बर्ट, यू और गेल (2021) ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों की साक्षरता तथा गणितीय कौशल पर शैक्षिक एप्स की प्रभावशीलता संबंधित शोध पत्रों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इसी आधार पर शोधार्थी के विषयानुशासन पर आधारित अभी तक कोई भी ऐसा शोध कार्य नहीं हुआ है। अत: शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिका '*भारतीय आधुनिक शिक्षा*' में नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के अध्ययन पर आधारित प्रकाशित शोध पत्रों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, सुनिश्चित किया गया।

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

नवाचारी शिक्षण विधि

नवाचारी शिक्षण विधि का तात्पर्य उस शिक्षण विधि से होता है जिसमें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित होती है और शिक्षक संसाधक के रूप में कार्य करते हुए अधिगम पारिस्थितिकी का निर्माण करता है। इस शोध कार्य में नवाचारी शिक्षण विधियों का तात्पर्य चयनित शोध पत्रों में शामिल विभिन्न नवाचारी शिक्षण विधियों से है।

प्रभावशीलता

प्रभावशीलता वांछित प्रतिफल उत्पन्न करने की क्षमता या वांछित उत्पादन करने की क्षमता है। किसी शिक्षण-अधिगम विधि को तब प्रभावी माना जाता है जब इससे इच्छित या अपेक्षित प्रतिफल की प्राप्ति हो। इस शोध कार्य में प्रभावशीलता का तात्पर्य चयनित शोध पत्रों में शामिल नवाचारी शिक्षण विधियों का शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वांछित प्रतिफल प्राप्त करने की क्षमता से है।

परा-विश्लेषण

परा-विश्लेषण का तात्पर्य उन सांख्यिकीय विधियों से होता है, जिन्हें परिमाणात्मक अनुसंधान कार्यों से प्राप्त परिणामों के मात्रात्मक एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है (गुप्ता तथा गुप्ता, 2018)। इस शोध कार्य में परा-विश्लेषण का अर्थ चयनित शोध पत्रों से प्राप्त परिमाणात्मक आँकड़ों को उभयनिष्ठ पैमाने (प्रभाव आकार) पर परिवर्तित करके मात्रात्मक एकीकरण करना है।

शोध उद्देश्य

इस शोध कार्य का उद्देश्य शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित शोध कार्यों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। अनुसंधान के परिणामों के मात्रात्मक विश्लेषण को ही परा-विश्लेषण (मेटा एनालिसिस) कहते हैं (गुप्ता तथा गुप्ता, 2018)।

शोध परिकल्पना

शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रतिदर्श तथा प्रतिदर्शन प्रविधि

इस शोध कार्य में सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *भारतीय आधुनिक शिक्षा* शोध पत्रिका में जनवरी, 2017 से अक्तूबर, 2020 की समयावधि में प्रकाशित हुए उन सभी शोध पत्रों का चयन किया गया, जिनमें शोधार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर किसी नवाचारी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया था। इस समयावधि में शोध पत्रिका के कुल 16 अंक प्रकाशित हुए जिनमें कुल सात शोध पत्रों में ही इस शोध कार्य के उद्देश्यानुसार हुए शोध अध्ययनों पर प्रकाशित शोध पत्रों का चयन किया गया था। इस शोध कार्य हेतु चयनित शोध पत्रों का संक्षिप्त विवरण तालिका 1 में दिया गया है—

अध्ययन हेतु चयनित शोध पत्रों की संक्षिप्त समीक्षा

1. पटेल तथा सिंह (2020) ने 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संस्कृत विषय में शैक्षिक उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम की प्रभावशीलता' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य संस्कृत विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए निर्माणवादी उपागम तथा परंपरागत अधिगम विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में पूर्व परीक्षण-पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया और उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा वाराणसी (उ.प्र.) के दो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का चयन करके उनमें पढ़ने वाले कक्षा 9 के एक-एक वर्ग को प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के रूप में चुना गया। शोधार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को निर्माणवादी उपागम तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों को परंपरागत विधि से 12 कार्य दिवसों तक प्रतिदिन 1 घंटा संस्कृत सीखने का अवसर प्रदान किया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थियों द्वारा स्व-निर्मित तथा मानकीकृत 'संस्कृत उपलब्धि परीक्षण' का प्रयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया।

तालिका 1— चयनित शोध पत्रों का विवरण

क्र. सं.	प्रकाशन माह तथा वर्ष	वर्ष	अंक	शोधार्थियों के नाम
1.	जनवरी, 2020	40	3	रंजय कुमार पटेल तथा शिरीष पाल सिंह
2.	जुलाई, 2019	40	1	उषा शर्मा
3.	जुलाई, 2019	40	1	सुनील कुमार उपाध्याय
4.	अक्तूबर, 2019	40	2	पद्मा प्रधान तथा शिरीष पाल सिंह
5.	जनवरी, 2018	38	3	नीरज जोशी तथा रमा मिश्रा
6.	जुलाई, 2017	38	1	आरती शाक्या तथा अर्चना दुबे
7.	अक्तूबर, 2017	38	2	नंदिनी त्रिवेदी तथा निलेश पटेल

सह-प्रसरण विश्लेषण के सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण के उपरांत शोधार्थियों ने शोध परिणाम में पाया कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संस्कृत भाषा में शैक्षिक उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम से शिक्षण की तुलना में परंपरागत विधि अधिक प्रभावी पाई गई जबकि संस्कृत विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर माना गया हो।

2. शर्मा (2019) ने *बरखा क्रमिक पुस्तकमाला* और बच्चों का पठन-निष्पादन— सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध का एक प्रमुख उद्देश्य सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में प्रयोगात्मक समूह और अ-प्रयोगात्मक समूह के बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना था। अपने शोध कार्य में शोधार्थी ने सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा चयनित मध्यप्रदेश तथा गोवा के 40 विद्यालयों (हिंदी माध्यम के 20, मराठी माध्यम के 14 तथा कोंकणी माध्यम के 6 विद्यालयों) में पढ़ने वाले कक्षा 2 के सभी 528 शिक्षार्थियों को प्रयोगात्मक समूह में तथा मध्यप्रदेश तथा गोवा के 40 विद्यालयों (हिंदी माध्यम के 20, मराठी माध्यम के 14 तथा कोंकणी माध्यम के 6 विद्यालयों) में पढ़ने वाले कक्षा 2 के सभी 482 शिक्षार्थियों को अ-प्रयोगात्मक समूह के रूप में चयनित किया गया। प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को 'बरखा' पुस्तक अभिविन्यास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों जबकि अ-प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को अप्रशिक्षित अध्यापकों से एक निश्चित समयावधि तक पढ़ने का अवसर दिया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित 'पठन निष्पादन परीक्षण' का उपयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। स्वतंत्र प्रतिदर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण करने के बाद शोधार्थी ने शोध परिणाम में पाया कि जिन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की सहायता से सीखने के अवसर मिले उनका पठन निष्पादन परिणाम उन विद्यार्थियों की तुलना में सार्थक रूप से अधिक था जिन्हें अप्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से सीखने के अवसर मिले। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के पठन निष्पादन पर अध्यापकों के अभिविन्यास कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।

3. उपाध्याय (2019) ने 'गणितीय संप्रत्ययों की समझ और संप्रत्यय सम्प्राप्ति प्रतिमान' विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य माध्यमिक स्तर (कक्षा 9) के विद्यार्थियों के गणितीय संप्रत्ययों की समझ पर संप्रत्यय सम्प्राप्ति प्रतिमान के प्रभाव का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा शोध अभिकल्प के रूप में पूर्व-परीक्षण-पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया। प्रतिदर्श के रूप में वाराणसी तथा मिर्जापुर जनपद के 200 विद्यार्थियों को यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा चयनित करके बुद्धिलब्धि के आधार पर 100–100 विद्यार्थियों के समेल समूह (प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित) बनाकर 15 कार्य दिवसों तक विषय अध्यापक द्वारा प्रयोगात्मक

समूह के विद्यार्थियों को संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों को परंपरागत विधि से गणित विषय के तीन संप्रत्ययों (अपरिमेय संख्या, संचयी बारंबारता तथा शेषफल प्रमेय से गुणनखंड) को सीखने का अवसर दिया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित तथा मानकीकृत 'गणितीय संप्रत्यय समझ परीक्षण' का उपयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। स्वतंत्र प्रतिदर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण करने के उपरांत शोधार्थी ने शोध परिणाम के रूप में पाया कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के गणितीय संप्रत्ययों की समझ के विकास के लिए संप्रत्यय सम्प्राप्ति प्रतिमान, परंपरागत विधि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है।

4. प्रधान तथा सिंह (2019) ने 'माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की प्रभावशीलता' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम विधि तथा परंपरागत अधिगम विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में पूर्व-परीक्षण एवं पश्च परीक्षण असमान नियंत्रित समूह अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया और सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि से केंद्रीय विद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में अध्ययनरत कक्षा 7 के 40 विद्यार्थियों को चयनित करके उन्हें 20–20 के दो समूहों (प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह) में विभक्त किया गया। शोधार्थी द्वारा प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को सहकारी अधिगम विधि तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों को परंपरागत विधि से निश्चित समयावधि तक हिंदी भाषा सीखने का अवसर दिया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित 'हिंदी उपलब्धि परीक्षण' का प्रयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। सह-प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण के पश्चात शोधार्थी ने शोध परिणाम में पाया कि सहकारी अधिगम विधि द्वारा हिंदी भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि परंपरागत विधि द्वारा हिंदी भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक रूप से अधिक थी जबकि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर माना गया हो। शोध परिणाम के आलोक में कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के हिंदी भाषा सीखने पर सहकारी अधिगम विधि का सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

5. जोशी तथा मिश्रा (2018) ने 'बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की गणित शिक्षण विधि विषय में उपलब्धि पर कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री का प्रभाव' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य गणित शिक्षण-विधि विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री और परंपरागत शिक्षण विधि की प्रभावशीलता

का अध्ययन करना था। इस अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में शोधार्थी द्वारा पूर्व-परीक्षण व पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया। प्रतिदर्श के रूप में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (म.प्र.) के बी.एड. के गणित शिक्षण-विधि विषय वाले 88 प्रशिक्षणार्थियों को सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा चयनित करके दो समूहों (प्रयोगात्मक समूह = 42 प्रशिक्षणार्थी तथा नियंत्रित समूह = 46 प्रशिक्षणार्थी) में विभक्त किया गया। शोधार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक समूह के प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री तथा नियंत्रित समूह के प्रशिक्षणार्थियों को परंपरागत विधि से 48 कार्य दिवसों (प्रतिदिन 50 मिनट) तक गणित शिक्षण-विधि पर आधारित चार संप्रत्ययों (गणित शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, गणित शिक्षण की विधियाँ, मापन और मूल्यांकन तथा पाठ योजना) को सीखने का अवसर दिया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थियों द्वारा स्व-निर्मित 'गणित शिक्षण-विधि उपलब्धि परीक्षण' का प्रयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। सह-प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर शोध परिणाम में शोधार्थियों ने पाया कि कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री द्वारा गणित शिक्षण-विधि के निश्चित संप्रत्यय सीखने वाले प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि परंपरागत विधि द्वारा गणित शिक्षण-विधि के निश्चित संप्रत्यय सीखने वाले प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक रूप से अधिक थी जबकि गणित शिक्षण-विधि विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर लिया गया हो। इस प्रकार शोध परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा गणित शिक्षण-विधि के निश्चित संप्रत्यय सीखने पर कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

6. शाक्या तथा दुबे (2017) ने 'वैदिक गणित विधि एवं परंपरागत गणित शिक्षण विधि का विद्यार्थियों की तर्कशक्ति के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध कार्य का उद्देश्य पूर्व तर्कशक्ति को सहचर लेकर वैदिक गणित विधि एवं परंपरागत गणित शिक्षण विधि का विद्यार्थियों की तर्कशक्ति पर प्रभावशीलता का अध्ययन करना था। इस अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में शोधार्थियों द्वारा पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया। प्रतिदर्श के रूप में महू (मध्य प्रदेश) के एक माध्यमिक विद्यालय का सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा चयन करके उसमें अध्ययनरत कक्षा 9 के कुल 50 विद्यार्थियों को यादृच्छिक प्रविधि द्वारा दो समूहों (प्रयोगात्मक समूह = 25 विद्यार्थी तथा नियंत्रित समूह = 25 विद्यार्थी) में आवंटित किया गया। शोधार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को वैदिक गणित विधि तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों को परंपरागत विधि से 30 कार्य दिवसों (प्रतिदिन 40 मिनट) तक गणित आधारित पाँच संप्रत्ययों (वर्ग ज्ञात करने की विधियाँ, घन ज्ञात करने की विधियाँ,

गुणनखंड ज्ञात करने की विधियाँ, भाग विधि तथा समीकरण हल करने की विधियाँ) को सीखने का अवसर दिया गया। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थियों द्वारा वयाती (1984) द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत 'तर्कशक्ति परीक्षण' का प्रयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। सह-प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर शोध परिणाम में शोधार्थियों ने पाया कि वैदिक गणित विधि द्वारा गणित के निश्चित संप्रत्यय सीखने वाले विद्यार्थियों की तर्कशक्ति परंपरागत विधि द्वारा गणित के निश्चित संप्रत्यय सीखने वाले विद्यार्थियों की तर्कशक्ति से सार्थक रूप से अधिक थी जबकि पूर्व तर्कशक्ति को सहचर लिया गया हो। इस प्रकार शोध परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों द्वारा गणित के निश्चित संप्रत्यय सीखने पर वैदिक गणित विधि का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

7. त्रिवेदी तथा पटेल (2017) ने 'स्व-मूल्यांकन आधारित प्रतिपुष्टि का शिक्षकों के शिक्षण पर प्रभाव का अध्ययन' विषय पर शोध कार्य किया। इनके शोध कार्य का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की स्व-मूल्यांकन आधारित प्रतिपुष्टि का शिक्षण प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन करना था जबकि पूर्व शिक्षण प्रभावशीलता को सहप्रसरक लिया गया हो। इस अध्ययन में शोध अभिकल्प के रूप में शोधार्थियों द्वारा पूर्व-परीक्षण व पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया। प्रतिदर्श के रूप में इंदौर (मध्य प्रदेश) के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले 78 शिक्षकों का सोउद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रविधि द्वारा चयन करके दो समूहों (प्रयोगात्मक समूह = 40 शिक्षक तथा नियंत्रित समूह = 38 शिक्षक) में विभक्त किया गया। शोधार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक समूह के शिक्षकों को स्व-निर्मित स्व-मूल्यांकन परीक्षण प्रपत्रों पर दी गई सूचनाओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 20 दिनों तक प्रतिपुष्टि प्रदान करने की प्रक्रिया को अपनाया गया तथा नियंत्रित समूह के शिक्षकों को किसी भी प्रकार की प्रतिपुष्टि नहीं दी गई।

शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता को मापने के लिए शोध उपकरण के रूप में शोधार्थियों द्वारा स्वयं विकसित एवं मानकीकृत 'शिक्षण प्रभावशीलता परीक्षण' का प्रयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण तथा पश्च परीक्षण प्रक्रिया द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया। अध्ययन में एकत्रित प्रदत्तों का सह-प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधि द्वारा विश्लेषण कर शोधार्थियों ने पाया कि प्रयोगात्मक समूह के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता, नियंत्रित समूह के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता से सार्थक रूप से अधिक थी जबकि पूर्व शिक्षण प्रभावशीलता को सहप्रसरक लिया गया हो। इस प्रकार शोध परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता पर स्व-मूल्यांकन आधारित प्रतिपुष्टि का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

आँकड़ों का संकलन

इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत (*भारतीय आधुनिक शिक्षा*— पत्रिका से) चयनित सभी शोध पत्रों (तालिका 1 के अनुसार) से मात्रात्मक आँकड़ों का संकलन किया गया। जिसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है—

तालिका 2 में चयनित शोध पत्रों के विषयवस्तु विश्लेषण से एकत्रित मात्रात्मक आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। विषयवस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में चयनित शोध पत्रों में से अधिकतम आँकड़ों का संकलन करते हुए न्यादर्श का आकार, माध्य अथवा समायोजित माध्य, मानक विचलन, t-मूल्य तथा f-मूल्य को लिया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन (इंटरप्रीटेशन)

इस शोध अध्ययन में एकत्रित मात्रात्मक आँकड़ों का परा-विश्लेषण (मेटा-एनालिसिस) किया गया। परा-विश्लेषण का उद्देश्य एक ही प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त परिणामों का सांख्यिकीय एकीकरण (स्टैटिस्टिकल इंटीग्रेशन) करना होता है। परा-विश्लेषण में विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त संख्यात्मक परिणामों को एक उभयनिष्ठ पैमाने (कॉमन स्केल) अर्थात प्रभाव आकार (इफेक्ट साइज) में परिवर्तित करके औसत प्रभाव आकार (एवरेज इफेक्ट साइज) प्राप्त किया जाता है (गुप्ता तथा गुप्ता, 2018)। इस शोध अध्ययन में एकत्रित मात्रात्मक आँकड़ों का

तालिका 2— चयनित शोध पत्रों के मात्रात्मक आँकड़ों का विवरण

क्र. सं.	शोधार्थी	समूह	न्यादर्श का आकार	माध्य/ समायोजित माध्य	मानक विचलन	t/f मूल्य
1.	पटेल तथा सिंह (2020)	प्रयोगात्मक	43	26.47	–	f=56.704
		नियंत्रित	42	21.49	–	
2.	शर्मा (2019)	प्रयोगात्मक	528	–	6.31	t=7.54
		नियंत्रित	482	–	7.86	
3.	उपाध्याय (2019)	प्रयोगात्मक	100	32.4	9.02	t=2.633
		नियंत्रित	100	29.2	8.14	
4.	प्रधान तथा सिंह (2019)	प्रयोगात्मक	20	63.825	–	f= 244.554
		नियंत्रित	20	28.825	–	
5.	जोशी तथा मिश्रा (2018)	एकल समूह (पूर्व परीक्षण)	42	21.86	6.49	t=30.50
		एकल समूह (पश्च परीक्षण)	46	56.98	6.47	
6.	शाक्या तथा दुबे (2017)	प्रयोगात्मक	25	49.44	–	f=29.017
		नियंत्रित	25	39.04	–	
7.	त्रिवेदी तथा पटेल (2017)	प्रयोगात्मक	40	96.80	–	f=271.47
		नियंत्रित	38	90.10	–	

परा-विश्लेषण (मेटा एनालिसिस) करने के लिए 'मेटा एसेंशियल सॉफ्टवेयर' का उपयोग किया गया। यह सॉफ्टवेयर इरेस्मस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, यूनिवर्सटी ऑफ रोटरडम, नीदरलैंड की वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता यह है कि यह विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त न्यूनतम मात्रात्मक आँकड़ों की सहायता से प्रभाव आकार (इफेक्ट साइज) निकाल देता है और फिर इन्हें औसत प्रभाव आकार (एवरेज इफेक्ट साइज) में परिवर्तित कर देता है।

'मेटा एसेंशियल सॉफ्टवेयर' की सहायता से विश्लेषित मात्रात्मक आँकड़ों का परिणाम तालिका 3 में दिया गया है—

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपाध्याय (2019) के शोध अध्ययन के अलावा सभी शोध अध्ययनों में औसत, बड़ा तथा अत्यधिक बड़ा प्रभाव आकार (कोहेन, 1988) प्रदर्शित हो रहा है। तालिका 3 की अंतिम पंक्ति सभी अध्ययनों के प्रभाव आकारों के औसत प्रभाव आकार को प्रदर्शित कर रही है, जिसका मान 2.35 है। जोकि कोहेन द्वारा प्रतिपादित प्रभाव आकार मार्गदर्शिका सारणी में दर्शाए गए मान 1.2 से बहुत अधिक है। (कोहेन, 1988) अर्थात अत्यधिक बड़ा प्रभाव आकार है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का अत्यधिक बड़ा प्रभाव आकार है।

प्रभाव आकार के फॉरेस्ट प्लॉट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्लॉट के शीर्ष पर स्थित एक्स-अक्ष अंकित किए गए प्रभाव आकार का पैमाना है। फॉरेस्ट प्लॉट की नीचे वाले पंक्ति को छोड़कर प्रत्येक पंक्ति का मध्य बिंदु 95 प्रतिशत विश्वस्तता अंतराल के साथ वैयक्तिक अध्ययन के प्रभाव आकार का प्रतिनिधित्व करता है। फॉरेस्ट प्लॉट की सबसे निचली पंक्ति (सारांश पंक्ति-8) परा-विश्लेषण के परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है। मेटा-एसेंशियल के इस परा-विश्लेषणात्मक परिणाम (ग्राफ 1 में पंक्ति 8) में एक मध्य बिंदु के आस-पास दो अंतराल हैं। यह मध्य बिंदु 95 प्रतिशत विश्वस्तता अंतराल के साथ ऊपर के सभी अध्ययनों के औसत प्रभाव आकार का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका

तालिका 3— अध्ययनवार वैयक्तिक प्रभाव आकार तथा औसत प्रभाव आकार

क्र. सं.	अध्ययनकर्ता	प्रभाव आकार
1.	पटेल तथा सिंह (2020)	1.62
2.	शर्मा (2019)	0.47
3.	उपाध्याय (2019)	– 0.37
4.	प्रधान तथा सिंह (2019)	4.85
5.	जोशी तथा मिश्रा (2018)	5.37
6.	शाक्या तथा दुबे (2017)	1.50
7.	त्रिवेदी तथा पटेल (2017)	3.70
औसत प्रभाव आकार		2.35

ग्राफ 1— प्रभाव आकार का फॉरेस्ट प्लॉट

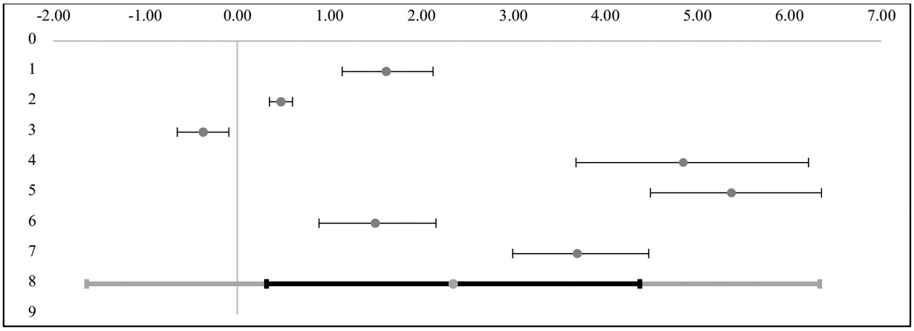

मान 2.35 है, इसे संयुक्त प्रभाव आकार अथवा भारित औसत प्रभाव आकार भी कहा जाता है।

तालिका 4— जेड-मूल्य तथा सार्थकता मान

जेड-मूल्य (Z-value)	2.83
एक-पुंछीय प्रायिकता-मूल्य (One-tailed p-value)	0.002
द्वि-पुंछीय प्रायिकता-मूल्य (Two-tailed p-value)	0.005

तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि औसत प्रभाव आकार का जेड-मूल्य 2.83 है जिसका 0.05 सार्थकता स्तर पर द्वि-पुंछीय सार्थकता मान क्रमशः 0.005 है। यह मान 0.05 सार्थकता स्तर के मान से कम है, अतः सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, शिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है, निरस्त की जाती है। अत: कहा जा सकता है कि शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शोध निष्कर्ष एवं व्याख्या

इस शोध कार्य का उद्देश्य शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित पूर्व में प्रकाशित हुए शोध कार्यों का परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन में संकलित किए गए मात्रात्मक आँकड़ों के परा-विश्लेषण के उपरांत शोध निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक एवं अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस शोध कार्य के परिणाम की पुष्टि वैन डेन ब्रोक (2012), कलाइयाँ तथा कासिम (2017), सुगानो तथा नबुआ (2020) एवं डोनोग्यू तथा हैटी (2021) के शोध परिणामों से भी होती है। इन शोधार्थियों ने भी अपने-अपने परा-विश्लेषणात्मक शोध अध्ययनों में पाया कि विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं अकादमिक उपलब्धि पर नवाचारी एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों का सकारात्मक एवं सार्थक प्रभाव पड़ता है और इन शिक्षण विधियों का प्रभाव आकार भी बड़ा होता है। इस शोध अध्ययन के सात परिणामों का प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि नवाचारी शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन हेतु चयनित विषयवस्तु का क्रमबद्ध एवं सरल शब्दों में प्रस्तुतीकरण, विषय-वस्तु के चयन में शिक्षार्थियों

की आयु, रुचि, अभिवृत्ति, क्षमता तथा वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो तथा प्रत्येक अधिगमकर्ता को अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर एवं पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई हो।

बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं और नवाचारी विधियों के माध्यम से सीखने के दौरान बच्चे क्रियाशील रहते हुए अधिगम प्रक्रिया में अपनी अधिकाधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करते हैं, जिससे सीखना सरल, सहज और रुचिकर हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से इस शोध परिमाण का एक कारण बच्चों की सक्रिय भागीदारी का होना भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त नवाचारी शिक्षण विधियों की ज्ञानमीमांसा कक्षा की अधिगम पारिस्थितिकी को शिक्षार्थी-केंद्रित बनाते हुए विद्यार्थी की भूमिका को प्रधान एवं शिक्षक की भूमिका को सुविधाप्रदाता मानती है और जिस अधिगम पारिस्थितिकी में शिक्षार्थी प्रधान भूमिका में रहता है निश्चित तौर पर वह वहाँ प्रभावी ढंग से सीखता है। यह भी इस शोध के परिणाम का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध कार्य के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हो सकते हैं—

नीति-निर्माताओं के लिए

इस अध्ययन के परिणाम इस बात को दर्शाते हैं कि विद्यार्थी अपनी कक्षा में नवाचारी शिक्षण विधियों की सहायता से निर्मित अधिगम वातावरण में स्वरुचि, स्वगति, स्वक्षमता तथा वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हुए शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करते हैं। अत: इन परिणामों के आलोक में यह शोध अध्ययन पाठ्यचर्या के विकास एवं शैक्षिक नीति-निर्माताओं के लिए ऐसा आधार प्रदान करेगा, जो पाठ्यचर्या का विकास करते समय नवाचारी शिक्षण-अधिगम सिद्धांतों का समावेश कर सकेगा।

अध्यापकों के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षकों को शिक्षण कार्य हेतु नवाचारी शिक्षण विधियों के चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। क्योंकि विभिन्न विषयों की विषयवस्तु की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है, अत: उनके अध्यापन के लिए शिक्षक विभिन्न नवाचारी शिक्षण विधियों का चयन करने में सक्षम होंगे। इस शोध कार्य के परिणाम से यह भी स्पष्ट होता है कि नवाचारी शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाती हैं।

विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन हेतु उचित प्रविधियों के चयन में

वर्तमान समय में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच के लिए परंपरागत प्रविधियों की जगह नवाचारी आकलन प्रविधियों का उपयोग किया जा रहा है। ये आकलन प्रविधियाँ विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच के साथ-साथ शिक्षक को भी अपने स्वयं के शिक्षण आकलन में सहायक होती हैं। ताकि वह अपनी कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकें (गंगवार तथा सिंह, 2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान के आकलन के साथ-साथ ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को जानने के लिए विद्यार्थी-केंद्रित तथा रचनावादी मूल्यांकन प्रविधियों यथा रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, प्रोजक्ट, सामूहिक गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। यह शोध कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि

को बढ़ाने वाली नवाचारी शिक्षण विधियों से परिचित कराएगा। जिसके अनुरूप शिक्षक अपनी कक्षा के रचनात्मक आकलन की उपयुक्त नवाचारी आकलन प्रविधियों, जैसे— संप्रत्यय से संबंधित क्रियाकलाप, पोर्टफोलियो तथा रूब्रिक आदि का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ ही समावेशन करते हुए विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच कर सकते हैं।

पुस्तक लेखकों के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणाम यह बताते हैं कि विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण विधियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का आकार अत्यधिक बड़ा है। इस संदर्भ में यह शोध कार्य विभिन्न विषयों के पुस्तक लेखकों के लिए भी आधार प्रदान करेगा कि वे अपनी पुस्तक में सम्मिलित विषय-वस्तु को रोचक, विद्यार्थी केंद्रित, क्रमबद्ध एवं सरल शब्दों में संगठित एवं प्रस्तुत करें। जिससे विद्यार्थियों का विविध संप्रत्ययों को सीखना सरल हो जाए और उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि की जा सके।

अन्य शोधार्थियों के लिए

इस शोध कार्य की शोध प्रक्रिया एवं परिणाम उन शोधार्थियों के लिए भी सहायक सिद्ध होगी जो परा-विश्लेषणात्मक शोध कार्य में रुचि रखते हैं और इस प्रकार के शोध कार्य करना चाहते हैं।

संदर्भ

अग्रवाल, डी., आर. सक्सेना, वी. गुप्ता, के. मणि, आर. धीमान और ए. भारद्वाज. 2020. प्रीविलेंस ऑफ मायोपिया इन इंडियन स्कूल चिल्ड्रन— मेटा-एनालिसिस ऑफ लास्ट फोर डिकेड्स. *प्लोस वन*. 15 10, पृष्ठ संख्या 1–18. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0240750

उपाध्याय, एस. के. 2019. गणितीय संप्रत्ययों की समझ और संप्रत्यय सम्प्राप्ति प्रतिमान. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 40 (1), पृष्ठ संख्या 78–87.

कलाइयाँ, एस. ए. और आर. एम. कासिम. 2017. इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस इनोवेटिव लर्निंग मैथड्स इन हेल्थ साइंस क्लासरूम — ए मेटा एनालिसिस. *एडवांस हेल्थ साइंस एजुकेशन थ्योरी प्रैक्टिस*. 22 (5), पृष्ठ संख्या 1151–1167. doi: 10.1007/s10459-017-9753-6.

किम, जे., जे. गिल्बर्ट, कुन. यू और सी. गेल. 2021. मीजर्स मैटर— ए मेटा-एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल एप्स ऑन प्रीस्कूल टू ग्रेड 3 चिल्ड्रन्स लिट्रेसी एंड मैथ स्किल्स. *एईआरए ओपन*. 7 (1), पृष्ठ संख्या 1–19. सेज जर्नल्स. DOI: 10.1177/23328584211004183

कोहेन, जे. 1988. *स्टैटिस्टिकल पॉवर एनालिसिस फॉर दी बिहेवियरल साइंसेज* (सेकंड एडिशन). हिल्सडेल, न्यू जर्सी, लोरेन्स एलबर्म एसोसिएशंस.

गंगवार, एस. और एस. पी. सिंह. 2020. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन. *ज्ञान गरिमा सिन्धु*. 65, पृष्ठ संख्या 320–347.

गुप्ता, एस. पी. और ए. गुप्ता. 2018. *व्यवहारपरक विज्ञानों में सांख्यिकीय विधियाँ*. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

जोशी, एन. और आर. मिश्रा. 2018. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की गणित शिक्षण विधि विषय में उपलब्धि पर कम्प्यूटरीकृत स्व-अधिगम सामग्री का प्रभाव. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 38 (3), पृष्ठ संख्या 57–67.

डोनोग्यू, जी. एम. और जे. ए. सी. हैटी. 2021. ए मेटा-एनालिसिस ऑफ टेन लर्निंग टेक्निक्स. *फ्रंट एजुकेशन*. 6, पृष्ठ संख्या 1–9. DOI: 10.3389/feduc.2021.581216

त्रिवेदी, एन. और एन. पटेल. 2017. स्व-मूल्यांकन आधारित प्रतिपुष्टि का शिक्षकों के शिक्षण पर प्रभाव का अध्ययन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 38 (2), पृष्ठ संख्या 45–58.

पटेल, आर. के. और एस. पी. सिंह, 2020. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संस्कृत विषय में शैक्षिक उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम की प्रभावशीलता. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* 40 (3), पृष्ठ संख्या 89–100.

प्रधान, पी. और एस. पी. सिंह. 2019. माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की प्रभावशीलता. *भारतीय आधुनिक शिक्षा.* 40 (2), पृष्ठ संख्या 59–69.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* 29 नवंबर 2021 को NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in) से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

——. 2018. *विज्ञान शिक्षाशास्त्र.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

मेहर, वी., आर. बराल. और एस. भुयान. 2021. ए मेटा-एनालिसिस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मेटाकॉगनिटीव स्ट्रेटेजीस एंड इंटरवेंशन्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. *आई-मैनेजर्स जर्नल ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी.* 14(4), पृष्ठ संख्या 47–57.

वयाती, के. (1984). *रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट*. नेशनल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. आगरा.

वैन डेन ब्रोक, जी. 2012. इनोवेशन रिसर्च बेस्ड एप्रोचिस टू लर्निंग एंड टीचिंग. *ओईसीडी एजुकेशन वर्किंग पेपर्स.* 79, ओईसीडी पब्लिशिंग. http://dx.doi.org/10.1787/5k97f6x1kn0w-en

शर्मा, यू. 2019. 'बरखा' क्रमिक पुस्तकमाला और बच्चों का पठन-निष्पादन— सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 40 (1), पृष्ठ संख्या 5–22.

शाक्या, ए. और ए. दुबे, 2017. वैदिक गणित विधि एवं परंपरागत गणित शिक्षण विधि का विद्यार्थियों की तर्कशक्ति के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 38 (1), पृष्ठ संख्या 84–92.

सुगानो, एस. जी, सी. और ई. बी. नबुआ. 2020. मेटा-एनालिसिस ऑन द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स ऑन एकेडमिक पर्फोरमेंस इन केमिस्ट्री. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंस्ट्रक्शन*. 13 (2), पृष्ठ संख्या 881–894. https://doi.org/10.29333/iji.2020.13259a

भारतीय आधुनिक शिक्षा पत्रिका के वर्ष 2014 से 2019 तक प्रकाशित अंकों का बिब्लिओमैट्रिक विश्लेषण

पूजा जैन*
मीरा**

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) भारत का एक ऐसा संस्थान है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार एवं ई-संसाधन विकसित करता है। यह विद्यालयी शिक्षा का भारतवर्ष का राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों को सहायता, सलाह एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है। 'भारतीय आधुनिक शिक्षा', रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका है, जो शोधार्थियों, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों आदि को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा से संबंधित नए विचारों, महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों, शैक्षणिक समस्याओं और उनके समाधान के साथ-साथ अनुभवों और अनुसंधानों के परिणामों को विस्तार देने के लिए मंच प्रदान करती है। इस शोध पत्र में 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' पत्रिका के वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक की ग्रंथ सूची का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ सूची के अध्ययन में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे— लेखों के वार्षिक प्रकाशन की संख्या, लेखकों के सहयोग का मूल्यांकन, प्रति लेख पृष्ठों की औसत लंबाई, प्रति लेख संदर्भों की संख्या एवं संदर्भों के प्रकार और संख्या इत्यादि। इस शोध पत्र में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों में लिखे गए लेखों के विषयों की मैपिंग भी प्रस्तुत की गई है, जो पाठकों को इस पत्रिका के व्यापक स्वरूप को समझने एवं योगदान देने में मार्गदर्शित करेगी।

भारतीय आधुनिक शिक्षा एक त्रैमासिक (वर्ष में चार बार प्रकाशित होने वाली) पत्रिका है, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (रा.शै.अ.प्र.प.), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह पत्रिका (जर्नल) शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पर मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को प्रोत्साहित भी करना है। यह शोधकर्ताओं

* *सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष*, पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली 110016
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007

से लेकर शिक्षा से जुड़ी नीति बनाने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा

'*भारतीय आधुनिक शिक्षा*' पत्रिका हिंदी भाषा में स्कूली शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीनतम शोधों एवं विकास से संबंधित लेखों का प्रसार करने वाली मुख्य पत्रिकाओं में से एक है। इस पत्रिका का प्रथम अंक वर्ष 1983 जुलाई में प्रकाशित हुआ था। शुरुआती दौर में सभी लेखों को विषयों के अनुसार विभाजित कर अलग-अलग विषय सूची के अंतर्गत रखा जाता था। लेखों के साथ-साथ नीतिगत दस्तावेज़ों की समीक्षा एवं पुस्तक समीक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसका त्रैमासिक मूल्य 3 रूपये एवं वार्षिक मूल्य 12 रूपये था। भारत के स्कूली शिक्षा के क्षेत्र की महत्वपूर्ण पत्रिका ने वर्ष 2020 में 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जोकि एक अकादमिक संस्थान के लिए एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इस शोध पत्र में *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका की वर्ष 2014–2019 की अवधि की ग्रंथ सूची का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस पत्रिका का आई.एस.एस.एन. नंबर 0972–5636 है। यह पत्रिका यू.जी.सी. केयर (कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) सूची में वर्ष 2019 से शामिल की गई है। यू.जी.सी की अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में किसी पत्रिका को शामिल करने के लिए एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जिसमें पत्रिका का नाम, आई.एस.एस.एन. नंबर, ई-आई.एस.एस.एन. नंबर, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन का स्थान, विशेषज्ञों द्वारा सहकर्मी समीक्षा, पत्रिका की वेबसाइट, लेखकों/समीक्षक के लिए दिशानिर्देश, पत्रिका के प्रकाशन की आवधिकता, पत्रिका का समय पर प्रकाशित होना आदि है। *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका एक गुणवत्तापरक पत्रिका है, क्योंकि यह पत्रिका पिछले 40 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा यू.जी.सी. केयर सूची में शामिल होना भी एक पत्रिका की गुणवत्ता को दर्शाता है। एक अन्य आवश्यक विशेषता यह है कि यह पत्रिका स्कूली शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा से जुड़ी है, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने में भी योगदान देती है।

परिषद द्वारा अन्य पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें *प्राथमिक शिक्षक, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तथा वॉइसेस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एडुकेटर्स* शामिल हैं और ये सभी पत्रिकाएँ यू.जी.सी. केयर सूची में शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए हिंदी में प्रकाशित यह एक ऐसी पत्रिका है जो यू.जी.सी. की केयर पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने के लिए एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों में,

विशेषकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है। यह पत्रिका वर्ष 2010 से पूर्ण रूप से ओपन एक्सेस हेतु लिंक https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha पर उपलब्ध है।

किसी भी शिक्षा संस्थान की अकादमिक उत्पादकता प्रकाशित सामग्री से आँकी जा सकती है। इस पत्रिका में प्रकाशित लेख वर्तमान विषयों पर चर्चा करते हैं। *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका शोधकर्ताओं एवं शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पत्रिका में शोध पत्र के साथ-साथ पुस्तक समीक्षाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं।

साहित्य की समीक्षा

ग्रंथ सूची (बिब्लिओमैट्रिक्स) के विषय पर अनेक शोध अध्ययन उपलब्ध हैं। यह एक ऐसा विश्लेषण का विषय है, जो एक संस्थान, एक विषय, एक पत्रिका या व्यक्ति विशेष के लिए भी किया जा सकता है। इस विश्लेषण में कुल लेखों की संख्या, लेखों की सालाना विकास दर, लेखकत्व पैटर्न, सबसे ज़्यादा लेख लिखने वाले लेखकों की सूची, सबसे ज़्यादा संदर्भों को प्रयोग में लाने वाले लेख, भौगोलिक आधार पर लेखों का योगदान (सबसे अधिक योगदान देने वाले देश व राज्य), प्रति लेख औसत पृष्ठ संख्या, प्रति लेख औसत संदर्भ संख्या इत्यादि। इस शोध पत्र में साहित्य की समीक्षा के उद्देश्य से केवल उन लेखों को शामिल किया गया है जो शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़े हुए विषयों एवं विषयों की ग्रंथ सूची के विश्लेषण पर आधारित हैं।

अली (2018) ने गणित शिक्षा के क्षेत्र में ग्रंथ सूची विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में वेब ऑफ साइंस (WoS) कोर कलेक्शन डेटाबेस से वर्ष 1980 से 2018 के मध्य गणित शिक्षा विषय क्षेत्र में प्रकाशित वैज्ञानिक शोधों का ग्रंथ सूची विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि 1980 से 2018 तक गणित की शिक्षा से जुड़े प्रकाशनों में वृद्धि हुई है। गणित शिक्षा के क्षेत्र में किए गए वैज्ञानिक कार्यों के उद्धरणों की संख्या के विश्लेषण में पाया गया कि अमेरिका, तुर्की और मलेशिया देशों के उद्धरण सबसे अधिक थे। शब्द विश्लेषण के अंतर्गत प्राथमिक गणित कक्षा, अध्यापक शिक्षा और उपलब्धि अंतर प्रमुख विषय पाए गए। गणित शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र में जिन शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, वे क्रमशः गणित शिक्षा, विद्यार्थी और उपलब्धि थे।

जमाली, सैयद महबूबेह, मो ज़ैन अहमद नुरुलज़म, समसूदीन मोहम्मद अली एवं इब्राहिम, नादेर अली इब्राहिम (2015) ने 1980–2013 की अवधि में वेब ऑफ साइंस डेटाबेस का उपयोग करके 'भौतिकी शिक्षा' (फिजिक्स एजुकेशन) विषय पर प्रकाशनों की उत्पादकता और विकास तथा शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में भौतिकी शिक्षा विशेषज्ञों पर ध्यान केंद्रित कर विषयों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में 1360 प्रकाशनों को जाँचा गया, जिनमें 840 लेख, 503 कार्यवाही पत्र, 22 समीक्षाएँ, सात संपादकीय सामग्री, छह पुस्तक समीक्षा और एक जीवनी शामिल थी। 'भौतिकी शिक्षा' वाले प्रकाशनों की संख्या 1980 में 0.14 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 16.54 प्रतिशत हो गई।

उद्धरणों की कुल संख्या 8071 थी, जिसमें 5.93 प्रति पेपर उद्धरण दिए गए थे। परिणामों में पाया गया कि भौतिकी शिक्षा में प्रकाशन और उद्धरणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसमें मलेशिया का सर्वोच्च योगदान पाया गया।

नायक (2017) ने रा.शै.अ.प्र.प., दिल्ली से प्रकाशित *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू* (आई.ई.आर.) पत्रिका का बिब्लियोमैट्रिक्स सांख्यिकीय विश्लेषण किया। उन्होंने 2011 से 2015 की अवधि के दौरान हुए प्रकाशनों और उद्धरण मानकों की जाँच करते हुए पाया कि अन्य प्रकार के प्रकाशनों में शोध पत्रों की संख्या (63) सबसे अधिक है, जैसे— अनुसंधान, नवाचार, पुस्तक समीक्षा, परियोजना सारांश और अन्य प्रकार के प्रकाशन आदि। इस पत्रिका हेतु भारत के अन्य राज्यों की तुलना में नई दिल्ली से आने वाले शोध पत्रों की संख्या सबसे अधिक थी। यह पत्रिका विशेष रूप से भारत में स्कूली शिक्षा के लिए समर्पित है तथा उद्धरण, मानकों, संरचना, लेखकत्व की विश्वसनीयता आदि के आधार पर यह एक प्रतिष्ठित पत्रिका है।

थानुस्कोडी (2010) ने सामाजिक विज्ञान विषयों पर सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसंधान आउटपुट प्रदर्शन का विश्लेषण किया। विश्लेषण में मुख्य रूप से लेखों की संख्या, लेखकत्व पैटर्न, लेखों का विषयवार वितरण, प्रति लेख संदर्भों की औसत संख्या, उद्धृत दस्तावेज़ों के रूप, उद्धृत पत्रिकाओं का वर्षवार वितरण आदि शामिल था।

वर्मा, पवार एवं जी (2016) ने भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान अर्धवार्षिक पत्रिका, जो सी.एस.आई.आर (राष्ट्रीय विज्ञान एवं सूचना स्रोत संस्थान) द्वारा प्रकाशित की जाती है, का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। यह पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होती है। इसमें हिंदी भाषा में वैज्ञानिकों की लिखने की रुचि कम पाई गई।

अत: उक्त शोध अध्ययनों में सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा विषय पर जो बिब्लिओमैट्रिक विश्लेषण हुए हैं, उसी प्रकार से अन्य विषयों पर जैसे— पुस्तकालय विज्ञान, जीव विज्ञान, भाषा, शिक्षण शास्त्र, अनुसंधान आदि पर भी कई अनुसंधान हुए हैं, उदाहरण हेतु मोख्तारी और अन्य (2020) ने *जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन* का ग्रंथ सूची अध्ययन किया, जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विषय की अग्रणी पत्रिका है। इस पत्रिका की 73 वर्षों की अवधि में कुल प्रकाशित 2056 लेखों एवं शोध पत्रों को स्कोपस डेटाबेस में पाया गया। यह शोध पत्र दर्शाता है कि इस पत्रिका में एल.आई.एस. क्षेत्र में नवीनतम विषयों को शामिल किया गया है और सह-लेखक का प्रचलन बढ़ा है। शुक्ला और वर्मा (2018) ने *जर्नल ऑफ लाइब्रेरी हेराल्ड* का वर्ष 2008–2017 की अवधि के दौरान प्रकाशित 222 लेखों का अध्ययन किया। इस शोध पत्र में लेखकत्व पैटर्न, भौगोलिक वितरण, संदर्भ वितरण और संदर्भों के लेखकीय पैटर्न का विश्लेषण किया गया। इसमें 97 लेख एकल लेखकत्व वाले पाए गए और 87 लेख संयुक्त लेखकों के पाए गए।

अध्ययन की आवश्यकता

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं पर कई ग्रंथ सूची अध्ययन हुए हैं, परंतु हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाओं पर कुछ ही शोध पत्र उपलब्ध हैं। रा.शै.अ.प्र.प. जैसे राष्ट्रीय संस्थान की प्रमुख पत्रिका

भारतीय आधुनिक शिक्षा जो पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, अत: इस पत्रिका का ग्रंथ सूची अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इस शोधार्थी को पत्रिका का बिब्लिओमैट्रिक विश्लेषण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह शोध अध्ययन *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों और लेखकत्व पैटर्न को समझने में सहायक होगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* के 2014–2019 की अवधि के दौरान प्रकाशन के विकास का अध्ययन करना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* के लेखकत्व पैटर्न का अध्ययन एवं प्रकाशित लेखों में लेखकत्व सहयोग की डिग्री का माप करना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में सालाना प्रकाशित लेखों की लंबाई (पृष्ठ संख्या) के अनुसार लेखों का वितरण एवं प्रति लेख औसत पृष्ठ संख्या ज्ञात करना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों में सूचीबद्ध संदर्भों की संख्या की गणना एवं प्रति लेख औसत संदर्भ की संख्या ज्ञात करना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों में विभिन्न संदर्भों के प्रकार, उनकी गणना, प्रकाशित लेखों में सूचीबद्ध संदर्भों की संख्या के अनुसार वितरण करना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में योगदान पर भारत के राज्यवार सूची बनाना।
- *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विषयों की पहचान एवं विस्तृत मानचित्रण सूची प्रस्तुत करना।

क्रियाविधि

भारतीय आधुनिक शिक्षा के 2014 से 2019 की अवधि में प्रकाशित पत्रिकाओं की जानकारी रा.शै.अ.प्र.प. (https://ncert.nic.in/) की

तालिका 1— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में लेखों का प्रकाशित अंकों के अनुसार वर्ष एवं मात्रावार वितरण (वर्ष 2014–2019)

खंड (अंक)	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	
वर्ष में प्रकाशित अंक	***2014–15***	***2015–16***	***2016–17***	***2017–18***	***2018–19***	***कुल लेख***
जुलाई (अंक 1)	11	09	12	11	12	55
अक्तूबर (अंक 2)	08	11	12	11	12	54
जनवरी (अंक 3)	10	11	11	12	11	55
अप्रैल (अंक 4)	10	11	12	10	11	54
कुल लेखों की संख्या	39	42	47	44	46	218
कुल लेखों का प्रतिशत	17. 89%	19. 27 %	21. 56 %	20 .18%	21 .10 %	100 (%)
संचयी लेखों की संख्या	39	81	128	172	218	–
पुस्तक समीक्षा की कुल संख्या	0	03	02	0	01	06

वेबसाइट से पब्लिकेशंस के अंतर्गत जर्नल्स एवं पीरियोडिकल्स पर उपलब्ध फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स को डाउनलोड कर ली गई है।

विश्लेषण और व्याख्या

भारतीय आधुनिक शिक्षा पत्रिका की 2014 से 2019 की अवधि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण तालिका 1 में दर्शाया गया है—

तालिका 1 दर्शाती है कि वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान कुल 218 लेखों का प्रकाशन किया गया। इस तालिका में यह भी दर्शाया गया है कि पत्रिका में लेखों एवं शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए मानक पैटर्न का पालन किया जा रहा है, जिसमें लेखों की संख्या 40 से 47 के आस-पास है। हालाँकि, वर्ष 2014–15 में सबसे न्यूनतम लेख 39 (17.89 प्रतिशत) और 2016–17 में सबसे अधिकतम 47 (21.56 प्रतिशत) लेख प्रकाशित हुए हैं। 2014 से 2019 के दौरान कुल छह पुस्तक समीक्षाएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

सहयोग की डिग्री

इस लेख में *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका में सहयोग की डिग्री का विश्लेषण, लेखकों द्वारा कितने लेख एकल, कितने संयुक्त एवं कितने बहुलेखकीय लेख लिखे गए हैं, इसी का मापन करने के लिए सहयोग की डिग्री द्वारा मापन किया गया है। सहयोग की डिग्री को एक निश्चित अवधि के दौरान सहयोगी शोध पत्रों की संख्या और अनुशासन में शोध पत्रों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रंथ सूची अध्ययनों (बिब्लिओमैट्रिक स्टडीज) में यह अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र है जो एकल और संयुक्त लेखकत्व में प्रवृत्तियों (ट्रेंड्स) को दर्शाता है। सहयोग की डिग्री से तात्पर्य संयुक्त रूप से या बहु-लेखक के सहयोग से लिखे गए शोध पत्रों और कुल लेखों की संख्या का अनुपात है। सहयोग की डिग्री (सी) को मापने का सूत्र इस प्रकार है—

$$C = \frac{\text{बहु-लेखक लेखों की संख्या (NM)}}{\text{बहु-लेखक लेखों की संख्या (NS) + एकल-लेखक लेखों की संख्या}}$$

$$C = \frac{67}{67+151}$$

$$C = \frac{67}{218}$$

$$C = 0.31$$

C— सहयोग की डिग्री

NM— बहु-लेखक लेखों की संख्या (एक से अधिक लेखक) (नम्बर ऑफ मल्टीपल ऑथर्स आर्टिकल्स)

NS— एकल-लेखक लेखों की संख्या (नम्बर ऑफ सिंगल ऑथर्स आर्टिकल्स)

तालिका 2— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों का लेखकत्व पैटर्न एवं प्रकाशित लेखों में लेखकत्व सहयोग की डिग्री का वर्षवार माप

वर्ष	एकल लेखक (1 लेखक)	संयुक्त लेखक (2 लेखक)	तीन लेखक (3 लेखक)	कुल लेखों की संख्या	C = NM/NM + NS	C
2014–15	30	09	0	39	9/39	0.23
2015–16	34	07	01	42	8/42	0.19
2016–17	34	13	0	47	13/47	0. 28
2017–18	25	18	01	44	19/44	0. 43
2018–19	28	17	01	46	18/46	0. 39
कुल	151	64	03	218	67/218	0. 31
%	69. 27	29. 36	1. 37	100		

तालिका 2 से ज्ञात होता है कि *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में 151 लेख (लगभग 70 प्रतिशत) पत्र एकल लेखक हैं और 2015–16 एवं 2016–17 में एकल लेखक के प्रकाशित लेखों की अधिकतम संख्या 34 है। 218 लेखों में से 64 (29.36 प्रतिशत) लेख दो लेखकों द्वारा मिलकर (ज्वाइंट ऑथरशिप) लिखे गए हैं। तालिका 2 में यह भी देखा जा सकता है कि तीन लेखकों का योगदान एक साथ केवल तीन ही लेखों में पाया गया है। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि संयुक्त लेखकत्व में अधिकतम लेख 18 प्रकाशनों के साथ वर्ष 2017–2018 में प्रकाशित हुए थे।

तालिका 2 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कुल 67 लेख संयुक्त/बहु-लेखक में लिखे गए हैं और कुल एकल लेख 151 हैं। इसलिए सुब्रमण्यम (1983) द्वारा दिए गए C (सहयोग की डिग्री) को मापने के सूत्र का उपयोग किया गया है। यहाँ, पत्रिका के लेखन सहयोग की डिग्री 0.31 है। साथ ही, तालिका 2 से पता चलता है कि यह 2017–18 में 19 लेख हैं जो कि बहुलेखकीय हैं और उसकी सहयोग की डिग्री 0.43 है जो कि सभी पाँच वर्षों में सबसे अधिकतम है। तालिका 2 यह भी दर्शाती है कि इस पत्रिका में एकल लेख लिखना अधिकतर लेखकों (151) द्वारा पसंद किया गया है जबकि दो लेखकों ने मिलकर कुल 64 लेख लिखे हैं, जो लेखकों के बीच अकादमिक समन्वय एवं सहकारिता को दर्शाती है।

(*नोट*— इस पत्रिका की पृष्ठ संख्या कंटेंट पृष्ठ से शुरू होती है। लेकिन लेखों के विश्लेषण के दौरान पत्रिका के कुल पृष्ठों की संख्या में से सामग्री और संपादक के नोट के पृष्ठों को शामिल नहीं किया गया है ताकि औसत पृष्ठ प्रति लेख का मापन किया जा सके।)

तालिका 3 में प्रत्येक खंड के सभी लेखों की पृष्ठों की कुल संख्या दर्शाई गई है। कुल 218 लेखों में पृष्ठों की संख्या 2051 है। यह तालिका स्पष्ट करती है कि वर्ष 2017–18 में 454 पृष्ठों

तालिका 3— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में वर्षवार प्रकाशित लेखों की लंबाई (पृष्ठ संख्या) के अनुसार लेखों का वितरण (2014–19) एवं प्रति लेख औसत पृष्ठ संख्या

वर्ष	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25	कुल लेखों की संख्या	खंड में सभी लेखों के पृष्ठों की कुल संख्या	औसत पृष्ठ संख्या प्रति लेख	संचयी पृष्ठों की संख्या
2014–15	4	20	11	4	0	39	369	9.46	369
2015–16	4	25	11	1	1	42	399	9.50	768
2016–17	4	31	11	1	0	47	420	8 .94	1188
2017–18	2	22	18	2	0	44	454	10. 31	1642
2018–19	2	32	12	0	0	46	409	8. 89	2051
कुल	16	130	63	8	1	218	2051	9. 41	–

के साथ पृष्ठों की अधिकतम संख्या थी एवं औसत प्रति पृष्ठ लेख 10.31 थी, जो सभी पाँच वर्षों में सबसे अधिक है। जबकि इस वर्ष में लेखों की संख्या 44 है। सभी लेख औसत तौर पर 8 से 10 पृष्ठों के बीच में ही लिखे गए हैं। तालिका 3 से पता चलता है कि 218 लेखों में से 6–10 पृष्ठों में 130 लेख हैं जोकि अधिकतम संख्या है, वहीं 63 लेख 11–15 पृष्ठों की श्रेणी में हैं। केवल 8 लेख हैं, जो 16–20 पृष्ठों में प्रकाशित हुए हैं। मात्र एक लेख 21 पृष्ठ की लम्बाई का है जो जुलाई 2015 अंक में प्रकाशित हुआ है, यह एक खोजपरक लेख है। इस प्रकार संपूर्ण लेखों की औसत पृष्ठ संख्या प्रति लेख 9.41 है।

तालिका 4 सभी खंडों के लेखों में प्रयोग किए गए कुल संदर्भों की संख्या और प्रति लेख औसत संदर्भों की संख्या को दर्शाती है। यह तालिका बताती है कि वर्ष 2017–18 में 497 संदर्भों का प्रयोग हुआ

तालिका 4— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों में सूचीबद्ध संदर्भों की संख्या एवं प्रतिलेख औसत संदर्भों की संख्या

वर्ष	कुल लेखों की संख्या	कुल संदर्भों की संख्या	प्रति लेख औसत संदर्भों की संख्या
2014–15	39	374	9.589
2015–16	42	313	7.452
2016–17	47	382	8.127
2017–18	44	497	11.30
2018–19	46	412	8.956
5 वर्ष	218	1978	9.115

है जो कि पाँच वर्षों में सबसे अधिक है एवं इसी वर्ष प्रति लेख औसत संदर्भों की संख्या भी 11.30 है, जो सभी पाँच वर्षों में सबसे अधिक है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा में प्रकाशित लेखों में विभिन्न संदर्भों के प्रकार एवं संख्या

तालिका 4 में सभी लेखों के लिखने में जिन संदर्भों का प्रयोग किया गया है उन्हें मुख्य रूप से 19 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संदर्भों की सूची का विश्लेषण करने का उद्देश्य यह है कि लेखकों द्वारा किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग एवं कितनी मात्रा में किया गया है।

तालिका 5.1 के अनुसार लेखकों द्वारा पुस्तकों का उपयोग संदर्भ रूप में सबसे अधिक (784 पुस्तकें) किया है, उसके बाद पत्रिका लेखों (356 संख्या) का संदर्भ के रूप में उपयोग किया है। आज के इंटरनेट युग में वेबलिंक्स अर्थात इंटरनेट से सामग्री

तालिका 5.1— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों में विभिन्न संदर्भों के प्रकार, संख्या/मात्रा, प्रकाशित लेखों में सूचीबद्ध संदर्भों की संख्या के अनुसार वितरण

संदर्भ के प्रकार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	कुल
पत्रिका लेख	71	26	76	101	82	356
पुस्तक	152	155	153	143	181	784
रा.शै.अ.प्र.प. की पाठयपुस्तकें	17	01	16	0	03	37
रा.शै.अ.प्र.प. की अन्य पुस्तकें	07	11	9	07	09	43
समाचार पत्र	07	14	13	0	02	36
रा.शै.अ.प्र.प. सर्वे	04	0	1	15	02	22
एन.सी.एफ. 2005	06	10	22	21	27	86
रा.शै.अ.प्र.प. के अलावा पाठ्यचर्या	0	10	0	0	02	12
रा.शै.अ.प्र.प. रिपोर्ट्स	3	01	4	10	02	20
एम.एच.आर.डी. रिपोर्ट्स	04	07	3	11	09	34
अन्य रिपोर्ट्स	27	09	16	55	21	128
आर.टी.ई. एक्ट	07	07	2	02	0	18
अन्य एक्ट एवं नीतियाँ	05	03	0	0	0	08
शब्दकोश/विश्वकोश	13	02	0	0	0	15
थीसिस (शोध प्रबंध)	5	04	7	27	02	45
एन.सी.टी.ई. संसाधन/सामग्री	02	04	3	11	05	25
वेबलिंक्स	43	46	49	90	44	272
अन्य प्रकाशन/ सामग्री	01	03	1	03	14	22
मल्टीमीडिया	0	0	7	01	07	15
कुल	374	313	382	497	412	1978

का 272 लेखों में उपयोग, तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि रिपोर्ट्स 128 संदर्भों के साथ चौथे स्थान पर है, वहीं एन.सी.एफ. 2005 पाँचवें स्थान पर है। वर्ष 2017–18 में सबसे अधिक 497 संदर्भों का प्रयोग हुआ है एवं 2018–19 में 412 संदर्भों का प्रयोग हुआ है।

तालिका 5.2 दर्शाती है कि 218 में से 36 लेख ऐसे भी हैं जिनमें संदर्भों का प्रयोग नहीं किया गया है अर्थात शून्य है। जबकि दो लेख जिनमें क्रमशः 49 (वर्ष 2014 –15) और 41 (वर्ष 2017–18) में संदर्भों का प्रयोग किया गया है जो कि अधिकतम है। इसके अलावा यह तालिका दर्शाती है कि लेखों में सबसे ज़्यादा 1–5 संदर्भों, 6–10 संदर्भों व 11–15 संदर्भों का प्रयोग क्रमशः 51, 49 व 45 लेखों में किया गया है।

तालिका 6 से यह ज्ञात होता है कि शोध अध्ययन की कुल अवधि (2014–2019) के दौरान प्रकाशनों की संख्या के आधार पर सबसे अधिक

तालिका 5.2– *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में प्रकाशित लेखों में सूचीबद्ध संदर्भों की संख्या के अनुसार वितरण

वर्ष	0	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	>30	कुल लेखों की संख्या
2014 –15	8	10	05	09	02	03	01	01	39
2015 –16	10	10	10	07	03	02	0	0	42
2016 –17	13	04	14	08	05	03	0	0	47
2017 –18	03	11	06	14	04	03	02	01	44
2018 –19	02	16	14	07	03	02	02	0	46
कुल लेखों की संख्या	36	51	49	45	17	13	05	02	218
प्रतिशत	16. 51	23. 39	22.48	20. 64	7. 80	5. 96	2.30	0.92	100 (%)

तालिका 6— भारत के राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों का *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में लेखों के रूप में योगदान की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों का नाम	लेखों की संख्या	संचयी लेखों की संख्या	%
1.	दिल्ली	71	71	32.57
2.	उत्तर प्रदेश	43	114	19.72
3.	उत्तराखण्ड	25	139	11.47
4.	राजस्थान	23	162	10.55
5.	मध्य प्रदेश	20	182	9. 17

6.	महाराष्ट्र	14	196	6.42
7.	पश्चिम बंगाल	4	200	1. 83
8.	गुजरात	4	204	1. 83
9.	बिहार	4	208	1. 83
10.	हरियाणा	3	211	1. 38
11.	हिमाचल प्रदेश	2	213	0.91
12.	झारखण्ड	1	214	0.46
13.	आंध्र प्रदेश	1	215	0.46
14.	छत्तीसगढ़	1	216	0.46
15.	पंजाब	1	217	0.46
16.	जानकारी नहीं	1	218	0.46

उत्पादक राज्य दिल्ली है जहाँ से कुल 71 लेख लेखकों द्वारा दिए गए हैं। 43 लेखों के साथ दूसरे स्थान पर उत्तर-प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जिसके पत्रिका में 25 लेख शामिल हैं।

इन लेखों को जाँचने से यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि 218 लेखों में से 28 लेख रा.शै.अ.प्र.प. के अकादमिक सदस्यों के द्वारा लिखे गए हैं। 26 एन.आई. ई., दिल्ली और दो आर.आई.ई. भोपाल के अकादमिक सदस्यों द्वारा लिखे गए हैं।

तालिका 7— *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका में प्रकाशित लेखों के विषयों की पहचान एवं विस्तृत मानचित्रण सूची

क्रमांक	विषय	लेखों की संख्या
1.	शिक्षण-अधिगम	18
2.	शिक्षा दर्शन	15
3.	अध्यापक शिक्षा	13
4.	भाषा शिक्षा	13
5.	प्राथमिक शिक्षा	11
6.	विद्यालयी शिक्षा	11
7.	समावेशी शिक्षा	09
8.	पाठ्यपुस्तक अध्ययन	08
9.	उच्च शिक्षा	06
10.	बालिका/ स्त्री शिक्षा	06
11.	आई.सी.टी.	06
12.	मूल्य शिक्षा	05
13.	शिक्षा व्यवस्था	05
14.	जेंडर परिप्रेक्ष्य	05
15.	शिक्षा का अधिकार	05
16.	कला शिक्षा	05
17.	बाल विकास	05
18.	पर्यावरण शिक्षा	04
19.	विज्ञान शिक्षण	04
20.	अकादमिक उपलब्धि	03
21.	ग्रामीण शिक्षा	03

सभी 218 लेखों का 21 विषयों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसे तालिका 7 में दर्शाया गया है। प्राथमिक रूप से शिक्षण-अधिगम विषय पर 18 लेख, शिक्षा दर्शन पर 15 और अध्यापक शिक्षा एवं भाषा शिक्षा पर 13 लेख हैं।

उक्त विषयों के अलावा शिक्षा से संबंधित अन्य विषयों पर भी लेख हैं परंतु उनकी संख्या एक या दो ही है, जैसे— करियर सजगता, बाल श्रम, बच्चों का व्यवहार, बाल उत्पीड़न, ड्रॉपआउट चिल्ड्रन, किशोरावस्था शिक्षा, शिक्षा नीति, शिक्षा का निजीकरण, दूरस्थ शिक्षा, कौशल शिक्षा, योग की शिक्षा में भूमिका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा की गुणवत्ता, रोज़गार उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता, अध्यापक प्रशिक्षण, गणित शिक्षा, कक्षाई शिक्षाशास्त्र, शांति शिक्षा, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात, शिक्षण प्रक्रिया, अनुसूचित जनजाति शिक्षा, शिक्षण पद्धति, शिक्षा में खेल की भूमिका, शिक्षण, पढ़ने की प्रक्रिया, प्रौढ़-शिक्षा एवं अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार यह पत्रिका शिक्षा से संबंधित विषयों में नवीनतम जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

तथ्यों के विश्लेषण और गणना के आधार पर प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष और परिणाम इस प्रकार हैं—

1. अध्ययन की अवधि के पाँच वर्षों में (2014–2019) के दौरान लेखकों का वर्षवार वितरण कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है एवं पाया गया की कुल 218 लेख प्रकाशित किए गए हैं जो की वर्ष 2016–17 में सबसे अधिकतम हैं एवं वर्ष 2014–15 में सबसे कम हैं।
2. वर्ष 2014–2019 में *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में कुल 218 लेखों का योगदान 288 लेखकों द्वारा किया गया है एवं कुल 218 लेखों में से 151 एकल लेखक द्वारा, 64 संयुक्त लेखकों द्वारा एवं तीन लेख तीन लेखकों ने मिलकर लिखे हैं। पाँच वर्षों के अध्ययन के दौरान सहयोग की औसत डिग्री 0.31 है। वर्ष 2017–18 में 19 लेख प्रकाशित हुए हैं, जोकि बहुलेखकीय हैं और सहयोग की डिग्री 0.43 है, जो सभी पाँच वर्षों में सबसे अधिकतम है।
3. *भारतीय आधुनिक शिक्षा* के प्रत्येक खंड के सभी लेखों की पृष्ठों की कुल संख्या 2051 है एवं औसत प्रति लेख पृष्ठ संख्या 9.41 है।
4. लेखों में प्रयोग किए गए कुल संदर्भों की मात्रा 1978 पाई गई और प्रति लेख औसत संदर्भों की संख्या 9.12 है।
5. *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में अध्ययन की अवधि (2014 –2019) के दौरान कुल 218 प्रकाशित लेखों में विभिन्न संदर्भों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें मुख्य रूप से 19 श्रेणियों में विभाजित किया गया एवं पाया गया कि पुस्तकों का उपयोग संदर्भ के रूप में सबसे अधिकतम (784 पुस्तक) हुआ है। जिसके बाद पत्रिका लेखों का (356 संख्या) संदर्भ के रूप में उपयोग हुआ है। संदर्भों का विश्लेषण करते हुए यह भी पाया गया कि आज के इंटरनेट युग में वेबलिंक्स अर्थात इंटरनेट से सामग्री का (272) लेखों में उपयोग, तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2017–18 में सबसे अधिक संदर्भों का (497) प्रयोग हुआ है।

6. अध्ययन की कुल अवधि के दौरान प्रकाशनों की संख्या के आधार पर सबसे अधिकतम लेख दिल्ली क्षेत्र से प्रकाशित हुए हैं जिनकी संख्या 71 है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, जिसके क्रमशः 43 व 25 लेख शामिल हैं। इस प्रकार *भारतीय आधुनिक शिक्षा* में कुल 15 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान शामिल है।
7. सभी 218 लेखों का 21 विषयों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसमें शिक्षण-अधिगम विषय पर 18 लेख, शिक्षा दर्शन पर 15 लेख, अध्यापक शिक्षा एवं भाषा शिक्षा पर 13 लेख पाए गए हैं।

निष्कर्ष

भारतीय आधुनिक शिक्षा रा.शै.अ.प्र.प. की एक नियमित और प्रतिष्ठित पत्रिका है और शोधार्थियों एवं शिक्षाविदों के लिए बहुत उपयोगी है। वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान 20 खंडों में प्रकाशित *भारतीय आधुनिक शिक्षा* पत्रिका की ग्रंथ सूची के अध्ययन के परिणामस्वरूप प्रकाशित लेखों की संख्या 218 है। हालाँकि अधिकतर खंड 10–12 लेखों के साथ हैं, जिसमें लेख के अलावा छह पुस्तक समीक्षाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 218 में से 151 योगदानों के साथ एकल लेखकत्व को सबसे अधिक महत्ता दी गई है और लेखकत्व सहयोग 0.31 पाया गया है। 130 लेखों की लंबाई 6–10 पृष्ठ के बीच में है जो अधिकतम है, जबकि 11–15 पृष्ठ वाले लेख 63 हैं। लेख संदर्भों की औसत संख्या 9.12 है, जबकि शून्य संदर्भ वाले 36 लेख पाए गए। भारतीय विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए यह पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह पत्रिका वर्ष 2019–20 में 40 साल की यात्रा पूरी कर चुकी है, जो प्रकाशन की लंबी स्थिरता को दर्शाता है। यह पत्रिका पेशेवरों और शोधार्थियों को अपने शोध अध्ययनों और अनुभवों को शोध पत्रों के रूप में प्रकाशित करने का समान अवसर देती है।

संदर्भ

एस. थानुस्कोडी. 2010. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज— ए बिब्लियोमैट्रिक स्टडी. *जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज*. 24:2, पृष्ठ संख्या 77–80. DOI: 10.1080/09718923.2010.11892847

ओज़्काया, अली. 2018. गणित शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन का ग्रंथ सूची विश्लेषण. *एजुकेशनल रिसर्च एंड रिव्यूज*. 13 (22), पृष्ठ संख्या 723–734.

जमाली, सैयद महबूबेह, मो ज़ैन अहमद नुरुलज़म, समसूदीन मोहम्मद अली और इब्राहिम, नादेर अली इब्राहिम. 2015. पब्लिकेशन ट्रेंड्स इन फिजिक्स एजुकेशन— ए बिब्लिओमैट्रिक स्टडी. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. 35, पृष्ठ संख्या 19–36.

नायक, ए. पी. 2017. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू— ए बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडी. *इंपीरियल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च*. 3, पृष्ठ संख्या 88–91.

मोख्तारी, हैदर, बरखान, एस, हसेली, डी और एम.के. सबेरी. 2020. जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का एक ग्रंथ सूची विश्लेषण और विजुअलाइजेशन— 1945–2018. *जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन*. 77(1), पृष्ठ संख्या 69–92.

https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165

वर्मा, मोनिका, यतीश पवार और जी. महेश. 2016. भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका— बिब्लिओमैट्रिक विश्लेषण. *भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका.* 24(2) पृष्ठ संख्या 153–158.

शुक्ला, रवि और मनोज कुमार वर्मा. 2018. लाइब्रेरी हेराल्ड 2008–2017— एक ग्रंथ सूची अध्ययन. *लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस (ई-जर्नल).* 1762 https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1762 https://creativemanitoba.ca/topic/types-and-degrees-of-collaboration/

सुब्रमण्यम, के. 1983. बिब्लिओमैट्रिक स्टडीज ऑफ रिसर्च कोलेबोरेशन. ए रिव्यू— जर्नल ऑफ इनफॉर्मेशन साइंस. 6 पृष्ठ संख्या 33–38. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2448 22 जुलाई 2021 को https://doi.org/10.1108/LHTN-03-2016-0014, 23 जुलाई 2021 https://ncert.nic.in/journals-and-periodicals.php?ln, 24 जुलाई 2021 को UGC_Journal_Help.pdf, 13 अक्तूबर 2021 को ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_जुलाई 2014– अप्रैल 2020. pdf जुलाई से सितंबर तक देखा.

विद्यालयी शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अंतर्द्वंद्व एवं सार्थक समाधान

सुनीता सिंह*
जैन बहादुर**

शिक्षा न केवल लोगों को क्षमतावान बनाती है, बल्कि सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी आवश्यकता भी है, जिसकी शुरुआत विद्यालयी शिक्षा से होती है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं से संपन्न होती है। जो संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों एवं उसके ताने-बाने से संबंधित होती है। विद्यालयी शिक्षा के अलावा अनौपचारिक रूप से मदरसे भी शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके अपने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। इस शोध पत्र में शोधार्थियों द्वारा अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के बीच शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनमें व्याप्त अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु तथ्य संकलित करने के लिए शोधार्थियों ने अपने स्थानीय अनुभवों के साथ-साथ अनौपचारिक मदरसा और प्राथमिक विद्यालयों का अवलोकन किया तथा अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का साक्षात्कार लिया। इस शोध पत्र में अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्द्वंद्वों के विभिन्न पक्षों को बताया गया है। साथ ही, इन अंतर्द्वंद्वों के समाधान को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एक विशेष प्रकार के वातावरण में संपन्न होती है जिसकी अपनी संरचनाबद्ध अवधारणा होती है। जैसे ही हम विद्यालय का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में एक संरचना बनने लगती है जिसका अपना एक निश्चित स्थान, समय, प्रशासन एवं प्रबंधन, दिशा-निर्देश इत्यादि होते हैं। स्कूली शिक्षा का तात्पर्य राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण के अनुसार औपचारिक रूप से नियमित शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों एवं शिक्षा प्रणाली से है। विद्यालय में सीखना जिस विशेष प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत होता है उसमें प्रमुख रूप से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, अनुशासन, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली आदि शामिल होते हैं। इन संघटकों की परस्पर अंतर्क्रिया से विद्यालय में सीखना एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका उपयोग विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में करते हुए एक सामाजिक एवं आर्थिक नागरिक बनकर, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है।

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007

सीखने को लेकर सामान्यतया यही मिथ्या धारणा है कि सीखना सिर्फ़ विद्यालय में ही होता है जबकि ऐसा नहीं है, सीखना विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे प्राय: औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ़ सीखना होता है बल्कि ज्ञान की पुनर्निर्मित भी होती है। समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा न सिर्फ़ बच्चे में सीखने-सिखाने की स्वाभाविक क्षमता का विकास करती है, साथ ही, उसे अपने आस-पास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक वातावरण से सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

विद्यालय में सीखना-सिखाना सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। "सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है, जब अध्यापक और विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतर्क्रिया करते हैं" (*एन.सी.एफ. 2005*)। इसलिए विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्यार्थियों को समता एवं समानता के संवैधानिक मूल्यों तथा समाज की विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है। इसी संदर्भ में डीवी (2009) कहते हैं कि शिक्षा, सामाजिक ताना-बाना है। विद्यालयों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया न सिर्फ़ जीवन की आवश्यकता के लिए बल्कि सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। उनके अनुसार स्कूली शिक्षा द्वारा बच्चों में ऐसी क्षमता विकसित होनी चाहिए जिससे वह अपने आस-पास के वातावरण की ऊर्जा का न केवल उपयोग कर सकें बल्कि उनका पुन: नवीनीकरण कर सकें।

विद्यालय में सीखने का आरंभ भी बच्चे के उस सामाजिक परिवेश से होना चाहिए जिससे वह आता है ताकि उसका सीखना सहज एवं सुगम हो सके। इसी अवधारणा पर *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* कहती है कि बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करके ही बच्चा ज्ञान का सृजन करता है और जीवन में सार्थकता पाता है।

स्कूली शिक्षा और समुदाय के बीच महत्व को दर्शाते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* बताती है कि, "विद्यालय पूरे समुदाय के लिए सम्मान और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में विद्यालय की प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करना चाहिए और विद्यालय में स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए। इस दिन विद्यालय के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल न होने वाले समय अथवा दिनों में, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए। जिससे विद्यालय एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में भी भूमिका निभाए (*एन.ई.पी. 2020*)।

भारत विविधताओं का देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म एवं सम्प्रदाय हैं जिनका अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम है। इस विविधता के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को

अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार के विद्यालयों को अनुदान देने में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। मदरसा शिक्षा भी इसी का हिस्सा है जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। मदरसा अरबी शब्द है जिसकी उत्पत्ति 'दरस' शब्द से हुई है। दरस शब्द का अर्थ है सिखाना या पढ़ाना। ('जाऐ दरस' 'दरस देने या पढ़ाने की जगह')। भारत में मदरसा शिक्षा का आरंभ मध्यकाल में मुस्लिमों के आने से ही प्रारंभ हो गया था। जार्ज मकदासी के अनुसार मुस्लिम समुदाय की शिक्षा मस्जिदों से खानकाहों से होते हुए मदरसों तक पहुँची। मदरसे के दो अभिकरण हैं— मकतब तथा मदरसा। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है जबकि मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। अधिकांश रूप से मदरसों एवं मकतबों की स्थापना मुस्लिम शासकों एवं मुस्लिम कुलीन वर्गों द्वारा की गई। अधिकांश रूप में मकतब, मस्जिद का ही अनिवार्य रूप होता है। जहाँ बच्चों को कुरआन और नमाज़ के बारे में बताया जाता है (आरा, 2004)। कुछ मदरसे स्थानीय चैरिटी (दान) एवं लोगों के सहयोग से भी संचालित होते थे। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकन्दर लोदी ने मदरसों की शिक्षा में विशेष योगदान दिया।

ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रसार ने मदरसा शिक्षा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने संपूर्ण शिक्षा की संरचना को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के आधार पर निर्मित करना चाहा। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के विस्तार ने कहीं न कहीं मुस्लिम शिक्षा की अस्मिता को भी प्रभावित किया। जिसका तत्कालीन लोगों द्वारा विरोध किया गया और परम्परागत विद्यालय या मदरसा शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। इसका दूसरा स्वरूप यह है कि मदरसा शिक्षा पद्धति अपने उद्देश्यों एवं प्रक्रिया विशेष में जटिल व रूढ़िवादी होती चली गई। यह शिक्षा पाठ्यक्रम, विषयवस्तु धीरे-धीरे समसामयिकता एवं सामाजिक प्रासंगिकता को खोती चली गई और शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम धर्म और संस्कृति के प्रभुत्व में आ गई (आरा, 2004)। जिसकी परिणिति विभिन्न आंदोलनों और संगठनों के रूप में होती है।

अंग्रेजी सरकार के रवैये से मुस्लिम शिक्षा की अस्मिता कहीं नष्ट न हो जाए, इस दृष्टि से 1866 में ननौता निवासी हजरत मौलाना मुहम्मद याकूब ने सहारनपुर एवं मुज़फ्फरनगर के देवबंद कस्बे में पेड़ के नीचे शिष्य महबूब हसन को पढ़ाना शुरू किया। यह मदरसा आज दारूलऊलूम के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में जामिया निजामिया (1876), नदवतुल उलेमा (1894) आदि मदरसे स्थापित हुए। आलम (2003) ने मध्यकालीन मदरसा और वर्तमान मदरसा में अंतर करते हुए वर्तमान मदरसा को 'नया मदरसा' या 'आधुनिक मदरसा' की संज्ञा दी। इसका विकास वह औपनिवेशिक शासन के समय से मानते हैं। उनके अनुसार औपनिवेशिक शासन में, शिक्षा के विस्तार ने मुस्लिम एवं मदरसा शिक्षा जगत में एक तरह की असुरक्षा का निर्माण किया जो कहीं-न-कहीं उनकी अस्मिता के लिए संकट प्रतीत हुआ, जिसके बदले में मदरसा शिक्षा व्यवस्था ने अपने निजी, सार्वजनिक जीवन में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा होने वाले किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। जिसका स्वरूप आज भी देखने को मिलता है। इसने एक प्रकार की विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न कर दी, जो धार्मिक रूढ़िवादिता के रूप में संरचित हुई।

शिक्षा लोगों के विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए प्रत्येक समुदाय, जेंडर, धर्म, क्षेत्र इत्यादि को समान शिक्षा के अवसर मिल सकें इसके लिए संविधान द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 द्वारा सभी को कानून में समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल निवास, जेंडर और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 21 शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार के लिए आवश्यक मानते हुए 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। धर्म, सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा के साथ ही विभिन्न धर्मों के लोग औपचारिक मुख्यधारा की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं।

संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद भी उनकी शिक्षा तक पहुँच या गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करना चुनौती बनी हुई है। देश की साक्षरता के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक निरक्षता दर मुस्लिम समुदाय की 42.7 प्रतिशत है, हिन्दू की 36.3 प्रतिशत, जैन की 13.57 प्रतिशत, सिक्ख की 32.49 प्रतिशत, बौद्ध की 28.16 प्रतिशत है (जनगणना 2011)। सच्चर कमेटी (2006) के अनुसार मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा उठाई जाने वाली मुख्य परेशानियाँ जहाँ पहचान, सुरक्षा और समानता के मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी सबसे अधिक गहन चिंताओं में से एक है। उपरोक्त विमर्शों में हमने समझा कि विद्यालय शिक्षा और अनौपचारिक मदरसा शिक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की सीखने संबंधी चुनौतियाँ हैं, जिसके कई पक्ष हैं।

मदरसा शिक्षा संबंधी नीतिगत पहल

वर्तमान समय में औपचारिक रूप से संचालित होने वाले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए सरकारों द्वारा कई नीतिगत पहलें की गई हैं। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'मदरसों व अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.एम.एम.)' का संचालन किया जा रहा है। इसमें दो योजनाएँ शामिल की गई हैं— पहली, मदरसों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) और दूसरी, अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (आई.डी.एम.आई.)।

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना का उद्देश्य मदरसों में ऐसा गुणात्मक सुधार करना है कि मुस्लिम बच्चों की औपचारिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों के अनुसार प्राप्त हो सके।

एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना की विशेषताएँ

- मदरसा और मकतब जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान करना ताकि वे इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा एक से बारह तक शैक्षणिक दक्षता प्रदान कर सकें।

- इन संस्थानों के विद्यार्थियों को विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यमिक स्तर के समतुल्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।
- राज्य मदरसा बोर्डों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने और मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी सहायता करके राज्य मदरसा बोर्डों को मज़बूत करना।
- मदरसों में गुणवत्ता घटकों, जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आदि की व्यवस्था करना।
- इस योजना के तहत नियुक्त अध्यापकों के शैक्षणिक कौशल और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।

अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (आई.डी.एम.आई.)

- अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक व माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा देना।
- अल्पसंख्यकों की लड़कियों, दिव्यांग बच्चों और शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।
- औपचारिक रूप से चल रहे मदरसों को सुदृढ़ करने हेतु योजना (स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा/माइनॉरिटीज— एस.पी.ई.एम.एम.) के अंतर्गत मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, वांछित वार्षिक अनुरक्षण, लागत प्रावधान, पुस्तकालय सामग्री उपलब्ध कराने की मंशा जताई गई है। इस योजना के द्वारा मदरसों तथा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता नज़र आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल देती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अल्पसंख्यक वर्ग को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (एस.ई.डी.जी.) के अंतर्गत रखा गया है। जिसके तहत नीति अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर कम प्रतिनिधित्व को स्वीकार करती है और इस वर्ग की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष हस्तक्षेप पर बल देती है। स्कूली शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति छात्रवृत्ति, कैश हस्तांतरण, साईकिल प्रदान करना जैसे कई अन्य विशेष प्रावधानों की अनुशंसा करती है। साथ में शिक्षण प्रक्रिया एवं पाठ्यचर्या को लेकर संरचनात्मक बदलाव पर भी बल देती है।

शोध अध्ययन का औचित्य

शिक्षा पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया से कहीं अधिक है। जिसका अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू होता है। शिक्षा हमारी अस्मिता की निर्मिति एवं दैनिक जीवन को समझने में मदद करती है।

मदरसा शिक्षा को लेकर कई तरह के विमर्शों, लेखों एवं नीतिगत दस्तावेज़ों का अध्ययन किया गया, जो सकारात्मक एवं सुधारात्मक शोधों की माँग करते हैं।

सच्चर कमेटी (2006) द्वारा मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया गया था। इस कमेटी ने पाया कि आर्थिक स्थिति एक बड़ा कारण है जो मुस्लिम समाज की शिक्षा को प्रभावित करता है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्थिति न केवल पढ़ने के संसाधनों की प्राप्ति को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा के आर्थिक लाभ को भी प्रभावित करती है। कमेटी मुस्लिम बच्चों की स्कूली शिक्षा में विशेष कार्यक्रम, संरचना और बदलाव लाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।

अत: कहा जा सकता है कि मदरसा शिक्षा अपने साथ कई जटिलताओं को लिए हुए है। शोधार्थी ने स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत अवलोकन कर अनुभव किया कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो अनौपचारिक मदरसे में पढ़ते हैं, वे शासकीय विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। चूँकि यह दोनों संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को अनौपचारिक व औपचारिक तरीके से प्रसारित कर रही हैं, परंतु इनका शैक्षिक उद्देश्य अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम बच्चों में क्या किसी प्रकार से सीखने को लेकर कोई संकट उत्पन्न होता है? क्षेत्रों में क्या अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा एक-दूसरे के शैक्षिक पहलुओं को प्रभावित करती है? मुस्लिम विद्यार्थियों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यह जानने के उद्देश्य से यह शोध अध्ययन किया गया। साथ ही, शोधार्थी द्वारा अनौपचारिक मदरसा और प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम सहित शिक्षण प्रक्रिया में अंतर होने के कारण मुस्लिम बच्चों को किस प्रकार की चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या उनमें किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है? वर्तमान में विभिन्न मदरसा/मुस्लिम शिक्षा संबंधी नीतियाँ कितनी सार्थक हो रही हैं? इन सबकी पड़ताल करने का प्रयास किया गया।

शोध उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- प्राथमिक विद्यालय व मदरसों के बीच आपसी तालमेल एवं शिक्षण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति तथा अध्यापक एवं विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

इस शोध अध्ययन की गुणात्मक प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया। शोध उपकरण के लिए अर्द्धसंरचनात्मक साक्षात्कार और अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया।

शोध अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सैदनगर और चमरव्वा ब्लॉक में संचालित होने वाले प्राथमिक विद्यालयों में से तीन विद्यालयों— प्राथमिक विद्यालय, बगड़ खाँ; प्राथमिक विद्यालय, मझरा इमरसा; तथा प्राथमिक विद्यालय, मझरा पट्टी का चयन किया गया था। इसके साथ ही इन्हीं ब्लॉकों में संचालित होने वाले अनौपचारिक मदरसे, जो मस्जिदों में संचालित

होते हैं, का चयन किया गया था, जिनके नाम हैं— मदरसा फैजान खोद; मदरसा अब्दुला हाकिमगंज; मदरसा बिलाल मुर्सेना खोद; मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ।

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार रामपुर की कुल जनसंख्या 2,335,819 है। जिसमें शहरी आबादी 25.2 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 74.8 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या 45.97 प्रतिशत, मुस्लिम 50.57 प्रतिशत, क्रिश्चियन 0.93 प्रतिशत, सिक्ख 2.80 प्रतिशत, बौद्ध 0.02 प्रतिशत और जैन 0.06 प्रतिशत हैं। रामपुर जिले की साक्षरता दर 53.3 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 61.40 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 44.40 प्रतिशत है।

विश्लेषण व विवेचन

इस शोध अध्ययन हेतु अवलोकन एवं साक्षरता के आधार पर संकलित तथ्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया—

- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के समय प्रबंधन संबंधी यथार्थ एवं चुनौतियाँ;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के भाषाई पठन, लेखन, गणितीय ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित यथार्थ एवं चुनौतियाँ;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों व अध्यापकों की चुनौतियाँ;
- ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों का सरकारी प्राथमिक विद्यालय व मदरसों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण;
- मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच सामंजस्य से संबंधित स्थिति;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में शिक्षण करने वाले अध्यापकों की विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियाँ; और
- मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों में तुलना।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के समय प्रबंधन संबंधी यथार्थ एवं चुनौतियाँ

गाँव बगड़ खाँ के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों से वार्तालाप व अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उनके मदरसा का नाम—मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ है। जहाँ प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक मौलवी साहब सबक देते हैं जबकि उनके प्राथमिक विद्यालय का समय प्रात: 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक है। अनौपचारिक मदरसों व प्राथमिक विद्यालय के समय प्रबंधन में विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मदरसों से सबक जल्दी लेकर विद्यालय पहुँचने की हड़बड़ी और विद्यालय में देर से पहुँचने पर अध्यापक की डाँट-डपट के बीच मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी दोनों प्रकार की शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। साथ ही, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मुस्लिम विद्यार्थियों का तब तक इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक वे मदरसों से पढ़कर नहीं आ जाते। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। वे अपने आपको सिर्फ़ दोनों जगह उपस्थित होने तक ही सीमित रख पाते हैं। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों व विद्यालय के अध्यापकों

को मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंतु इस बात की भी पुष्टि होती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चों को औपचारिक शिक्षा या प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के भाषाई पठन, लेखन, गणितीय ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित यथार्थ एवं चुनौतियाँ

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका से वार्तालाप कर मदरसों से प्राप्त शिक्षा के अनुप्रयोग संबंधित सवाल पूछने पर पता चला कि ये विद्यार्थी अनौपचारिक मदरसों में प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक इस्लाम धर्म की आयतें व सिपारे का अध्ययन करते हैं। उन्हें केवल उर्दू अक्षरों को पहचानना व पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना नहीं सिखाया जाता है। इस प्रकार भाषाई ज्ञान के अंतर्गत वे केवल उर्दू विषय को ही पढ़ना सीख पाते हैं जबकि वे लेखन कौशल में पिछड़े हैं। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान कौशल को जाँचने पर पता चला कि वहाँ के मुस्लिम विद्यार्थियों को उर्दू पढ़ना और पहचानना आता है, लेकिन वे लिख नहीं पाते हैं। कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थी भाषाई ज्ञान में हिंदी के दो अक्षर और तीन अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ पा रहे थे। जबकि उन्हें मात्रा संबंधी ज्ञान व लेखन नहीं आता था। इस प्रकार मदरसा व प्राथमिक विद्यालय दोनों में ही अक्षरों को पढ़ने, पहचानने, रटने पर बल दिया जाता था। परंतु उनकी लेखन क्षमता सामान्यतया कम थी। इस समस्या को नीतिगत संदर्भ में समझें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तात्कालिक रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखती है। नीति, 2025 तक विद्यार्थियों को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक उद्देश्य मानती है।

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2019) को रीडिंग मेले का आयोजन किया गया था। शिक्षिका प्रज्ञा सिंह द्वारा अलग-अलग मेज़ों पर शब्द जोड़, शब्दों के खेल, कहानी, पहेलियों के माध्यम से शब्द जोड़ना, शब्दों को पढ़ना सिखाया गया। उनसे वार्तालाप करने पर पता चला कि वह विज्ञान विषय की विशेषज्ञ हैं, परंतु उन्हें विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित जानकारी सिखाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चों को समाजीकरण द्वारा उनके धार्मिक एवं मिथकीय ज्ञान को इस तरह से आत्मसात करा दिया जाता है कि इसका प्रभाव कक्षा में भी दिखाई देता है। प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा के बालकों के गणितीय ज्ञान में मदरसों की शिक्षा कहाँ तक सहायक है? पूछने पर शिक्षिका ने बताया कि मदरसों में केवल उर्दू पढ़ने पर बल दिया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, जो प्राथमिक विद्यालय के विषयी ज्ञान को सीखने में मदद करे। जबकि मदरसों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) में वैज्ञानिक तर्कपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों व अध्यापकों की चुनौतियाँ

प्राथमिक विद्यालय मझरा पट्टी की प्रधानाध्यापिका से वहाँ की अध्ययनरत मुस्लिम बालिकाओं की

शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित वार्तालाप करने पर पता चला कि मझरा गाँव के मुस्लिम समुदाय के परिवारों में महिलाओं की आर्थिक व शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये महिलाएँ जरी जड़ने का काम एवं साड़ी कढ़ाई का काम करती हैं। अधिकांशतः 10 वर्ष से अधिक उम्र की छात्राएँ अपनी माताओं के साथ साड़ी बुनने का कार्य करने लगती हैं। उनके नाम विद्यालय में नामांकित होते हैं, लेकिन जीविकोपार्जन की समस्या के कारण वे विद्यालय में पूरा समय नहीं दे पाती हैं। प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा में भी इस प्रकार की समस्या समाने आई। शिक्षिका ने बताया कि 12 वर्ष से बड़ी उम्र की मुस्लिम बालिकाएँ कढ़ाई का काम करती हैं। प्रत्येक कारचोव कढ़ाई पीस पर उन्हें 200 रूपये मिलते हैं। अतः वे इस कार्य में अधिक रुचि लेती हैं। साथ ही शिक्षिका ने बताया कि 5 से 10 वर्ष की मुस्लिम लड़कियों के साथ उनके एक से तीन वर्ष के भाई-बहन विद्यालय में आते हैं, यदि मना किया जाए तो वे कहती हैं कि अम्मी घर में काम कर रही हैं। इस प्रकार छोटे भाई-बहनों का लालन-पालन, कढ़ाई करना, उर्दू सीखना भी इनकी प्रमुखता है जो इन लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा में कहीं-न-कहीं बाधक है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, मुस्लिमों के शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण घोर गरीबी है। विद्यालय से ड्रॉपआउट होना मुस्लिम लड़कियों के लिए आम बात है। साथ ही, गरीब परिवारों द्वारा छोटे बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि कुटीर उद्योगों या घरेलू नौकरों के रूप में काम करके परिवार की आमदनी में योगदान करें। इसके अलावा अगर इन बच्चों के माता-पिता काम पर जा रहे हैं, तो वह घर में रहकर अपने छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखें। इसी प्रकार के परिणाम श्रीनिवासन (1960) ने इंगित करते हुए कहा है कि मुस्लिम परिवारों की लड़कियाँ माता बनने से पहले ही माँ और पत्नी की भूमिका को निभाने लगती हैं। वहीं सरस्वती (1999) के अनुसार मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की बचपन व युवावस्था के बीच में किशोरावस्था प्रायः खो जाती है, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ अनेक ज़िम्मेदारियों में बचपन से बाँध दी जाती हैं। इस प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़िवादी कायदे-कानून इनके बचपन से औरत तक की भूमिका का निर्धारण करते हैं। इन बालिकाओं को अपने घरों में प्राय: अपने बड़े भाइयों, पिता, मामा अर्थात पुरुषों के साथ टेलीविजन देखने की भी अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश में मुस्लिम बालिकाएँ प्रायः 12 वर्ष की आयु पूरी करने तक विद्यालय व घर की दुनिया में तालमेल बनाना सीख जाती हैं। इस स्थिति पर शिक्षिका का कहना था कि यह एक बड़ी चुनौती है कि मुस्लिम अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अभिभावकों में सकारात्मकता को लाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शपथ का आयोजन किया गया था। जिसमें शपथ दिलाई गई थी कि वे बालक और बालिका की शिक्षा में भेदभाव नहीं करेंगे। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में जेंडर जनित भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुस्लिम बालिकाओं को वे गाना व नृत्य सिखा रही थीं तो कुछ अभिभावकों ने विद्यालय में आकर चेतावनी दी कि वे अपनी

लड़कियों को नृत्य एवं गाना नहीं सिखाना चाहते हैं। साथ ही, उनका कहना था कि मुस्लिम बालिकाएँ पाँच वर्ष की अवस्था से ही सूट, सलवार और दुपट्टा पहन कर विद्यालय आती हैं। जोकि मुस्लिम बालिकाओं की शैक्षिक आज़ादी पर नियंत्रण को दर्शाता है। गुप्ता (2015) ने बताया कि पर्दा प्रथा में बड़ी हो रहीं मुस्लिम बालिकाओं की विद्यालयी शिक्षा भी गुप्त पाठ्यचर्या के अंतर्गत इस प्रकार सामाजीकरण में मदद करती है।

ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों का सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व मदरसों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

ग्रामीण इलाकों में मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का मत जानने के लिए प्राथमिक विद्यालय मझरा पट्टी की छात्रा नसरीन के अभिभावक से बात की गई। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक व सामान्य शिक्षा दोनों ज़रूरी हैं। वे चाहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य गाँव के प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाए, जिससे मुस्लिम बच्चे उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। उर्दू भाषा की शिक्षा पर प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की माताएँ प्रायः अपराह्न आकर कहती हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए ये मदरसे में जाएँगे। यहाँ के अभिभावकों का मदरसा शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत सकारात्मक दृष्टिकोण है। शिक्षिका ने बताया कि प्रायः जुमे के दिन (शुक्रवार) विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में पूरी होती है, क्योंकि जुमे को मदरसा बंद होता है। शिक्षिका से यह प्रश्न पूछने पर कि मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के सामने क्या चुनौती है? उन्हें किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है? इस पर शिक्षिका ने चार प्रमुख चुनौतियाँ बताईं जो इस प्रकार हैं—

प्रथम चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों की उच्च शिक्षा व सामान्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में कमी है। यही बात बसंत (2007) ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के विश्लेषण में पाई कि मुस्लिम बालिकाओं की साक्षरता दर अन्य धार्मिक समुदायों से कम होती है।

द्वितीय चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम परिवारों में माताओं का अशिक्षित होना व परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होना।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2007) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय में परिवार के सदस्यों की संख्या कम से कम सात व औसतन दस होती है। जनगणना (2011) के अनुसार भी मुस्लिम जनसंख्या में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कुल आबादी का 14.2 प्रतिशत है। इस समुदाय की औसत प्रजनन दर दशमलव सात प्रतिशत अधिक है। परिवार में सदस्यों की संख्या जैसे-जैसे अधिक होती है, उन घरों में महिलाओं की भोजन बनाने, बच्चे पालने और घरेलू कार्यों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे घरों में महिलाओं की साक्षरता कौशल, अखबार, मैगजीन पढ़ने एवं सीखने के अवसर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इन परिवारों में पलने वाली मुस्लिम बालिकाओं को बचपन से ही बच्चे पालना एवं खाना बनाने का हुनर सिखाया जाता है। ये परिवार में अपनी अम्मी एवं खाला के साथ बड़ी होती हैं।

तृतीय चुनौती— मुस्लिम समुदाय का संकीर्ण परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण।

गुप्ता (2008) के अनुसार प्रायः जहाँ मुस्लिम समुदाय का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है वहाँ

पर इनकी अन्य समुदायों के साथ अंतर्क्रिया प्रायः धार्मिक पहचान के आधार पर होती है। मुस्लिम पहचान को लेकर सच्चर कमेटी (2006) इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय मुस्लिमों की पहचान से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक है, सार्वजनिक क्षेत्र में 'एक मुस्लिम' की तरह पहचाने जाना। मुस्लिम पहचान के संकेतक बुरका, दाढ़ी इत्यादि हैं, जो भारतीय मुसलमानों की विशिष्टता बढ़ाते हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके लिए यह चिंता का कारण भी है। जिसकी परिणति कभी-कभी साम्प्रदायिक रूप में भी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की सार्थकता पर भी सवाल खड़ा होता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रजातांत्रिक व सामाजिक मूल्यों का आधार है। वहीं ग्रामीण मुस्लिम समुदाय की शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक परंपरागत धार्मिक संकीर्ण विचारों एवं मान्यताओं से प्रभावित है।

चतुर्थ चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम समुदाय की अर्थिक विपन्नता।

बरमन (2010) के अनुसार मुस्लिम समुदाय के अधिकांश अभिभावक असंगठित एवं अनौपचारिक तरीके से कार्य करते हैं। ये अपने जीवन काल में जीविकोपार्जन हेतु अनेक तरह के व्यवसायों का चयन करते हैं तथा भविष्य के सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक धन का संचय भी नहीं करते हैं।

गाँव मझरा इमरसा की मुस्लिम अभिभावक से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपने बालक-बालिकाओं को छोटे व्यावसायिक कार्यों में लगाना पसंद करते हैं? उनकी उच्च शिक्षा को प्रमुखता देने के बजाए उन्हें आप दर्ज़ी, नाई, टायर पंचर बनाना आदि कार्य सिखाते हैं। इस पर अभिभावक ने कहा कि, "हम मुस्लिम हैं हमें हिंदुस्तान की सरकारी नौकरियों में कौन रखेगा"। शिक्षा और रोज़गार को लेकर मुस्लिमों में इस प्रकार की असुरक्षा और निराशा की पुष्टि सच्चर कमेटी (2006) भी करते हुए बताती है कि मुस्लिमों में शिक्षा को लेकर यह भरोसा ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से विधिवत रोज़गार पाने में मदद करेगी। सरकारी या निजी क्षेत्रों में मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व तथा वैतनिक नौकरियाँ पाने में पक्षपात की भावना के कारण मुस्लिमों में अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में विधिवत व्यावहारिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। इसका एक कारण प्रशासनिक, नीतिगत और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी कम मौजूदगी तथा उनके लिए अवसरों का अभाव भी है (सच्चर कमेटी, 2006)। वहीं प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका का कहना था कि उनके विद्यालय के मुस्लिम विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले हैं, यदि उन्हें विद्यालय में अध्ययन के साथ ही घर पर सकारात्मक वातावरण मिल जाए, तो वे निश्चित रूप से अच्छा सीख सकते हैं।

मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच सामंजस्य

प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के अध्यापक मकदूम से पूछा गया कि क्या मदरसों के मौलवी साहब आपके विद्यालय में आकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की रुचि, उपस्थिति, एकाग्रता आदि से संबंधित कोई वार्तालाप करते हैं? यह प्रश्न इसलिए किया गया कि प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के 95 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय व मदरसा दोनों

में अध्ययन करते हैं। अध्यापक से यह पूछा गया कि क्या आप लोग कभी मदरसा में जाकर मौलवी साहब से विद्यार्थियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। उनका उत्तर था कि मदरसों के मौलवी व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच कोई आपसी अंतर्संबंध व तालमेल सामान्यतया नहीं होता है।

यहाँ यह प्रश्न है कि यदि दोनों शिक्षा की इकाइयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य जहाँ अच्छा नागरिक बनाना है, तो इनमें इतना अलगाव क्यों है? यह सही है कि मदरसा व प्राथमिक विद्यालय दोनों के शैक्षिक लक्ष्यों में अंतर होता है, परंतु दोनों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एक ही हैं। अतः यहाँ यह चिंतन की बात है कि यदि गाँव में अध्यापक और मौलवी दोनों मिलकर विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन करें, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ व प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ दोनों का उद्देश्य केवल झंडा फहराना और मिष्ठान वितरण करना था। दोनों ही इस अवसर पर आज़ादी के मायने नहीं बताए गए। यदि मौलवी साहब व प्राथमिक विद्यालय दोनों आपस में समन्वय कर एक ही स्थान पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते तो शायद बच्चे ज़्यादा सीख पाते। मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व सरकारी विद्यालयों के गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों के बीच कैसी अंतर्क्रिया होती है? इसे जानने के लिए शिक्षिका से पूछा गया तो (प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा) उन्होंने बताया कि मदरसों के विद्यार्थियों का आपसी मतभेद सुलझ जाता है, लेकिन यदि मुस्लिम विद्यार्थियों का गैर-मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों से झगड़ा हो जाए, तो मुस्लिम अभिभावक तुरंत अपने पाल्यों का विद्यालय से नाम हटाकर मदरसों में पढ़ने की बात बोलते हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं यह द्विमार्गी व्यवस्था सकारात्मकता के साथ-साथ सामुदायिक प्रेम और सौहार्द में एक अड़चन की तरह भी कार्य करती है। जिसका प्रमुख कारण लोगों में भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता के प्रति सम्मान की भावना एवं समझ का अभाव है। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के अध्यापक से पूछने पर कि मुस्लिम समुदाय के बालकों को निजी या सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने पर अधिक शैक्षिक लाभ किसमें होगा? उनका उत्तर था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के बालकों को दोनों तरह के विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आधुनिक मदरसों के स्थान पर मस्जिद में चल रहे मदरसों को महत्व दिया। उनका मानना था कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मुस्लिम विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा अन्य समुदाय के विद्यार्थियों के साथ मिलनी चाहिए, इससे गैर-मुस्लिम वर्गों के साथ मुस्लिम समुदाय का संबंध अच्छा होगा व समाज में सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित होगा।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में शिक्षण करने वाले अध्यापकों की विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियाँ

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियों को बताते हुए कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रायः अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश इसलिए करवाना पसंद करते हैं क्योंकि सरकारी विद्यालय

में बच्चों को पहनने के लिए पोशाक, जूते, खाने के लिए भोजन, पुस्तकें इत्यादि नि:शुल्क में मिलती हैं। इस प्रकार इनका उद्देश्य यहाँ पर मिलने वाली शिक्षा से अधिक यहाँ मिलने वाले निःशुल्क संसाधनों को प्राप्त करना होता है। विद्यार्थियों की संख्या प्रायः उस दिन पूरी होती है, जिस दिन स्वेटर, पोशाक, जूते, छात्रवृति का वितरण होता है। अतः केवल विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाने वाली सामग्री प्राप्त करने की मानसिकता से ग्रसित अभिभावकों के पाल्यों को शिक्षित करना अपने आप में एक चुनौती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में आने वाली बाधाओं के रूप में प्रायः विद्यालय में पोशाक वितरण, जूते पर टैग लगाना, पुस्तक वितरित करना, रजिस्टर बनाना, मध्याह्न भोजन बनवाना, भोजन वितरण इत्यादि ऐसे मासिक व दैनिक कार्य हैं, जिनके प्रबंधन में अध्यापक का अधिकांश समय चला जाता है और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः शिक्षण कार्य और वितरण प्रबंधन में सामंजस्य करना एक चुनौती है।

शिक्षिका ने यह भी बताया कि अधिकांशतः ग्रामीण मुस्लिम समुदाय मदरसों की पढ़ाई के बाद बच्चों को छोटे-मोटे कार्य, दुकान पर बैठना, पेंचर बनाना आदि कार्य कराने से संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए सामान्य शिक्षा में आगे बढ़ना प्रथम प्राथमिकता नहीं होती है। मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में जोड़ना और उसमें बनाए रखना दूसरी चुनौती है। इसके अलावा विद्यालय, गाँव व सामाजिक वातावरण भी मुस्लिमों में जेंडर आधारित भेदभाव की शिक्षा को प्रेरित करने वाला दिखाई देता है। सिल्वरमैन (1988) व हॉल (1959) ने अपने शोध में यह बताया है कि विद्यालयी वातावरण किस प्रकार जेंडर जनित भेदभाव को बढ़ावा देता है। ब्रेइन्सटीन (1977) ने बताया कि घर में प्रयोग होने वाली भाषा व व्यवहार जेंडर आधारित भेदभाव को पैदा करते हैं। फ्रोम (1990) ने बताया कि सामाजिक चरित्र निर्माण में एक ही कारण ज़िम्मेदार नहीं होता है बल्कि विचारधारा जनित ऐतिहासिक विरासत में मिले परंपरागत मूल्य भी ज़िम्मेदार होते हैं।

मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों में तुलना

अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि मस्जिद में चल रहे मदरसों में मुस्लिम विद्यार्थी चटाई पर बैठ कर अध्ययन करते हैं। मौलाना साहब प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुलाकर एक सबक याद करने के लिए देते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी कुरआन शरीफ़ की आयतों को बोलकर व हिलकर रटते हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में बैठक व्यवस्था मस्जिद में चल रहे मदरसों जैसी ही थी। विद्यार्थी चटाई पर बैठकर अपनी-अपनी कक्षाओं में पुस्तकें पढ़ रहे थे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का अधिकांश बल सामूहिक शिक्षण पर था। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों पर ध्यान कम दिया जा रहा था। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ की प्रधानाध्यापिका की अध्यापन शैली विद्यार्थियों को व्यस्त रखने वाली थी। अध्यापक मिड डे मील के संचालन में व्यस्त थे। यह देखकर लगा कि एक तरफ बच्चे जहाँ मदरसों में मौलाना साहब की धार्मिक शिक्षा का सत्य सीखकर सबक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में शिक्षिका अच्छे बच्चों का पाठ पढ़ाकर मौन होकर सुनना सिखा रही हैं। जो बाल-केंद्रित शिक्षा के विपरीत है। जहाँ केवल अध्यापक ही सब कुछ कर रहा है और बच्चों की

सहभागिता नहीं है। अध्ययनरत विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी स्वयं उठकर प्रश्न नहीं कर रहा था। मदरसा में मौलाना साहब कक्षाओं में बड़े-बुजुर्गों का आदर, सम्मान आदि के संबंध में मूल्यपरक शिक्षा दे रहे थे। इस प्रकार मदरसों व प्राथमिक विद्यालय दोनों में ही शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित पाई गई। जिसमें बच्चों का स्वतंत्र चिंतन करना, तर्क करना, वैज्ञानिक सोच का विकास बाधित हो रहा है। बर्नस्टीन (1960) ने अपने शोध में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को सामाजिक व भाषाई आधार पर वर्णित किया है। उनके अनुसार विद्यालय के अध्यापक प्रायः एक मॉडलिंग सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनकी शिक्षण विधियाँ मुस्लिम बालिकाओं को संकीर्ण चरित्र में बाँधने वाली होती हैं। इनका विद्यालय या मदरसा प्रायः वह स्थान बन जाता है जो इन्हें केवल एक खास समुदाय या धर्म की पहचान कराते हुए सामाजीकरण करता है।

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा चयनित अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, शिक्षण प्रक्रिया और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक आयामों के अंतर्संबंधों की पड़ताल की गई। शोध परिणाम से एक बात स्पष्ट होती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में रुचि रखते हैं लेकिन साथ में मदरसे में प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा को भी अपने बच्चों को प्रदान कराना आवश्यक समझते हैं। जिसे वे अपनी धार्मिक अस्मिता की निर्मिति का हिस्सा समझते हैं। इसका एक प्रमुख कारण शोध में पाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी प्राथमिक शिक्षा की विषयवस्तु में अपने धार्मिक मूल्यों, भाषा, सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने से संबंधित पहलुओं का अभाव पाते हैं। जिससे उनमें प्राथमिक शिक्षा के महत्व एवं उसके प्रति लगाव का विकास नहीं हो पाता है। यह भी उनकी औपचारिक शिक्षा से दूर होने का कारण है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएँ, रूढ़ियाँ इत्यादि मिथकीय ज्ञान मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करते हैं।

विद्यालयी शिक्षा और मदरसा शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे दोनों शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में सीखने को लेकर किसी तरह का संघर्ष उत्पन्न न हो। अनौपचारिक मदरसा शिक्षा प्रणाली को औपचारिक शिक्षा संगठन के अंतर्गत संचालित करना चाहिए। जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के मूल्यों, मानकों, गतिविधियों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जिससे अलग-अलग वर्ग एवं समुदाय के लोगों के बीच किसी तरह की असुरक्षा की भावना का विकास न हो।

नीतिगत संदर्भ में, सामुदायिक जागरूकता तथा सामाजिक एवं धार्मिक चेतना पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे समाज में मदरसा शिक्षा और औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का विकास हो सके। ताकि हम अंतिम रूप से शिक्षा के माध्यम से समाज में समरसता एवं सद्भाव विकसित कर सकें।

मदरसों और स्कूली शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम एवं प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर

के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ, जिसमें विभिन्न समुदायों के बीच अंतर्क्रिया हो ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा उनमें मानवीय समाज का दृष्टिकोण विकसित हो।

संदर्भ

आरा, अरजुमंद. 2004. मदरसा एंड मेकिंग ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया. *इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

आलम,अरशद. 2003. अंडरस्टैंडिंग मदरसा. *इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

एसपीएमएम. *स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

गुप्ता, लतिका. 2008. 'ग्रोइंग अप हिन्दू एंड मुस्लिम— हाऊ अर्ली डस इट हैपन? *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLIII (6) 35–41.

———. 2015. एजुकेशन, पोवर्टी एंड जेंडर. *स्कूलिंग मुस्लिम गर्ल्स इन इण्डिया*. लंदन, न्यूयॉर्क, रूटलेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

डीवी, जॉन. 2008. *शिक्षा और लोकतंत्र*. ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली.

बर्नस्टीन, बी. 1959. ए पब्लिक लैंग्वेज— सम सोशियोलोजिक इम्पलिकेशन ऑफ ए लिंग्विस्टिक फोर्म. *ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशिलिजम*. पृष्ठ संख्या 311–26.

बर्मन. 2010. इण्डिया सोशल क्योश्चन इन स्टेट ऑफ डिनायल. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLV(23): पृष्ठ संख्या 42–69.

बसन्त. 2007. स्पेशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडिशन ऑफ इण्डियन मुस्लिम. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLII (10), पृष्ठ संख्या 828–32.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण. 2007. *मिनट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इलिमेंटेशन*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

श्रीनिवासन, एम.एन. 1960. *इण्डिया विलेज*. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बोम्बे.

सच्चर कमेटी. 2006. *भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति*. भारत सरकार.

सरस्वती, टी.एस. 1999. अडल्ट-चाइल्ड कन्टूयूनिटी इन इण्डिया— इज एडोलसेन्स ए मिथ ऑर एन इमरजिंग रियेल्टी. संपादन में टी.एस. सरस्वती. *कल्चर सोसिलाइजेशन एण्ड ह्यूमन डेवलमेंट*. सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

सिल्वरमैन, स्टाइवन बी. 1988. कन्टूयूनिटी/डिसकन्टूयूनिटी बिटवीन होम एंड अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इन्वायरमेंट. द *इलीमेन्टरी स्कूल जर्नल*. 89(2), पृष्ठ संख्या 146–59.

विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृति एवं समस्याएँ
एक अध्ययन

रश्मि कुमारी राजौरा*

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। इन्हीं सरोकारों को इतिहास विषय में सहजता से समावेश कर पढ़ाया जाता है। क्योंकि इतिहास दुनिया की भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन है। इसलिए शिक्षा के द्वारा ऐसे प्रयास होने चाहिए कि इतिहास विद्यार्थियों को विश्व में होते रहे बदलावों और निरंतरता की प्रक्रियाओं को खोज करने में सक्षम बनाए। क्योंकि इतिहास वर्तमान और भविष्य की नींव है। इतिहास विषय का अध्ययन विद्यार्थी को इतना सक्षम बनाता है कि वह अतीत और वर्तमान में अंतर स्पष्ट करने व उसमें सुधार करने के योग्य हों। इस शोध पत्र में शोध अध्ययन 'माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन' दिया गया है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों की इतिहास विषय के अध्ययन और अध्यापकों की इतिहास शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना था। इस शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक एवं मात्रात्मक और इसमें प्रतिदर्श के रूप में नई दिल्ली के दक्षिण एवं उत्तर जिले के माध्यमिक विद्यालयों का यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया तथा इन चयनित विद्यालयों से वर्ष 2020–21 में अध्ययनरत 100 विद्यार्थियों एवं कार्यरत 25 अध्यापकों का चयन किया गया। इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण के लिए स्व-निर्मित अभिवृत्ति मापनी एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इस शोध अध्ययन के परिणामों में पाया गया कि इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों और अध्यापकों की सकारात्मक अभिवृत्ति है, किंतु विद्यार्थियों में उपयुक्त सहायता एवं मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनमें इतिहास विषय की जागरूकता का अभाव है। अध्यापकों को इतिहास शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में भाग लेना चाहिए। साथ ही, शिक्षण के नए तरीकों व पद्धतियों को सीखना व कक्षा में अपनाना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखने में मदद मिले सके और उनमें विषय की समझ विकसित हो सके।

इतिहास हमारे संसार में घटित हुई घटनाओं एवं बदलावों से परिचित कराता है। इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? समाज कैसे विकसित हुआ? अतीत में ऐसे कौन-कौन से कार्य हुए जिनके द्वारा संसार में परिवर्तन आए? हम क्या और कौन थे? कहाँ से आए हैं? जीवन की

**कनिष्ठ परियोजना अध्येता*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

शुरुआत कैसे हुई? हम कहाँ रहते थे और अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे? आदि प्रश्नों के संभावित उत्तर या प्रमाण हमें इतिहास विषय के अध्ययन से मिलते हैं। इतिहास के द्वारा हम अपने अतीत से लेकर आज तक की घटनाओं एवं जानकारियों को कालक्रम के अनुसार भी अध्ययन करते हैं। परंतु वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा में पाठ्यपुस्तकों में कालक्रम के स्थान पर संकल्पना आधारित या 'थीम' आधारित विषयवस्तु रखी गई है।

इतिहास हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। इतिहास हमारे अतीत का ज्ञान है, इसमें मुख्यतः व्यक्तियों, समाज, सभ्यताओं, अतीत की समस्याओं एवं समाधानों, लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों तथा विविधताओं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है (सुमन, गौरव, और शर्मा, 2017)। हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उस परिवेश की आदत हो जाती है और हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसे ही रहती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा से वैसा नहीं था, जैसे हमें आज दिखता है। इतिहास के आधार पर हम अनुसंधान एवं व्याख्या कर सकते हैं कि किसी घटना का अतीत में क्या प्रभाव पड़ा था, जो हमें वर्तमान में लगभग वैसे ही स्थितियों में निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। साथ ही, यह भविष्य को आकार देने में भी सहायक होगी? इतिहास हमें सिखाता है कि जो गलतियाँ अतीत में हो चुकी हैं वह दोबारा न दोहराई जाएँ। साथ ही, उन गलतियों से सीख कर समाज और सभ्यता में सुधार किए जाएँ। इसलिए इतिहास विषय का अध्ययन विद्यार्थी को इतना सक्षम बनाता है कि वह अतीत और वर्तमान में अंतर स्पष्ट कर सके व उसमें सुधार कर सके।

इतिहास का अध्ययन करने पर पाठकों को यह समझने में मदद मिलती है कि इतिहासकार प्राचीन समय के लोगों द्वारा छोड़े गए अवशेषों, सुरागों और चिह्नों का अध्ययन कर तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। अतीत का हर अवशेष, जैसे— पत्थर के औज़ार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री, चित्र, आभूषण, उपकरण, अभिलेख, सिक्के, इमारतें, मूर्तियाँ और बरतन हमें प्राचीन समय की विरासत के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही हमें इतिहास से सिर्फ़ राजा-रानियों, विजय-पराजय, नीतियों के बारे में ही नहीं बल्कि शिकारियों, कृषकों, शिल्पकारों, व्यापारियों, संतों, धर्मों, आग का आविष्कार, लोहे जैसे अन्य धातुओं के आविष्कारों, तीर्थ यात्रियों, विश्वासों, स्त्रियों एवं पुरुषों के क्रियाकलापों आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

इतिहास केवल एक विषय ही नहीं बल्कि कई विषयों का समावेश है। कुछ इतिहासकार इतिहास को सभी विषयों की आत्मा भी कहते हैं। इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, साहित्य, कला, पुरातत्व, निर्णयशास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान आदि विषयों की विषयवस्तु को समेकित करता है (ज्योति, 2017 तथा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005*)। सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली समझने में सहायता करता है। ये हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है।

इतिहास मनुष्य को अतीत व वर्तमान का ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही, यह भविष्य निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में भी सहायक है। अतीत की घटनाओं, उपलब्धियों, सफलता-विफलता, उत्कर्ष-अपकर्ष आदि का अध्ययन करके वर्तमान

से सकारात्मक संबंध जोड़कर और भविष्य पर दृष्टि रखकर अनुभवों के आधार पर पूर्वानुमान करने का विषय तथा जीवन के परिवर्तन, अतीत की घटनाओं और विकास के कारकों की जानकारी उपलब्ध कराने वाला शास्त्र ही इतिहास कहलाता है। यह एक ऐसा विषय है जो समाज, सभ्यता, संस्कृति, संस्थाओं और राष्ट्रों का सटीक ज्ञान प्रदान करता है।

इतिहास विषय को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं। आज अधिकतर विद्यार्थी इतिहास विषय के अध्ययन में अरुचि व्यक्त करते हैं। इस अरुचि का कारण विषयवस्तु को रोचक ढंग से पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण-अधिगम में प्रस्तुत न करना है। चिंता का एक विषय यह भी है कि विद्यार्थी इस विषय को समझने के बजाय रटने पर अधिक ध्यान देते हैं। इस विषय में उन्हें तिथियाँ याद करने में परेशानी आती है और वे सोचते हैं कि अतीत के बारे में जानकर क्या करेंगे? केवल कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं और हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि समाज में बदलाव कैसे आए? और पाते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है।

लोग तथ्यों से या अतीत से जुड़ी बातों को समझने या जानने के लिए यह खोजने की कोशिश करें कि वास्तविक घटना कैसे घटित हुई? आज हम यहाँ कैसे पहुँचे? हमने अपने आप को वायुयान में या उपग्रहों को ऊपर उड़ाने का प्रबंध कैसे किया? लोगों के बीच सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद वे अनेक भाषाएँ कैसे बोल रहे हैं? जो इतिहास के अध्ययन को रोचक बनाता है। इतिहास ऐतिहासिक मानवीय अनुभवों पर आधारित एक रचनात्मक, समूह एवं तथ्यों से भरपूर सामग्री प्रस्तुत करता है और अतीत की घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शित करता है (मैथ्यूज़, एस., 2016)।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने इतिहास विषय के महत्व को समझकर अपने प्रतिवेदन में लिखा कि माध्यमिक स्तर पर यथासंभव विश्व इतिहास के संदर्भ में भारत के इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए अर्थात भारतीय इतिहास को अलग से न पढ़ाकर विश्व के अन्य क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि मानवीय एवं राष्ट्रीय विरासत को समझने के लिए विद्यार्थियों को इतिहास का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। इतिहास विषय के अध्ययन से बालकों को स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। जिससे वे अपने देश के स्थानीय स्तर के इतिहास को जानते हुए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के इतिहास को समझ पाते हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के अनुसार इतिहास को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि उसके माध्यम से विद्यार्थियों में अपने विश्व के बारे में बेहतर समझ विकसित हो और वे अपनी उस पहचान को भी समझ सकें जो समृद्ध तथा विविध अतीत का हिस्सा रही है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि इतिहास, विद्यार्थियों को विश्व में हो रहे निरंतर बदलावों और निरंतरता की प्रक्रियाओं की खोज में सक्षम बना पाए और वे यह तुलना भी कर सकें कि सत्ता और नियंत्रण के क्या तरीके थे? और आज क्या है? इतिहास में भारत के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले विकास पर ध्यान दिया जाए, जिसमें विश्व के अन्य भागों में हो रहे विकास के भी खंड हों। (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृष्ठ संख्या 59–60)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के द्वारा मूल्यों एवं चरित्र निर्माण के विकास पर विशेष महत्व दिया गया है। यह नीति प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा विद्यालय के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊँचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनी, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया।

इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे— गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ़ संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए तथा नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। इस प्रकार, अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के साथ शिक्षार्थी एवं शिक्षकों को मूल्य एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बढ़ावा देना होगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ संख्या 4–5)।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं सार्थकता

कई शोध अध्ययनों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति और प्रभावी रूप से इतिहास को पढ़ाने के तरीकों को बताया गया है। स्ट्रॉस, वी. (2017) ने बताया कि ऐतिहासिक ज्ञान इक्कीसवीं सदी के लिए शक्तिशाली मुद्दा है, इतिहास का अध्ययन साक्षरता और संवेदनशीलता को विकसित करता है। एकेंगिन, एच. और सेंडेक, एमई. (2017) ने अपने शोध में पाया कि इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों की सकारात्मक सोच है। इतिहास सीखने से उनके जीवन में योगदान मिलेगा, क्योंकि इतिहास विषय अतीत की घटनाओं से संबंधित है। इतिहास पढ़ाने में अध्यापक पारंपरिक तरीकों, जैसे— प्रश्न-उत्तर विधि और व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। वे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाली विधियों का उपयोग नहीं करते हैं।

अध्यापकों को पाठ से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व-ज्ञान, सामग्री संप्रेषित करने के निर्देशात्मक तरीकों और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री, विद्यार्थियों को इतिहास समझाने व पढ़ाने में एक प्रभावी उपकरण का कार्य करती है (बोडु, जी., 2015)। इसलिए अध्यापक जब तक

कक्षा में, मनोरंजक गतिविधियाँ करते हैं तब तक विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। (एकेंगिन, एच. और सेंडेक, एमई., 2017)।

अधिभारित पाठ्यक्रम, अपर्याप्त मानव और भौतिक संसाधन, विषय के लिए समर्थन की कमी और कक्षाओं में विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या इतिहास के शिक्षण की प्रमुख समस्याएँ हैं (बोड्डु, जी., 2016)। अध्यापक इतिहास शिक्षण के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता, सहायक सामग्री में कमी, स्कूल के पुस्तकालय में पर्याप्त किताबों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त समय और प्रेरणा की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं (डिक्लेमेंटे, एम., 2014)। तकनीकी उपकरणों, जैसे— कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट और ऑडियो-विजुअल को इतिहास शिक्षण में नियोजित करके विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। क्योंकि अध्यापकों की इतिहास शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सकारात्मक धारणा पाई गई (बोड्डु, जी. और अन्य, 2014)।

इतिहास तथ्यों को एकत्र करने और उनमें सहसंबंध स्थापित करने की क्षमता विकसित करता है, क्योंकि वर्तमान, अतीत का परिणाम है। इस प्रकार, पूरे मानव जीवन का प्रतिनिधित्व इतिहास द्वारा ही किया जाता है (लिंगदोह और अन्य, 2011)। अधिकांश विद्यार्थी इतिहास सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए पाठ्यचर्या निर्माता तथा अध्यापकों को भी विचार करना होगा कि इतिहास शिक्षण की प्रभावी विधियों और गतिविधियों को पाठ्यक्रम और पाठ योजनाओं में कैसे सम्मिलित किया जाए? (नरसिंगप्पा और अन्य, 2016)।

कुछ शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि बड़े पैमाने पर विद्यार्थी इतिहास विषय के प्रति उदासीन हैं और वे सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। जिसका कारण वे विभिन्न स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था न होना मानते हैं। इसके अलावा इतिहास से जुड़ी प्रवृत्तियों, जैसे— क्या इतिहास विषय केवल पुरानी घटनाओं के बारे में ही बताता है? इसलिए विद्यार्थी ऊब जाते हैं? या क्या अधिकतर विद्यार्थियों की इतिहास विषय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है? या इसके अन्य कोई कारण भी हैं। यह शोध पत्र इन्हीं कारणों पर आधारित शोध अध्ययन पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति एवं समस्याओं का अध्ययन कर उचित समाधान बताना है।

समस्या कथन

विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृति एवं समस्याएँ— एक अध्ययन

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

अभिवृत्ति

इस अध्ययन में अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं से है, जो उसकी विशेषताओं या अभिलक्षणों को दर्शाती है। यह ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, घटनाओं, वस्तुओं आदि का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा किए जा रहे या किए गए कार्य एवं व्यवहार के ढंग/तरीके से उसकी प्रवृत्ति, मत, विचार आदि का पता चलता है।

शोध उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य थे—

1. इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों की इतिहास विषय के अध्ययन और अध्यापकों की इतिहास शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध विधि

इस शोध अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक थी, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्य संकलित कर अध्ययन किया गया था। इस शोध अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में नई दिल्ली के दक्षिण एवं उत्तर जिले के माध्यमिक विद्यालयों का यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया था तथा इन चयनित विद्यालयों से वर्ष 2020–21 में अध्ययनरत 100 विद्यार्थियों एवं कार्यरत 25 अध्यापकों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए स्व-निर्मित अभिवृत्ति मापनी एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया था।

प्रदत्तों का विश्लेषण

इस शोध अध्ययन हेतु संकलित तथ्यों का विश्लेषण आवृत्ति और प्रतिशत विधि द्वारा किया गया था।

परिणामों की व्याख्या

उद्देश्य 1— (क) इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति के मापन हेतु स्व-निर्मित अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया था। यह मापनी पाँच आयामों (प्रभावशीलता, अनुदेशात्मक विधियाँ, संसाधनों की उपलब्धता, अभिप्रेरणा तथा रोज़गार परिप्रेक्ष्य) पर आधारित थी। इस मापनी में 10 पद सकारात्मक और 10 पद

तालिका 1— विद्यार्थियों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति के पाँच आयामों पर प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण

कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिर्णित	असहमत	पूर्णत: असहमत
क . प्रभावशीलता					
क1. मुझे इतिहास विषय पसंद है, क्योंकि इसे पढ़ना रुचिकर है।	11%	68%	1%	12%	8%
क2. हमें घटनाओं की बहुत-सी तिथियों को याद रखना पड़ता है, जो इतिहास को एक बोझिल विषय बनाता है।	8%	53%	0	33%	6%
क3. इतिहास विषय वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है।	15%	77%	0	7%	1%
क4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में भी इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है।	15%	74%	0	10%	1%

ख. अनुदेशात्मक विधियाँ					
ख1. मुझे इतिहास विषय पसंद है क्योंकि अध्यापक हमें इसे कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं।	12%	69%	0	16%	3%
ख2. इतिहास विषय के अध्यापक उत्साह के साथ विषय को पढ़ाने की बजाय समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ज़ोर देते हैं।	13%	60%	3%	20%	4%
ख3. मुझे वीडियो क्लिपिंग या वृत्तचित्र के द्वारा पढ़ाने से इतिहास विषय का अध्ययन करना पसंद है।	15%	75%	1%	9%	0
ख4. इतिहास विषय की स्पष्टता नवीन पद्धतियों पर निर्भर होती है।	9%	72%	5%	11%	3%
ग. संसाधनों की उपलब्धता					
ग1. इतिहास विषय से संबंधित सभी जानकारी निःशुल्क यूट्यूब और गूगल पर उपलब्ध होती है।	11%	79%	2%	8%	0%
ग2. इतिहास विषय में विद्यार्थियों की अरुचि का मुख्य कारण विषय का विस्तृत रूप होना है।	12%	64%	5%	16%	3%
ग3. मुझे इतिहास विषय का अध्ययन करना अच्छा लगता है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकार के चित्रों के साथ उल्लेख दिया गया है।	12%	66%	3%	16%	3%
ग4. विद्यालय के पुस्तकालय में इतिहास की अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं।	12%	73%	4%	11%	0
घ. अभिप्रेरणा					
घ1. इतिहास विषय प्रोत्साहित करता है कि अतीत में होने वाली घटनाओं और गलतियों से हम भविष्य के लिए सीखें।	16%	75%	0	7%	2%
घ2. इतिहास में कम अंकों की प्राप्ति विद्यार्थी को हतोत्साहित करती है।	15%	60%	0	15%	10%
घ3. इतिहास विषय का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र भ्रमण विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उन्हें उत्साहित करता है।	15%	75%	0	8%	2%
घ4. इतिहास विषय के प्रति अध्यापकों का नकारात्मक व्यवहार विद्यार्थियों के मनोबल को कम करता है।	13%	69%	2%	11%	5%
ड. रोज़गार परिप्रेक्ष्य					
ड.1. इतिहास विषय में उपाधि लेकर माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक बनने हेतु इतिहास विषय में अपनी रुचि साझा करते हैं।	16%	68%	6%	10%	0

ड.2. इतिहास विषय के अध्यापक विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में आसानी से उपलब्ध होते हैं।	11%	64%	4%	21%	0
ड.3. हम भविष्य में इतिहास (अध्यापक, पर्यटक मार्गदर्शक, पुरालेखपाल, संग्रहालय का निरीक्षक आदि) के क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे।		70%	0	16%	2%
ड.4. विद्यार्थियों को इतिहास विषय से संबंधित व्यवसाय व रोज़गार के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है।	12%	55%	7%	26%	0

नकारात्मक थे। विद्यार्थियों को प्रत्येक पद में पाँच स्तरों पूर्णत: सहमत, सहमत, अनिर्णित, असहमत तथा पूर्णत: असहमत में से किसी एक स्तर का चयन करना था। इन स्तरों का सकारात्मक पदों के लिए मान 5, 4, 3, 2 एवं 1 तथा नकारात्मक पदों के लिए मान 1, 2, 3, 4 एवं 5 था।

तालिका 1 में दिए गए आँकड़ों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना यह है कि इतिहास विषय पढ़ना रुचिकर है, क्योंकि उसमें अतीत की घटनाएँ शामिल होती हैं, जिसके द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही, अतीत की जानकारी से हम अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुधार सकते हैं। इतिहास विषय से संबंधित जानकारी नि:शुल्क यूट्यूब, इंटरनेट, ई-लाइब्रेरी पर उपलब्ध होती है। इतिहास विषय हमें प्रोत्साहित करता है कि अतीत में होने वाली घटनाओं और गलतियों से भविष्य के लिए सीखें। इतिहास विषय से संबंधित व्यवसाय में रोज़गार के बारे में भी विद्यार्थियों को कम जानकारी होती है। हालाँकि वर्तमान युग में इतिहास विषय का अधिक महत्व है, इस विषय में उपाधि लेकर विद्यार्थी, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक, पर्यटक, मार्गदर्शक, पुरालेखपाल, संग्रहालय का निरीक्षक आदि के रूप में अपनी-अपनी आजीविका का चयन कर सकता है (एकेंगिन,एच. और सेंडेक, एमई, 2017)। इतिहास विषय के अंतर्गत विद्यार्थी युद्ध, साम्राज्य आदि के बारे में पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। 39 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया है कि वे इतिहास विषय पढ़ने में रुचि रखते हैं क्योंकि उसमें पुरानी कहानियाँ होती हैं, जो विषय को रुचिकर और आसान बनाती हैं। 61 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि इतिहास विषय में साम्राज्य, शासकों, सभ्यताओं तथा तिथियों आदि को क्रम में याद रखना पड़ता है, जो उसे एक बोझिल और कठिन विषय बनाती है। साथ ही, विद्यार्थियों का मानना है कि इसमें पुरानी घटित घटनाओं की तिथियों के बारे में पढ़ना पड़ता है।

बानवे प्रतिशत विद्यार्थियों का यह भी मानना है कि इतिहास विषय वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है, अगर अध्यापक इतिहास विषय को कहानी, वीडियो क्लिपिंग, वृत्तचित्र आदि के द्वारा पढ़ाएँ तो इतिहास विषय पढ़ना अधिक रुचिकर होगा। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि इतिहास विषय के अधिकतर अध्यापक विषय के विस्तृत रूप के कारण पढ़ाने की बजाय पाठ्यक्रम को पूरा कराने पर ज़ोर देते हैं। 76 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि इतिहास विषय का विस्तृत रूप विद्यार्थियों की अरुचि का मुख्य कारण हो सकता है और इतिहास विषय में कम अंकों की प्राप्ति भी विद्यार्थियों को हतोत्साहित करती है। 18 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि वे भविष्य में इतिहास के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करेंगे। 90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि क्षेत्र यात्राएँ, कहानी-कथन

विधि, दृश्य सहायता और अन्य ग्राफिक विधियों से इतिहास शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है।

उद्देश्य 1— ख. इतिहास विषय के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति के मापन हेतु स्व-निर्मित अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया था। यह मापनी पाँच आयामों (आत्म-प्रभावशीलता, पेशेवर सहयोग और सहभाजन, शिक्षण अनुभव, शिक्षणशास्त्र विधियाँ और लचीलापन) पर आधारित थी। इस मापनी में 10 पद सकारात्मक और 10 पद नकारात्मक थे। अध्यापकों को प्रत्येक पद में पाँच स्तरों पूर्णत: सहमत, सहमत, अनिर्णित, असहमत तथा पूर्णत: असहमत में से किसी एक स्तर का चयन करना था। इन स्तरों का सकारात्मक पदों के लिए मान 5, 4, 3, 2 एवं 1 तथा नकारात्मक पदों के लिए मान 1, 2, 3, 4 एवं 5 था।

तालिका 2— अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृत्ति के पाँच आयामों पर प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण

कथन	पूर्णत: सहमत	सहमत	अनिर्णित	असहमत	पूर्णत: असहमत
क. आत्म-प्रभावशीलता					
क1. मैं अपनी इतिहास की कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए नए-नए तरीकों और नवीन पद्धतियों का प्रयोग करता/करती हूँ।	10 %	80 %	0	10 %	0
क2. मेरे पास इतिहास विषय का पर्याप्त ज्ञान और कौशल है जो मैं अपने पेशे में बहुत आसानी से अपनाता/अपनाती हूँ।	0	100 %	0	0	0
क3. मैं इतिहास विषय के शिक्षण में निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम पूरा कराने हेतु पारंपरिक तरीकों का ज़्यादा प्रयोग करता/करती हूँ।	0	90 %	0	10 %	0
क4. मैं जानता/जानती हूँ कि अपने पेशे में प्रभावी रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों को कैसे संभाला जा सकता है।	20 %	80 %	0	0	0
ख. पेशेवर सहयोग और सहभाजन					
ख1. मैं समय-समय पर होने वाली कार्यशालाओं से जानकारी एकत्रित करके उनका प्रयोग इतिहास कक्षा में करता/करती हूँ।	20 %	50 %	10 %	20 %	0
ख2. मैं अपने इतिहास विषय से संबंधित विचारों को सहयोगियों के साथ साझा करता/करती हूँ।	0	80 %	0	20 %	0
ख3. मैं इतिहास विषय से संबंधित होने वाली कार्यशालाओं और सेमिनारों में सहभागिता करता/करती हूँ।	20 %	60 %	0	20 %	0

ख4. मैं इतिहास विषय की कक्षा की समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना उचित समझता/समझती हूँ।	10 %	70 %	0	20 %	0
ग. शिक्षण अनुभव					
ग1. मैं अपने शिक्षण अनुभवों द्वारा वर्तमान और भविष्य में शिक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश करता/करती हूँ।	10 %	70 %	0	10 %	10 %
ग2. अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए सामान्यत: अनुशासित कक्षा का होना आवश्यक है।	10 %	50 %	20 %	0	20 %
ग3. मैं अपने इतिहास शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों एवं अनुसंधान विधियों का निरंतर अध्ययन और सहायक सामग्री का उपयोग करता/करती हूँ।	10 %	60 %	0	10 %	20 %
ग4 . मेरे अनुभवों के अनुसार विभिन्न प्रांतों से आने वाले विद्यार्थियों को एक ही भाषा में शिक्षण देना उचित है।	10 %	40 %	10 %	30 %	10 %
घ. शिक्षणशास्त्र विधियाँ					
घ1. इतिहास विषय के सभी अध्यापकों को इतिहास से संबंधित नवीन अनुसंधानों से परिचित होना चाहिए।	20 %	70 %	0	10 %	0
घ2. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है या जो जल्दी सीख जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं अलग-अलग गतिविधि व कार्य देता/देती हूँ।	30 %	50 %	10 %	10 %	0
घ3. मैं अपनी इतिहास की कक्षा में विद्यार्थियों को विषय/पाठ की विस्तृत जानकारी साझा करता/करती हूँ।	10 %	90 %	0	0	0
घ4. मैं विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बाधा डालने के कारण अधिक समय व्यर्थ कर देता/कर देती हूँ।	0	30 %	0	60 %	10 %
ङ लचीलापन					
ङ1. मैं इतिहास की कक्षा में अतीत की घटनाओं को वर्तमान और अपने अनुभवों से जोड़कर विद्यार्थियों को उनके विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित/अवसर प्रदान करता/करती हूँ।	20 %	60 %	0	10 %	10 %
ङ2. विद्यार्थियों द्वारा सीखने के प्रतिफल प्राप्त न करने पर उन्हें सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने तक निरंतर प्रशिक्षण करती हूँ/करता हूँ।	10 %	40 %	10 %	40 %	0
ङ3. मैं अपनी इतिहास विषय की कक्षा में पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता/रहती हूँ।	0	90 %	0	10 %	0
ङ4. किसी भी परिस्थिति में, मैं अपने सिद्धांतों से हटकर विद्यार्थी को पढ़ाना पसंद नहीं करती/करता हूँ।	10 %	60 %	10 %	20 %	0

तालिका 2 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 90 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि वे अपनी इतिहास की कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए नए-नए तरीकों, जैसे— समूह-चर्चा, फील्ड विजिट, ई-सामग्री आदि तथा विद्यार्थियों की सहभागिता-आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। वहीं उन्होंने विरोधाभासी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे इतिहास शिक्षण में पारंपरिक तरीकों, जैसे— व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इतिहास विषय के कई खंड हैं और प्रत्येक को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में विस्तृत रूप से पढ़ाना संभव नहीं है, जो अध्यापकों की इतिहास विषय के शिक्षण के प्रति द्वंद्वात्मक स्थिति को दर्शाता है। 60 प्रतिशत अध्यापक अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अनुशासित कक्षा का होना आवश्यक समझते हैं और 70 प्रतिशत अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को बाधा और उन पर समय व्यर्थ करना समझते हैं। जिसके कारण विद्यार्थी कई बार अपनी समस्याओं को अध्यापक से साझा नहीं कर पाते हैं और गलतियाँ करते हैं। क्योंकि कक्षा का अनुशासित होना विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को नहीं दर्शाता है। जब विद्यार्थियों की समस्याओं का हल नहीं किया जाता है, तो वह गलतियाँ करते हैं और उन्हें दोहराते हैं इसलिए उन्हें यह विषय कठिन और उबाऊ लगने लगता है। 80 प्रतिशत अध्यापक इतिहास विषय की घटनाओं को वर्तमान और अपने अनुभवों से जोड़कर कक्षा में पढ़ाते हैं, जिससे विद्यार्थी घटनाओं में रुचि लेकर विषय को समझते व पढ़ते हैं एवं अपने विचार भी प्रकट करते हैं। 80 प्रतिशत अध्यापक इतिहास विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों में सहभागिता करते हैं और कक्षा में पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। अध्यापकों द्वारा निरंतर अपने आप को अद्यतन रखने के लिए पेशेवर विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की जाती है। ताकि इतिहास विषय के शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सके। 70 प्रतिशत अध्यापक इतिहास शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए विषयवस्तु को नए तरीकों एवं तकनीकों से पढ़ाते हैं।

उद्देश्य 2—अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य इतिहास विषय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन

अध्यापक और विद्यार्थियों से इतिहास विषय के शिक्षण-अधिगम से जुड़ी समस्याओं पर साक्षात्कार लिया गया था। इस साक्षात्कार द्वारा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है—

अध्यापक

साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी में 50 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि विद्यार्थियों को विश्व का इतिहास पढ़ने, समझने एवं याद करने में मुश्किल आती है। साथ ही, इतिहास शिक्षण में साम्राज्यों के नाम व सभ्यताएँ, युद्ध, क्रांतियाँ आदि के बारे में रटना पड़ता है। विद्यार्थी तिथियों को रटने से भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वे तिथियों को रटने की बजाय घटनाओं की बुनियाद को याद करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, जैसे— अपने साथियों के जन्मदिन या किसी यादगार तिथि से जोड़कर ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हैं। 70 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि इतिहास

विषय में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते समय कई कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे— विद्यार्थियों को इतिहास की घटनाएँ याद न होना एवं मनगढ़ंत कहानियाँ बना कर लिखना, मानचित्र को समझ कर न भरना आदि। क्योंकि इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में सटीक उत्तर ही लिखा जा सकता है। 70 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि विद्यालय में इतिहास शिक्षण हेतु कोई भी सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं है तथा सहायक सामग्री बनाने में उन्हें अधिक समय लगता है। फिर भी, उनका मानना था कि सहायक सामग्री द्वारा शिक्षण एक प्रभावी तरीका है, जो विद्यार्थियों में रुचि, एकाग्रता, अभिप्रेरणा, उत्साह आदि विकसित करता है। 60 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण में विद्यार्थियों के पास इंटरनेट न होना व बिजली की उपलब्धता में कमी, तकनीकी संसाधनों की कमी आदि का सामना करना पड़ा।

विद्यार्थी

विद्यार्थियों से साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर 52 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि इतिहास विषय में अतीत की घटनाएँ याद रखनी पड़ती हैं जो इतिहास विषय को उबाऊ और कठिन विषय बनाती हैं। किताबों की भाषा भी कठिन होती है और उनमें चित्र स्पष्ट और रंगीन नहीं होते हैं। इतिहास के विस्तृत रूप के कारण कभी-कभी पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है।

अठाइस प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि इतिहास विषय की कक्षा में अध्यापकों द्वारा हस्तलिखित नोट्स प्रदान किए जाते हैं तथा शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि 64 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि अध्यापक किताबों में विषयवस्तु को हाईलाइट कर देते हैं और फोटोकापी की गई अध्ययन सामग्री से शिक्षण-अधिगम करते हैं। अध्यापकों का सहायक सामग्री द्वारा न पढ़ाना व पर्याप्त मात्रा में सहायक सामग्री उपलब्ध न होना इतिहास विषय को एक कठिन विषय बनाता है। कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि इतिहास विषय में आकलन के पश्चात अध्यापकों द्वारा कक्षा में चर्चा नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी पुनः समान गलतियाँ दोहराते हैं। विद्यालयों में सामान्यत: इतिहास के कालांश दोपहर या दोपहर के पश्चात होते हैं, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि नहीं रहती है। अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि सुबह के समय इतिहास विषय का कालांश ज़्यादा उचित होता है क्योंकि सुबह के समय अच्छा समझ आता है। उन्होंने बताया कि अध्यापक इतिहास शिक्षण हेतु व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग करते हैं। जिसके कारण वे कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 60 प्रतिशत विद्यार्थियों का कहना है कि जब अध्यापक उन्हें प्रौद्योगिकी संसाधनों या सहायक सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणवत्ता हेतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन देने एवं अंगीकृत करने पर बल दिया है। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय की ओर से हमें शैक्षिक भ्रमण हेतु संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों आदि पर नहीं ले जाया जाता है। यदि विद्यालयों द्वारा यह प्रयास किया जाए तो हम स्थलों को देखकर व समझकर उससे जुड़ी

जानकारी को लंबी अवधि तक याद रख सकते हैं या पुरानी वस्तुओं के आधार पर वर्तमान और अतीत में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास विषय के प्रति विद्यार्थियों और अध्यापकों की सकारात्मक अभिवृत्ति है, किंतु विद्यार्थियों को उपयुक्त सहायता एवं मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनमें जागरूकता का अभाव है। निष्कर्ष के रूप में यह भी ज्ञात हुआ कि इतिहास विषय का व्यापक स्वरूप भी विद्यार्थियों को ऊबाऊ बनाता है। विद्यार्थी इतिहास विषय में साम्राज्यों, सभ्यताओं व युद्ध क्रांतियों आदि के बारे में पढ़ने व याद रखने के बजाय उन्हें रटते हैं। इस कारण वे परीक्षा में मनगढ़ंत कहानियाँ लिखते हैं, जिसके कारण अध्यापकों को आकलन में समस्या आती है। साथ ही, इतिहास विषय के अधिकांश अध्यापक इतिहास विषय के शिक्षण को रोचक बनाने हेतु अधिक प्रयास करते हैं। अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, वे क्षेत्र भ्रमण, संग्रहालय दर्शन, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण आदि का भी आयोजन करते हैं। वे विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान के आधार पर इतिहास की घटनाओं को अनुभवों से जोड़कर पढ़ाते हैं ताकि विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि विकसित हो सके। साथ ही, विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष के रूप में इतिहास विषय के अध्ययन का एक पक्ष यह भी पाया गया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या संस्थान में प्रवेश की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी इस विषय के प्रति अधिक रुचि व्यक्त करते हैं। इतिहास विषय को रुचिकर बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सहभागिता आधारित शिक्षण-अधिगम कराया जाने लगा है। किंतु कुछ अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को किसी विषय में संशय होने पर दोबारा न समझाना तथा कम अंकों की प्राप्ति, उन्हें हतोत्साहित करती है। इसके अलावा, अध्यापकों द्वारा इतिहास विषय के व्यापक स्वरूप के कारण तथा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम समाप्त करने हेतु समझाने की बजाए पाठ्यक्रम को पूरा कराने पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं—

- विद्यार्थियों को इतिहास विषय की घटनाओं को रटकर नहीं, बल्कि दैनिक जीवन से जोड़कर तथा कहानी के रूप में समझाकर पढ़ाना एवं पढ़ना चाहिए।
- इतिहास विषय से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी नि:शुल्क यू-ट्यूब और गूगल पर उपलब्ध हैं। साथ ही विद्यार्थियों को इतिहास विषय को विश्वसनीय स्रोतों से पढ़ना चाहिए। ताकि उन्हें सार्थक व स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
- अध्यापकों को अपने अनुभवों और विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान एवं अनुभवों से जोड़कर पाठ पढ़ाने चाहिए। ताकि विद्यार्थियों को विषय या घटनाओं को रटने पर नहीं बल्कि अपने अनुभवों से जोड़कर एवं समझकर याद रखने में सहायता मिले।

- अध्यापकों को इतिहास विषय को उचित व अच्छी तरह से विद्यार्थियों को समझने में सक्षम बनाने हेतु इतिहास शिक्षण में कहानी कथन विधि, सहायक सामग्री, यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, वीडियो क्लिपिंग, क्षेत्र भ्रमण, दृश्य सहायता आदि का उपयोग करना चाहिए।
- अध्यापकों को कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में भाग लेना चाहिए। शिक्षण के लिए नए तरीकों व पद्धतियों को सीखना व कक्षा में अपनाना चाहिए। जिससे विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान सक्रिय रखने में मदद मिले और उनमें विषय की समझ विकसित हो।
- अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को इतिहास विषय से संबंधित व्यवसायों या पेशों के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ताकि विद्यार्थी इतिहास विषय का अध्ययन कर अपने व्यवसाय एवं रोज़गार का उपयुक्त चयन कर सकें।
- इतिहास विषय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी इतिहास विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रशासनिक सेवाओं में भी विद्यार्थी इतिहास विषय का अध्ययन कर योगदान दे रहे हैं और लोक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग, पर्यटन, अभिलेखागार, संस्कृति विभाग आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ इतिहास का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। प्रशासनिक क्षेत्र में मानवीय तथा सामाजिक समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने में इतिहास सार्थक योगदान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इतिहास की अत्यंत उपयोगिता है। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त इतिहास का विद्यार्थी प्राध्यापक, पुस्तकालय, संग्रहालय, पत्रकारिता तथा पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर सेवाएँ करने का अवसर पाता है।

संदर्भ

एकेंगिन, एच., और एमई. सेंडेक. 2017. ए स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स ओपिनियन्स अबाउट हिस्ट्री सब्जेक्ट्स इन द सोशल स्टडीज करिकुलम. *जर्नल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट स्टडीज*. वॉल्यूम 7 (10), पृष्ठ संख्या 1347–1353. 24 जून, 2021 को 59967dc529bf8.pdf से पुन: प्राप्त किया गया.

ज्योति, एम. 2017. उच्च श्रेणी के संबंध में अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च*. 4(15), https://journals.pen2print.org/index.php/ijr/article/view/12197/11517 से पुन: प्राप्त किया गया.

डिक्लेमेंटे, एम. 2014. *ऐतिहासिक सोच— माध्यमिक शिक्षा कक्षा में इतिहास शिक्षण पर परिप्रेक्ष्य*. 15 अप्रैल 2021 को https://scholarworks.umb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=gc से पुन: प्राप्त किया गया.

नरसिंगप्पा, एच.एन. और एन. लक्ष्मी. 2016. कर्नाटक के हसन जिले में इतिहास विषय के अध्ययन के लिए हाई स्कूल के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण पर एक अध्ययन. *सूचनात्मक और भविष्य अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल*. खंड 3, 11, पृष्ठ संख्या 3981–3988.

बोडु, जी. 2015. इतिहास में प्रभावी शिक्षण— कला और सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग में इतिहास विद्यार्थी-अध्यापकों के परिप्रेक्ष्य. *मानविकी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल.* वॉल्यूम 3(1), पृष्ठ संख्या 38–51. केप कोस्ट विश्वविद्यालय, घाना. जून, 2021 को https://www.researchgate.net/publication/279537543.pdf से पुन: प्राप्त किया गया.

———. 2016. वरिष्ठ उच्च विद्यालयों में इतिहास के शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में अध्यापकों की धारणा. *कला और मानविकी के जर्नल.* वॉल्यूम 5, पृष्ठ संख्या 38–48. जून, 2021 को https://www.researchgate.net/publication /305501536 से पुन: प्राप्त किया गया.

बोडु और अन्य. 2014. इतिहास के शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग की एक परीक्षा— केप कोस्ट मेट्रोपोलिस, घाना में चयनित वरिष्ठ उच्च विद्यालयों का एक अध्ययन. इंटरनेशनल *जर्नल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च.* वॉल्यूम 8(1), पृष्ठ संख्या 187–214. 24 जून, 2021 को https://www.researchgate.net/publication /268214933.pdf से पुन: प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. *हमारे अतीत-I.* कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली .

लिंगदोह, के. 2011. *माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच इतिहास में सीखने की समस्याओं का एक अध्ययन.* पृष्ठ 181. मावकीरवाट ब्लॉक पश्चिम खासी हिल्स मेघालय, शिक्षा विभाग.

सुमन, गौरव और रमाकांत शर्मा. 2017. इतिहास शिक्षण की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, महत्व एवं उपादेयता एक अध्ययन. *जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन अलाइड एजुकेशन.* अंतरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्या 2230–7540, वॉल्यूम 13. 6 दिसम्बर, 2021 को https://ignited.in/1/a/252546 से पुन: प्राप्त किया गया.

स्ट्रॉस, वी. 2017. *इतने सारे विद्यार्थी इतिहास से नफरत क्यों करते हैं और इसके बारे में क्या करना है.* 23 जुलाई, 2021 को https://www.washingtonpost.com/news/answersheet/wp/2017/05/17/why-so-many-students-hate-history-and-what-to-do-about-it / से पुन: प्राप्त किया गया.

अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन

मनोज कुमार शुक्ला*
सुरेश चन्द्र पचौरी**

यह शोध पत्र माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक (पेशेवर) संतुष्टि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन में न्यादर्श के रूप में देहरादून जनपद के (वर्ष 2019–20 में) सभी विकास खंडों के अंतर्गत समस्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 2532 अध्यापकों में से 400 अध्यापकों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया था। अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति मापने हेतु अहलूवालिया (2014) द्वारा निर्मित शिक्षण अभिवृत्ति परीक्षण परिसूची, कार्य उत्तरदायित्व हेतु शर्मा (2017) द्वारा निर्मित अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व मापनी एवं पेशेवर संतुष्टि हेतु सिंह एवं शर्मा (2019) द्वारा निर्मित पेशेवर संतुष्टि मापनी का उपयोग किया गया था। शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं प्रसरण विश्लेषण का उपयोग किया गया था। इस शोध अध्ययन में निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। जबकि पेशेवर संतुष्टि एवं कार्य उत्तरदायित्व के माध्य फलांकों के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अर्थात पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व पर प्रभाव पड़ता है। इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों को अपने कार्य उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करते हुए तथा पेशेवर संतुष्टि के सार्थक समाधानों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

शिक्षा मानव विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्ष' धातु से बना है जिसका अर्थ होता है— 'सीखना'। जगदगुरु शंकराचार्य ने जहाँ शिक्षा को विद्या के रूप में मुक्ति के साधन की संज्ञा दी है वहीं स्वामी विवेकानन्द ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने को शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जो कई कारकों का समुच्चय है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है— अध्यापक। शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में मानवीय संसाधन के रूप में अध्यापक की आधारभूत भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। अध्यापक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को कितने प्रभावशाली ढंग से संचालित करता है? यह उसकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। यह अभिवृत्ति अध्यापकों के कार्यदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

**शोधार्थी*, श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड 222001
***प्रोफेसर*, शिक्षा संस्थान, श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड 222001

वर्तमान में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* नवाचारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अपनाने की अनुशंसा करती है। ऐसी स्थिति में अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति और कार्यदायित्वों में बदलाव आना अपेक्षित है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के इस दौर में अध्यापकों की भूमिका बच्चों को न केवल ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने की है, अपितु तकनीकी के नकारात्मक पक्ष से विद्यार्थियों का बचाव करने हेतु एक पथ-प्रदर्शक की भी हो गई है। इसलिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी दक्षता एवं कौशल विकास की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। अब शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लिए सीखना हो गया है। इसलिए संप्रेषण, सहयोग, रचनात्मकता, तर्कपूर्ण चिंतन और समयबद्ध सूचनाओं का प्रबंधन आदि भी शिक्षण के अभिन्न अंग हो गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्यदायित्वों एवं पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव को ज्ञात करना आवश्यक हो गया है।

विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया गया है। चौधरी (1990), सोम (1994), हुसैन (2004), चौहान (2009) एवं सिंह (2012) ने अपने शोध अध्ययनों में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर व्यक्तित्व, वैवाहिक स्थिति, आयु, जेंडर, विद्यालयों के प्रकार, शिक्षण अनुभव, शिक्षण माध्यम आदि चरों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। पाण्डेय (1995) ने अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं शैक्षिक व्यवहार में महत्वपूर्ण संबंध पाया है। डार (2019) ने यह पाया कि प्रभावशाली विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति कम प्रभावशाली विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों से उच्च होती है। अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व पर विभिन्न कारकों एवं शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के बीच संबंध स्थापित करने हेतु बहुत कम अध्ययन हुए हैं। श्रीवास्तव (1979) ने उत्तरदायित्व की भावना, प्रभावशीलता तथा शिक्षण अभिवृत्ति में धनात्मक सहसंबंध पाया। कुमार (1992) ने उत्तरदायित्व की भावना एवं शिक्षण कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनके मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया। सिंह (2001) ने पाया कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के जेंडर, वैवाहिक स्थिति एवं अनुभव का उत्तरदायित्व की भावना पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। यादव (2010), गुप्ता (2016) ने दायित्वबोध एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया। नन्दिनी (2013) ने विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों के अध्यापकों में जेंडर, आयु, अनुभव तथा आरक्षण के आधार पर उत्तरदायित्व का अध्ययन किया और सार्थक प्रभाव नहीं पाया। शर्मा एवं परवीन (2017) ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में जवाबदेही का जेंडर एवं बोर्ड के संदर्भ में अध्ययन किया और उनके मध्य सार्थक अंतर पाया। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया गया। कौर (1983), दीक्षित (1986), खातून और हसन (2000) एवं रजनी (2010) ने अपने अध्ययनों में पेशेवर संतुष्टि पर आयु, जेंडर, शिक्षण अनुभव, शिक्षण स्तर एवं अन्य व्यक्तिगत चरों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। गुप्ता एवं जैन (2003) ने यह पाया कि वेतन, सुरक्षा, भौतिक स्थिति, स्थानांतरण एवं पदोन्नित आदि पेशेवर संतुष्टि को प्रभावित करते हैं।

अरोड़ा (2014) ने अध्यापकों के पेशेवर संतुष्टि व संस्थागत भूमिका तनाव के मध्य महत्वपूर्ण संबंध पाया। सरकार (2018) ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की कार्य संतुष्टि में सार्थक अंतर पाया। कुमार (2020) ने अध्यापकों की कार्य संतुष्टि एवं पेशेवर प्रतिबद्धता के मध्य धनात्मक सार्थक सहसंबंध पाया।

शोध अध्ययन का औचित्य

किसी भी राष्ट्र का विकास मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन पर निर्भर करता है और मानव संसाधन का विकास उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है। किसी राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए क्षेत्र विशेष में कार्य करने के लिए विशेष योग्यता, कौशल प्राप्त एवं सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना का सफल क्रियान्वयन अध्यापकों के वैयक्तिक व्यवहार, उनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं एवं कार्य निष्ठा आदि पर निर्भर करता है।

शोधार्थी द्वारा शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, अपने कार्य उत्तरदायित्वों को भली-भाँति निर्वहन करने वाला एवं अपने पेशे से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति, कार्य उत्तरदायित्वों एवं पेशेवर संतुष्टि पर कई शोध अध्ययनों की समीक्षा करने के पश्चात यह पता चला कि इस संबंध में बहुत कम अध्ययन हुए हैं। अतः शोधार्थी ने इस अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शोध समस्या कथन

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त चरों का परिभाषीकरण

इस शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख चरों का परिभाषीकरण इस प्रकार है—

- **कार्य उत्तरदायित्व** — किसी व्यक्ति की अपने पेशे में संलग्नता या जुड़ाव से कर्तव्य पालन की समीक्षा को कार्य उत्तरदायित्व कहते हैं अर्थात किसी कार्य को विशेष प्रकार से करने की ज़िम्मेदारी है। *ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी* के अनुसार — "कार्य उत्तरदायित्व का अर्थ, विश्वास या कर्तव्य से लिया जाता है। कार्य उत्तरदायित्व व्यक्ति के अंदर की शक्तिशाली भावना है जो जन्म के साथ ही व्यक्ति से जुड़ जाती है।"
- **पेशेवर संतुष्टि** — व्यक्ति के किसी पेशे को अपनाने या प्राप्त करने के उपरांत उस कार्य को करने में उसे जो आत्मिक संतोष एवं आनंद का अनुभव होता है, वह पेशेवर संतुष्टि कहलाती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति, कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि का अध्ययन करना।

- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व पर उनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करना।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि पर उनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ इस प्रकार थीं—

- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व एवं शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श

इस शोध अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में देहरादून जनपद (वर्ष 2019–20 में) के समस्त विकासखण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकराता) के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र से कुल 200 अध्यापकों (100 पुरुष, 100 महिला) तथा शहरी क्षेत्र से कुल 200 अध्यापकों (100 पुरुष, 100 महिला) का यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया था।

शोध अध्ययन की प्रकृति

इस शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन हेतु अहलूवालिया (2014, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा) द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत शिक्षण अभिवृत्ति परीक्षण परिसूची, शर्मा (2017, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा) की अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व मापनी तथा सिंह एवं शर्मा (2019, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा) की पेशेवर संतुष्टि मापनी का उपयोग कर आँकड़ों का संग्रहण किया गया। शिक्षण अभिवृत्ति परीक्षण परिसूची में कुल 90 प्रश्न हैं। इस परिसूची का विश्वसनीयता गुणांक 0.79 है, अंकन हेतु पाँच बिंदु मापनी (पूर्णत: सहमत, सहमत, अनिर्णित, असहमत एवं पूर्णत: असहमत) के अनुसार सकारात्मक पदों के लिए मान 4, 3, 2, 1 एवं 0 है तथा नकारात्मक पदों के लिए मान 0, 1, 2, 3 एवं 4 निर्धारित है। अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व मापनी में कुल 45 कथनों (प्रश्नों) को सम्मिलित किया गया। इसका विश्वसनीयता गुणांक 0.88 है, सकारात्मक तथा नकारात्मक पदों के लिए मान 4 से 0 और 0 से 4 अंक भार दिए गए। इसी प्रकार पेशेवर संतुष्टि मापनी में कुल 30 कथनों (प्रश्नों) को लिया गया, इस मापनी का विश्वसनीयता गुणांक 0.978 है। मापनी का अंकन अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व मापनी की भाँति ही किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, f-मान अर्थात प्रसरण विश्लेषण (ANOVA) का उपयोग किया गया।

तालिका 1— अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि का प्रसरण विश्लेषण

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रसरण के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान वर्ग	f मान	सार्थकता
1.	कार्य उत्तरदायित्व	समूहों के मध्य	38089.560	119	320.080	2.670	0.000
		समूहों के आंतरिक	33564.717	280	119.84		
		योग	71654.278	399			
2.	पेशेवर संतुष्टि	समूहों के मध्य	15218.135	119	127.883	1.396	0.013
		समूहों के आंतरिक	25658.302	280	91.637		
		योग	40876.438	399			

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शून्य परिकल्पना 1— माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1 से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के मान की गणना करने पर अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व का सार्थकता मान 0.000 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से कम है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश प्रदान करने से उनकी अपने पेशे के प्रति सकारात्मक अभिवृति होने से उनके कार्य उत्तरदायित्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसी प्रकार तालिका 1 से यह प्रदर्शित होता है कि पेशेवर संतुष्टि का सार्थकता मान 0.013 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से कम है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतएव शून्य परिकल्पना कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश तथा समय-समय

पर अध्यापकों को अभिप्रेरित करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों के कारण उनकी अपने पेशे के प्रति सकारात्मक अभिवृति होने से उनकी पेशेवर संतुष्टि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शून्य परिकल्पना 2— माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व के संदर्भ में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि के मान की गणना करने पर शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का सार्थकता मान 0.000 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से कम है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश प्रदान करने से उनके कार्य उत्तरदायित्व के कारण उनकी अभिवृत्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसी प्रकार तालिका 2 से यह प्रदर्शित होता है कि पेशेवर संतुष्टि का सार्थकता मान 0.018 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से कम है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों के अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व का पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतएव शून्य परिकल्पना कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत

तालिका 2— अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व के संदर्भ में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि का प्रसरण विश्लेषण

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रसरण के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान वर्ग	f मान	सार्थकता
1.	शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति	समूहों के मध्य	165051.329	59	2797.480	3.376	0.000
		समूहों के आंतरिक	281723.249	340	828.598		
		योग	446774.577	399			
2.	पेशेवर संतुष्टि	समूहों के मध्य	8361.269	59	141.716	1.482	0.018
		समूहों के आंतरिक	32515.169	340ी	95.633		
		योग	40876.438	399			

अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश के कारण उनकी पेशेवर संतुष्टि पर प्रभाव पड़ता है।

शून्य परिकल्पना 3— माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व एवं शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि पेशेवर संतुष्टि के संदर्भ में अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व एवं शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मान की गणना करने पर अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व का सार्थकता मान 0.062 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से अधिक है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व के माध्य फलांकों के मध्य सार्थक अंतर है अर्थात अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। अतएव शून्य परिकल्पना कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश के कारण अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

इसी प्रकार तालिका 3 से यह प्रदर्शित होता है कि शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का सार्थकता मान 0.010 प्राप्त हुआ है, जो कि सार्थकता स्तर के मान 0.05 से कम है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि शून्य परिकल्पना कि माध्यमिक

तालिका 3— अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि के संदर्भ में कार्य उत्तरदायित्व एवं शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का प्रसरण विश्लेषण

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रसरण के स्रोत	वर्गों का योग	आवृत्ति अंश	मध्यमान वर्ग	f मान	सार्थकता
1.	कार्य उत्तरदायित्व	समूहों के मध्य	11473.483	49	234.153 171.945	1.362	0.062
		समूहों के आंतरिक	60180.794	350	171.945		
		योग	71654.278	399			
2.	शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति	समूहों के मध्य	81518.922	49	1663.651	1.594	0.010
		समूहों के आंतरिक	365255.655	350	1043.588		
		योग	446774.578	399			

विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएँ एवं अनुकूल कार्य के लिए परिवेश के कारण अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

शोध अध्ययन के परिणाम

इस शोध अध्ययन के परिणाम इस प्रकार हैं—

- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का कार्य उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व के माध्य फलांकों के मध्य सार्थक अंतर है अर्थात अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का कार्य उत्तरदायित्व पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।
- माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का उनके कार्य उत्तरदायित्व तथा पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। इसी प्रकार अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर संतुष्टि के माध्य फलांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात अध्यापकों के कार्य उत्तरदायित्व का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा पेशेवर संतुष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि एवं कार्य उत्तरदायित्व

के माध्य फलांकों के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अर्थात पेशेवर संतुष्टि का प्रभाव अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व पर सार्थक रूप में पड़ता है। जो अध्यापक अपने पेशे से जितने अधिक संतुष्ट होंगे वे अपने कार्य उत्तरदायित्व को उतनी ही बेहतरी से निभा पाएँगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम एवं अध्यापकों पर निर्भर करती है। अध्यापक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए अध्यापक स्वयं भी उन गुणों से युक्त होना चाहिए जिनकी शिक्षा वह बच्चों को दे रहा है। अध्यापक की भूमिका एक शिल्पी की तरह होती है, उसे अपने ज्ञान को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि सभी बच्चे अधिकतम अधिगम प्राप्त कर सकें। अध्यापक की शिक्षण की अभिवृत्ति का सह-संबंध उसके कार्य उत्तरदायित्व एवं पेशेवर संतुष्टि से जुड़ा होता है। इसलिए अध्यापकों द्वारा शैक्षणिक कार्यों को पूर्ण मनोयोग से किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। उन्हें अपने पेशे की उपयोगिता को सिद्ध करना चाहिए। अध्यापकों की पेशेवर संतुष्टि के लिए सतत रूप से उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थों के आधार पर वर्तमान शिक्षण व्यवस्था को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता मिल सकती है। अतः अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक प्रबंधकों, नीति नियंताओं एवं शोधार्थियों से संबंधित शैक्षिक निहितार्थों का विवरण निम्नवत है—

- अध्यापकों के चयन हेतु नीति-निर्माण करने वाली संस्थाओं, जैसे— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) आदि को शिक्षण पेशे में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति का परीक्षण करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त तंत्र को डिजाइन किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विशेष वेतन-भत्ते, आवास सुविधा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे अपना शत-प्रतिशत योगदान दे सकें।
- पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में अध्यापकों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने शिक्षण एवं सीखने के वातावरण के अनुभवों को पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल करा सकें।
- अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों, जैसे— जनगणना, आर्थिक गणना, मतदान सूची, कोविड ड्यूटी आदि से मुक्त रखा जाए।
- अध्यापकों को नवीनतम तकनीकी आधारित शिक्षण, जैसे— डिजिटल बोर्ड, गूगल मीट शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, व्हाट्सएप टींचिग आदि को प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं समय-समय पर नवीन शिक्षण तकनीकियों की जानकारी दी जाए।

- अध्यापकों में शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति एवं कार्य उत्तरदायित्व की भावना की जागरूकता हेतु समय-समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाए।
- विद्यालयों में प्रभावी निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अध्यापकों को सतत पेशेवर विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

संदर्भ

अरोड़ा, एस. 2014. *द आर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस एंड जॉब सटिस्फैक्शन अमंग टीचर्स* (पीएच.डी. थीसिस इन एजुकेशन). एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली.

अहलूवालिया, एस. पी. 2014. *शिक्षण अभिवृत्ति परीक्षण परिसूची*. नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा.

कुमार, मुकेश. 2020. *अध्यापक-प्राध्यापकों की कार्य संतुष्टि का उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता एवं संगठनात्मक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन.* (शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर.

कौर, बी. 1983. जॉब सटिस्फैक्शन ऑफ होम साइंस टीचर्स— इट्स रिलेशनशिप विद पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ओर्गनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक. संपादन में बुच, एम.बी. (संपादक). *फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन* (1983–1988). रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

खातून, टी. और जेड. हसन. 2000. जॉब सटिस्फैक्शन ऑफ सेकंडरी टीचर्स इन रिलेशन टू देयर पर्सनल वैरिएबल्स— सेक्स, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सैलरी एंड रीलिजन. *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू*. जनवरी, वॉल्यूम 36.

गुप्ता, एस.पी. 1980. *ए स्टडी ऑफ जॉब सटिस्फैक्शन एट थ्री लेवल ऑफ टीचिंग* (पीएच.डी. थीसिस इन एजुकेशन). मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ.

गुप्ता, मधु एवं रचना जैन. 2003. जॉब सटिस्फैक्शन ऑफ नर्सरी स्कूल टीचर्स वर्किंग इन दिल्ली. *इंडियन साइकोलॉजिकल रिव्यू*. 61, पृष्ठ संख्या 49–86

चौधरी, शोभना. 1990. *ए स्टडी ऑफ सर्टेन सिचुएशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन रिलेशन टू ऐटिट्यूड एंड सक्सेस,* (पीएच.डी. थीसिस) सी.एस.जे.एम.यूनिवर्सिटी, कानपुर.

चौहान, मीना. 2009. *विभिन्न वर्गों के अध्यापकों में सामाजिक समरसता, शिक्षण पेशे में प्रति अभिवृत्ति एवं पेशेवर प्रतिबद्धता का अध्ययन* (पीएच.डी. थीसिस शिक्षाशास्त्र). उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्य विश्वविद्यालय, गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, राजस्थान.

दीक्षित, एम. 1986. *कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ वर्क सटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल टीचर्स*. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

नन्दिनी, दुर्गेश. 2013. *स्ववित्त पोषित, वित्तीय सहायता प्राप्त एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों में लिंग, आयु, अनुभव तथा आरक्षण के आधार पर उत्तरदायित्व का अध्ययन* (शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र). एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली.

पाण्डेय, एम. और कनौजिया सुमन. 1995. *बुन्देलखण्ड प्रक्षेत्र के जनजातीय समूहों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन* (शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र). बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी.

रजनी, उप्पल. 2010. *शिक्षण प्रशिक्षुओं में उच्च तथा निम्न अक्रियाशीलता का कार्य संतुष्टि के संबंध में प्रभाव का अध्ययन* (शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र). पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* दस्तावेज, पृष्ठ संख्या– 05. भारत सरकार, नई दिल्ली.

शर्मा, प्रतिभा. 2017. *अध्यापक कार्य उत्तरदायित्व मापनी*. नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा.

शर्मा, प्रतिभा और परवीन अंजुम. 2017. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में जवाबदेही का जेंडर व बोर्ड के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*. पृष्ठ संख्या 155–159.

श्रीवास्तव, उमा. 1979. *ए स्टडी ऑफ सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सेकंडरी स्कूल टीचर्स* (पीएच.डी. थीसिस इन एजुकेशन). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस.

सिंह, अमर और टी. आर. शर्मा, 2019. *पेशेवर संतुष्टि मापनी*. नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा.

सिंह, प्रतिभा. 2001. *माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षिकाओं में उत्तरदायित्व की भावना का समीक्षात्मक अध्ययन* (पीएच.डी. थीसिस अप्रकाशित) शिक्षाशास्त्र). अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद.

सोम. पी. 1994. *अध्यापकों के व्यक्तिगत स्वरूप तथा उनकी शिक्षण एवं संबंधित क्षेत्रों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन* (पीएच.डी. शिक्षाशास्त्र). रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर.

हुसैन, शौकत. 2004. *स्टडी ऑफ इफैक्टिवनैस ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनल ऐटिट्यूड ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेकंडरी स्कूल टीचर्स* (पीएच.डी. थीसिस इन एजुकेशन). जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली.

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें

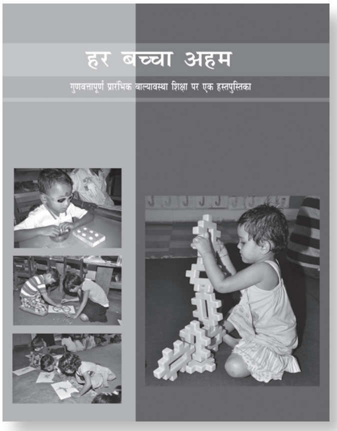

हर बच्चा अहम
₹ 240.00 / पृष्ठ 186
कोड — 13180
ISBN — 978-93-5292-092-1

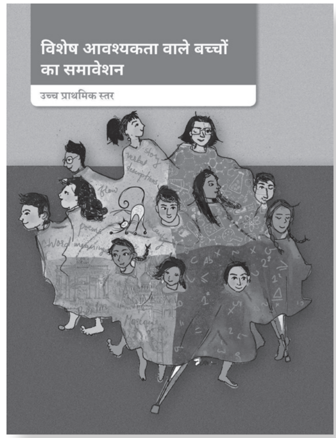

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन (उच्च प्राथमिक स्तर)
₹ 140.00 / पृष्ठ 170
कोड — 32126
ISBN — 978-93-5292-133-1

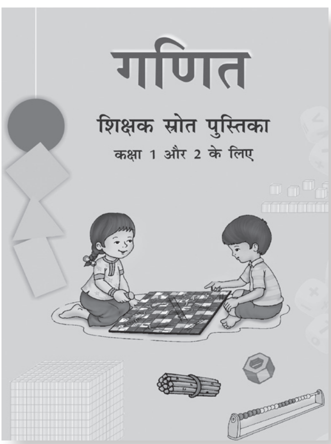

गणित
₹ 150.00 / पृष्ठ 168
कोड — 13179
ISBN — 978-93-5292-088-4

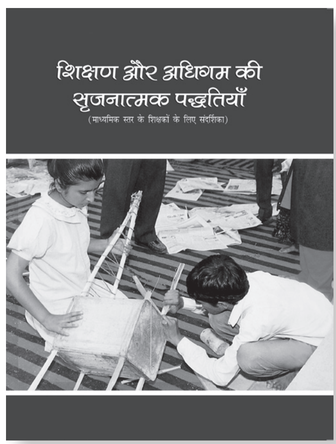

शिक्षण और अधिगम की सृजनात्मक पद्धतियाँ
₹ 75.00 / पृष्ठ 130
कोड — 13107
ISBN — 978-93-5007-280-6

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

लेखकों के लिए दिशा निर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध पत्र सॉफ्ट कॉपी (हिंदी यूनिकोड— कोकिला फ़ोंट में) के साथ निम्नलिखित पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें—

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक या शोधार्थी अपना लेख या शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व सुनिश्चित करें कि—

1. लेख या शोध पत्र सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख या शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
2. यदि आप अपने लेख या शोध पत्र को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हिंदी यूनिकोड फ़ोंट में बदलते हैं, तो बदले हुए लेख या शोध पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर एवं संपादित कर भेजें।
3. लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो।
4. शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक या शोध समस्या से संबंधित हो।
5. लेख या शोध पत्र में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उन नीतियों, योजनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्टों, शोधों, नवाचारी प्रयोगों या अभ्यासों आदि को समावेशित करने का प्रयास करें।
6. लेख या शोध पत्र देश के किसी भी नागरिक की धर्म, प्रजाति, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद न करे।
7. लेख या शोध पत्र देश के नागरिकों की धर्म, जाति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विशेषताओं का बिना भेदभाव करते हुए न्यायसंगत सम्मान करे।
8. लेखक या शोधार्थी अपने लेख या शोध पत्र की मौलिकता प्रमाणित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें।
9. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों में हिंदी यूनिकोड—कोकिला फोंट में टंकित हो।
10. यदि लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में तालिका एवं ग्राफ़ हो, तो तालिका की व्याख्या में उन तथ्यों या प्रदत्तों एवं ग्राफ़ का उल्लेख करें। ग्राफ़ अलग से Excel File में भेजें।
11. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें। चित्र अलग से JPEG फ़ार्मेट में भेजें, जिसका आकार कम से कम 300 dots per inch (dpi) हो।
12. संदर्भ सूची में वही संदर्भ लिखें, जिनका उल्लेख लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में किया गया हो।
13. यदि लेख या शोध पत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो संदर्भ सूची में वेबसाइट लिंक और पुन: प्राप्त (Retrieved date) करने की तिथि लिखें।
14. संदर्भ सूची में संदर्भ एन.सी.ई.आर.टी. के निम्न प्रारूप के अनुसार लिखें—
    पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and magazines

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 35.00	₹ 70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन प्रभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016
ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING